राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2020–21

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2020–21

नई दिल्ली

महानिदेशक की ओर से

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। (रिपोर्ट में रा.ज.वि.अ.की विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है, विशेष रूप से भारत में जल संसाधन वितरण में असंतुलन को कम करने के लिए जल के अंतरबेसिन और अंतः–बेसिन अंतरण जिसे सामान्यतः नदी जोड़ (आईएलआर) कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। राजविअ की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार एक सोसायटी के रूप में की गई थी और यह पूरी तरह से, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रा.ज.वि.अ. द्वारा संपन्न और प्रगति पर मुख्य गतिविधियाँ हैं:

- कोविड–19 के कारण महामारी की असामान्य परिस्थितियों के बावजूद, वर्ष के दौरान किए गए नदी जोड़ अध्ययनों और केन–बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति बनाने के मामले में यह वर्ष बहुत फलदायी रहा। केन–बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 22.03.2021 को माननीय प्रधान मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों एवं माननीय जल शक्ति मंत्री के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना देश में नदी जोड़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम था।
- गोदावरी – कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर जिसमें 3 लिंक परियोजनाएं और कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना शामिल हैं, को पूरा किया गया और सभी संबंधित राज्यों को परिचालित की गई।
- मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा, गंगा (फरक्का)–सुंदरबन, राजस्थान–साबरमती, गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा–महानदी, और गंडक–गंगा (भारतीय भागों को कवर करते हुए) हिमालयी घटकों की लिंक परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्टों को पूरा किया गया और भागीदार राज्यों को उनके विचारों के लिए परिचालित किया गया। मार्च, 2022 तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन सभी लिंकों की संभाव्यता रिपार्टों को पूरा करने की योजना है।
- नदी जोड़ पर कार्यबल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रा.ज.वि.अ.ने "एनपीपी की पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना (पीकेसीएलपी) के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के एकीकरण" का काम शुरू किया है। वर्ष के दौरान इसकी पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करके परिचालित की गई।
- विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण/उत्पन्न करने, प्रभाव विश्लेषण आदि के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की ने महानदी–गोदावरी लिंक का प्रणाली अध्ययन आरंभ किया। दूसरे अन्य लिंकों के लिए भी इसी प्रकार के प्रणाली अध्ययन करने एवं संगठन में एक प्रणाली अध्ययन सैल के गठन की योजना बनाई जा रही है।
- नदी जोड़ कार्यक्रम पर कार्यरत सभी महत्वपूर्ण समितियों की बैठकें समय पर आयोजित की गईं। रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 67वीं बैठक 24.08.2020 को हुई । नदी जोड़ पर विशेष समिति (न. जो. पर वि. स.) की 18वीं बैठक 07.12.2020 को हुई, रा.ज.वि.अ. सोसायटी की 34वीं बैठक 07.12.2020 को हुई, नदी जोड़ पर टास्क फोर्स की 12वीं और 13वीं बैठक क्रमशः 16.07.2020 और 25.02.2021 को आयोजित की गई; प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 15वीं और 16वीं बैठकें क्रमशः 16.06.2020 और 17.12.2020 को आयोजित की गईं; और मतैक्यता स्थापित कराने के लिए उप–समिति की तीसरी और चौथी बैठक क्रमशः 28.07.2020 और 10.12.2020 को हुई।
- रा.ज.वि.अ. ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पीएमकेएसवाई/एआईबीपी योजनाओं के अधीन नाबार्ड के वित्त पोषण के माध्यम से विभिन्न राज्यों/परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के प्रावधान के लिए एक पास थ्रू विंडो के रूप में भी काम किया और 18 राज्यों और 2 परियोजनाओं को धन वितरित किया।

मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण और वर्ष के दौरान राजविअ की भूमिका, कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालेगी और मैं अपनी सभी गतिविधियों में आपके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन का स्वागत करता हूँ।

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक,
रा.ज.वि.अ.

वर्ष 2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ. की मुख्य गतिविधियां

- कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी पर सदस्य (डब्ल्यू पी व पी) की अध्यक्षता में 15.05.2020 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से 28.05.2020 को क्लासीफाइड डेटा रिलीज कमेटी (सीडीआरसी) की 39वीं बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 03.06.2020 को भारत–यूरोपीय संघ जल भागीदारी बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने रा.ज.वि.अ. के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) के कार्यान्वयन के लिए 10.06.2020 और 26.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो बैठकें कीं,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने राजस्थान की ई–आर–सी परियोजना के साथ पी–के–सी लिंक परियोजना के एकीकरण पर अवधारणा नोट पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11.06.2020 को समीक्षा बैठक की,
- महानिदेशक,रा.ज.वि.अ. ने 16.06.2020 को सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप–समिति की 15 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया और एनआईएच द्वारा तैयार महानदी–गोदावरी लिंक के प्रणाली अध्ययन पर इंसेप्शन रिपोर्ट पर चर्चा की,
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 131वीं तिमाही बैठक महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. की अध्यक्षता में 29.06.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई,
- अध्यक्ष नदी जोड़ पर कार्यबल ने दिनांक 01.07.2020 को रा.ज.वि.अ. की पी–के–सी लिंक परियोजना और राजस्थान की ई–आर–सी परियोजना के एकीकरण पर महानिदेशक रा.ज.वि.अ. के साथ समीक्षा बैठक की,
- श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, नदी जोड पर कार्यबल और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 16.07.2020 को नदी जोड़ पर कार्यबल की 20 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गई,
- केबीएलपी के अधीन आने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व की लैंडस्केप विकास योजना पर रा.ज.वि.अ. द्वारा महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. की उपस्थिति में दिनांक 21.07.2020 का बैठक आयोजित की गई थी; जिसमें आईजी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण; मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश वन विभाग के अधिकारी; और निदेशक और प्रधान वैज्ञानिक, वन्य जीव संस्थान, देहरादून भी उपस्थित रहे,
- रा.ज.वि.अ. ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 28.07.2020 को अध्यक्ष, कें.ज.आ. की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों (पूर्व में मतैक्यता समूह की 14 वीं बैठक) के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से सहमति निर्माण के लिए उप–समिति की तीसरी बैठक आयोजित की,
- रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 67वीं बैठक 24.08.2020 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 28.08.2020 को आयोजित राष्ट्रीय जल नवाचार शिखर सम्मेलन : पैनल चर्चा –4 और तकनीकी प्रस्तुतिकरण की अध्यक्षता की,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 03.09.2020 को पीएमयू–पीएमकेएसवाई के कार्य की समीक्षा की,
- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 03.09.2020 को केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की,
- सदस्य (डब्ल्यू पी व पी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में 04.09.2020 को कुनो और पार्वती उप–घाटियों में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के आदान–प्रदान के तौर–तरीकों का सुझाव देने के लिए कार्य दल की बैठक आयोजित की गई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 14.09.2020 को रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में हिंदी दिवस का उद्घाटन किया,
- अध्यक्ष, कें.ज.आ. ने 23.09.2020 को सातवें भारत जल सप्ताह–2021 (भा.ज.स.–2021) की वैज्ञानिक समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की,
- रा.ज.वि.अ. में 01.10.2020 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स (टीएसए), एक नई लेखा प्रणाली लागू की गई है,
- रा.ज.वि.अ. के सभी कार्यालयों में 27.10.2020 से 02.11.2020 के दौरान वर्ष 2020 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 03.11.2020 को वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति की 43वीं बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक और मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 5–6 नवंबर 2020 के दौरान भारतीय बुनियादी ढांचे द्वारा आयोजित "भारत में सिंचाई" पर सम्मेलन में भाग लिया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने "नदियों को जोड़ने – स्थिति और मुद्दों" पर सम्मेलन में प्रस्तुति भी दी,

- रा.ज.वि.अ. क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में कार्यों और लक्ष्यों की स्थिति ,भविष्य की योजनाएं और बाधाएं, यदि कोई हो, पर चर्चा करने के लिए 09.11.2020 और 10.11.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में महानिदेशक, रा.ज.वि. अ. द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 7वें भारत जल सप्ताह पर माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा बैठक और केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एमओए के मसौदे पर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों की टिप्पणियों पर दिनांक 18.11.2020 को आयोजित बैठक में भाग लिया,
- मु.अ. (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद ने 20.11.2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मु.अ. (दक्षिण) के क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की,
- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 26.11.2020 को "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की बैठक में भाग लिया,
- 26.11.2020 को संविधान दिवस मनाया गया और रा.ज.वि.अ. के सभी कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 26.11.2020 को सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए मसौदा और संशोधित एमओए पर राज्यों के अनुपालन/ अवलोकन पर ली गई बैठक में भाग लिया,
- रा.ज.वि.अ. सोसायटी की 34वीं एजीएम और नदी जोड़ पर विशेष सैल की 18वीं बैठक दिनांक 07.12.2020 को नई दिल्ली में श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 06.01.2021 को केन–बेतवा लिंक परियोजना के एमओए के मुद्दों पर चर्चा के लिए जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 07.01.2021 को आयोजित "वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति" की 45वीं बैठक में भाग लिया,
- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने दिनांक 08.01.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी) की अध्यक्षता में आयोजित वीआईपी/पीएमओ (पीजी) और विविध जन शिकायतों, की लंबित स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया,
- दिनांक 08.01.2021 को सदस्य (डब्ल्यू पी एवं पी) कें.ज.आ. द्वारा आई ई डब्लू पी के नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में महानिदेशक एवं मु.अ. (मु.) रा.ज.वि.अ. ने भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 09.01.2021 को आयोजित केबीएलपी के कार्यान्वयन और राजस्थान के ईआरसीपी के साथ पीकेसी लिंक के एकीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ माननीय केंद्रीय जल मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया,
- मु.अ. (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद ने दिनांक 11.01.2021 को अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार के साथ बेदती–वरदा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के संबंध में चर्चा की,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और रा.ज.वि.अ. के अन्य अधिकारियों ने दिनांक 11.01.2021 को भुवनेश्वर में आयोजित संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति की निरीक्षण बैठक में भाग लिया। उप–समिति ने संगठन के हिंदी में कामकाज की सराहना की,
- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 2021 में सुषमा स्वराज भवन (ब्रिक्स सचिवालय), नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स राष्ट्रों की अध्यक्षता के संबंध में 11.01.2021 को आयोजित अंतर–मंत्रालयी बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक और मु.अ. (उत्तर), रा.ज.वि.अ. ने ओडिशा के ई–आई–सी कार्यालय में 11.01.2021 को इंजीनियर–इन–चीफ (पीडी), सरकार के साथ बैठक की, जिसमें ओडिशा राज्य के अंतःराज्यीय और अंतरराज्यीय लिंक के मुद्दों पर चर्चा की गई,
- महानिदेशक,रा.ज.वि.अ. ने 13.01.2021 को आयोजित पीआर–2 ई–फ्लो–(आईईडब्ल्यूपी) पर सदस्य(डब्ल्यू पी एवं पी), कें.ज.आ. द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक और मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 14.01.2021 को आयोजित केबीएलपी से संबंधित योजना और डिजाइन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य (डी एंड आर), कें.ज.आ. द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया,
- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल मीडिया गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव (पीपी एंड आरडी) की अध्यक्षता में 14.01.2021 को आयोजित बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश सरकार के साथ 15.01.2021 को बैठक की,
- संयुक्त सचिव (पीपीआरडी) की अध्यक्षता में 7वें भारत जल सप्ताह–2021 की संचालन समिति की पहली बैठक 18.01.2021 को आयोजित हुई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने दिनांक 19.01.2021 को रा.ज.वि.अ. वेबसाइट के अद्यतनीकरण की समीक्षा के लिए एक बैठक की,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 20.01.2021 को हुई तकनीकी बैठक में सचिव (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) की अध्यक्षता में सभी नोडल अधिकारियों के साथ यूरोपीय संघ–भारत जल साझेदारी के

अधीन चरण–।। के प्राथमिकता वाले नौ क्षेत्रों की प्रगति और आगे के रास्ते के बारे में चर्चा करने के लिए भाग लिया, इससे चरण–।। की तैयारी का मार्ग प्रशस्त होगा,

- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 21.01.2021 को ब्रिक्स सम्मेलन और 7वें भारत जल सप्ताह–2021 पर सदस्य (डब्ल्यू पी एवं पी) के साथ बैठक की,
- महानिदेशक और मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 22.01.2021 को अध्यक्ष, कें.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भाग लिया, जिसमें पार्बती–कुनो–सिंध (पीकेएस) और ईआरसीपी के लिए पानी के बंटवारे, मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के आदान–प्रदान से संबंधित मुद्दों की स्थिति की समीक्षा की गई,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और रा.ज.वि.अ. के अन्य अधिकारियों ने 25.01.2021 को आयोजित मैसर्स एएसटीटीई द्वारा परियोजना प्रबंधन पर प्रस्तुतिकरण में भाग लिया,
- महानिदेशक और मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने ईआरसीपी के साथ पी–के–सी लिंक के एकीकरण के संबंध में श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 27.01.2021 को बुलाई गई समीक्षा बैठक में भाग लिया,
- ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स जल मंच की योजना बनाने के लिए समिति की तीसरी बैठक 28.01.2021 को सदस्य (डब्ल्यू पी एवं पी),केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और रा.ज.वि.अ. के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया,
- मु.अ. (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., हैदराबाद ने गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना के डीपीआर कार्य पर 29.01.2021 को अध्यक्ष, कावेरी तकनीकी सेल और मु.अ. (योजना निर्माण), जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार के साथ चर्चा की,
- महानिदेशक एवं मु.अ. (मुख्यालय) रा.ज.वि.अ. ने दिनांक 01.02.2021 को आईसीआईडी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित भारत जल सप्ताह–2021 के मामलों पर नियमित परामर्श और वैज्ञानिक समिति को सलाह देने के लिए गठित कोर ग्रुप की चौथी बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 02.02.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित "जल आर्द्रभूमि, जीवनः अविभाज्य सह–अस्तित्व" विषय पर "विश्व आर्द्रभूमि दिवस" के उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया,
- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 04.02.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआईपी कार्यकारी समिति (234वीं बैठक) और वार्षिक सामान्य बैठक (79वीं बैठक) की संयुक्त बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 05.02.2021 को नई दिल्ली में सीडीआरसी की 46वीं बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 08.02.2021 को एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित "भारत में अंतःराज्यीय नदी जल विवाद" पर वेबिनार में "भारत में नदी परियोजनाओं को जोड़ने में अंतःराज्यीय मुद्दों की चुनौतियां" विषय पर एक व्याख्यान दिया,
- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एमओए को अंतिम रूप देने के संबंध में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिवों के साथ 09.02.2021 को एक बैठक की,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 16.02.2021 को "भारत भू–स्थानिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी और सहयोग के माध्यम से हमारी नदियों का पुनरुद्धार" कार्यक्रम में भाग लिया,
- वर्ष 2020–21 के दौरान मु.अ. (दक्षिण) और मु.अ. (उत्तर) क्षेत्राधिकारों के लिए क्रमशः 18.02.2021 और 19.02.2021 को कार्य और कार्यक्रम की स्थिति की समीक्षा करने के लिए महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की गई थी,
- महानिदेशक, मु.अ. (मुख्यालय) और मु.अ. (दक्षिण), रा.ज.वि.अ. ने 22.02.2021 को नई दिल्ली में अध्यक्ष, कें.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित 7वें भारत जल सप्ताह–2021 की वैज्ञानिक समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 24.02.2021 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में आयोजित "बांधों और नदी घाटियों के सतत विकास पर आईसीओएलडी संगोष्ठी" के उद्घाटन सत्र और प्लानरी सत्र में भाग लिया,
- दिनांक 25.02.2021 को श्री राम विदेरे, सलाहकार, जल संसाधन विभाग, ज.स.न.वि.ग.सं. और अध्यक्ष नदी जोड़ पर कार्यबल की अध्यक्षता में नदी जोड़ पर कार्यबल की 13 वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई,
- मु.अ.(मुख्यालय) ने 26.02.2021 को संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी) द्वारा आयोजित 2021–26 की अवधि के लिए आरबीएम योजना के ईएफसी की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 26.02.2021 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी ढांचे के रोडमैप के लिए बजट के बाद की कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने बेदती–वरदा लिंक परियोजना के लेआउट मुद्दों पर मु.अ. (दक्षिण) और रा.ज.वि.अ. के अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ 01.03.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की,
- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 02.03.2021 को संयुक्त सचिव (आरडी एंड पीपी), जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के कक्ष में आयोजित आरबीएम योजना के ईएफसी की प्रस्तुति के लिए बैठक में भाग लिया,
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के समिति कक्ष में माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 03.03.2021 को आयोजित राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने भाग लिया,

- मु.अ. (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. ने 05.03.2021 को 2021–26 की अवधि के लिए आयुक्त (एसपीआर) की अध्यक्षता में आयोजित पीएमकेएसवाई योजना की परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के कार्य की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) नोट के संबंध में 08.03.2021 को अपर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ बैठक में भाग लिया,
- रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में 09.03.2021 से फाइल प्रबंधन प्रणाली के लिए ई–ऑफिस शुरू किया गया था,
- राजभाषा कार्यान्वयन की 134वीं तिमाही बैठक महानिदेशक,रा.ज.वि.अ. की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2021 को आयोजित की गई,
- 16 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान मुख्यालय और मु.अ. (दक्षिण) और मु.अ. (उत्तर) के क्षेत्राधिकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया था, इस दौरान रैलियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने 18.03.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के साथ साझेदारी में इलेट्स द्वारा आयोजित "द्वितीय राष्ट्रीय जल और स्वच्छता नवाचार शिखर सम्मेलन" में भाग लिया और भाषण दिया,
- महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और रा.ज.वि.अ. के अन्य अधिकारियों ने केबीएलपी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और 22.03.2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर डॉ. अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली में आयोजित कैच द रेन कार्यक्रम में भाग लिया और विश्व जल दिवस की शपथ ली,
- माननीय संसद सदस्य, महाराष्ट्र सरकार श्री रंजीत नाइक निम्बालकर दिनांक 24.03.2021 को राजविअ (मु.) कार्यालय में पधारे और महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई महाराष्ट्र की कोल्हापुर–सांगली/संगोला अंतःराज्यीय लिंक परियोजना तथा कृष्णा–भीमा लिंक की डीपीआर की स्थिति पर महानिदेशक तथा मुख्य अभियंता (मु.), राजविअ के साथ विचार विमर्श किया,
- महानिदेशक और मुख्य अभियंता (मु.), राजविअ ने श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में दिनांक 25.03.2021 को आयोजित 7 वें भारत जल सप्ताह–2021 की आयोजन समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया,

विषय सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ठ संख्या
	लघुरूप	
अध्याय–1	**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण**	
1.1	प्रस्तावना	14
1.2	31–03–2021 को रा.ज.वि.अ. के कार्य	16
अध्याय–2	**मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा**	
2.1	मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा	18
2.2	कर्मचारी संख्या	20
2.3	रा.ज.वि.अ. सोसाइटी	20
2.4	शासी निकाय	23
2.5	तकनीकी सलाहकार समिति	25
अध्याय–3	**नदी जोड़ पर विशेष समिति, उप समिति तथा नदी जोड़ पर कार्यबल**	
3.1	नदी जोड़ पर विशेष समिति	27
3.2	नदी जोड़ पर विशेष समिति की उप समितियां	27
3.3	नदी जोड़ पर कार्यबल	27
3.4	एससी–आईएलआर, उप–समिति और नदी जोड़ पर कार्यबल की गतिविधियां	28
3.4.1	एससी–आईएलआर की 18वीं बैठक	28
3.4.2	नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल की 12वीं और 13वीं बैठक	31
3.4.2.1	नदी जोड़ पर कार्यबल की 12वीं बैठक	31
3.4.2.2	नदी जोड़ पर कार्यबल की 13वीं बैठक	32
3.4.3	प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 15वीं और 16वीं बैठक	32
3.4.3.1	प्रणाली अध्ययन के लिए उपसमिति की 15वीं बैठक	33
3.4.3.2	प्रणाली अध्ययन के लिए उपसमिति की 16वीं बैठक	33
3.4.4	मतैक्यता समूह पर उपसमिति की तीसरी बैठक	33
अध्याय–4	**तकनीकी गतिविधियां**	
4.1	अंतर बेसिन और अंतः बेसिन जल अंतरण लिंकों के अध्ययन	36
4.2	एन पी पी के अंतर्गत रा.ज.वि.अ द्वारा पूर्ण किये गये प्राथमिक अध्ययन	36
4.3	रा.ज.वि.अ द्वारा किये जा रहे जल अंतरण लिंक	37
4.4.1	एन पी पी के प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर–बेसिन जल अंतरण लिंको के संभाव्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की वर्तमान स्थिति	40
4.4.1.1	कावेरी (कट्टालाई) –वैगई – गुंडर लिंक परियोजना	40
4.4.1.2	वेदती–वरदा परियोजना	40
4.4.1.3	नेत्रावती–हेमावती लिंक परियोजना	41
4.4.1.4	महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना	41
4.4.2	एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर–बेसिन जल अंतरण लिंकों की संभाव्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की वर्तमान स्थिति	42
4.4.3	पार्वती–कालीसिंध–चम्बल लिंक परियोजना के साथ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का एकीकरण	44
अध्याय–5	**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन पी पी) के अंतर्गत पहचान की गई प्राथमिकता प्राप्त लिंक**	
5.1	प्राथमिकता प्राप्त लिंकों पर मतैक्यता के लिए किए गए प्रयास	46
5.1.1	केन–बेतवा लिंक परियोजना (चरण– I)	46
5.1.1.1	केन–बेतवा लिंक परियोजना (चरण– II) के क्रियान्वन की वर्तमान स्थिति	46

5.1.1.2	केन–बेतवा लिंक परियोजना (चरण–।।)	48
5.1.1.3	केबीएलपी (चरण–।।) की वर्तमान स्थिति	48
5.1.1.4	त्रिपक्षीय समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर	49
5.2. और 5.3	पार–तापी–नर्मदा तथा दमनगंगा पिंजाल लिंक परियोजना	50
5.4	गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना द्वारा गोदावरी जल के पथातंरण का वैकल्पिक प्रस्ताव	51
अध्याय–6	**राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक**	52
6.1	अंतःराज्यीय लिंक	52
6.1.1	महाराष्ट्र	52
6.1.2	गुजरात	53
6.1.3	ओडिशा	53
6.1.4	झारखंड	53
6.1.5	बिहार	53
6.1.6	राजस्थान	54
6.1.7	तमिलनाडु	54
6.1.8	कर्नाटक	54
6.1.9	छत्तीसगढ	55
6.1.10	उत्तर प्रदेश	55
6.2	अंतःराज्यीय लिंकों की पीएफआर/डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति	55
6.3	अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट/डीपीआर तैयार करने की समग्र स्थिति	56
6.4	अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निधियन उपलब्ध कराना	56
अध्याय–7	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन गतिविधियां**	58
7.1	पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नाबार्ड फंडिंग	58
7.1.1	परियोजना की प्रक्रिया	58
7.1.2	राज्यों को निधि जारी करना	58
7.1.3	थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग	58
7.1.4	31, मार्च 2021 तक विभिन्न राज्यों को जारी पी एम के एस वाई निधि का विवरण	59
अध्याय–8	**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वेबसाइट**	60
अध्याय–9	**रा.ज.वि.अ की अन्य गतिविधियां**	61
9.1	प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियां	61
9.2	विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन	61
9.3	रा.ज.वि.अ का नागरिक चार्टर	61
9.4	महिला कर्मचारियों के यौन शौषण की शिकायतों के लिए समिति	61
9.5	साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह तथा कौमी एकता सप्ताह	62
9.6	आंतरिक पत्रिका 'जल विकास' का प्रकाशन	62
9.7	स्वच्छ भारत अभियान	62
9.8	आज़ादी का अमृत महोत्सव	63
अध्याय–10	**रा.ज.वि.अ. में सतर्कता गतिविधियां**	
10.1	परिचय	65
10.2	सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले	65
10.3	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	65
अध्याय–11	**राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग**	66
अध्याय–12	**वित्त एवं लेखा**	

12.1	राज्यों को केन्द्रीय सहायता – पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि सिंचाई फंडिंग(एल.टी.आई.एफ.)	67
12.2	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ. को अनुदान सहायिकी तथा वास्तविक व्यय	67
12.3	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखा परीक्षा	67
अध्याय–13	**आभारोक्ति**	68

परिशिष्ट संख्या	**परिशिष्ट की सूची**	**पृष्ठ संख्या**
परिशिष्ट–।	राज्य सरकारों से प्राप्त अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति	69
परिशिष्ट–।।	2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया।	72
परिशिष्ट–।।।	वर्ष 2020–21 के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के लेखे, लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उन पर राजविअ के उत्तर	73

लघुरूप

एआईबीपी (AIBP)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
सीए (CA)	केंद्रीय सहायता
सीएडी (CAD)	कमान क्षेत्र विकास
सीसीए (CCA)	कृषियोग्य कमान क्षेत्र
सीडीओ(CDO)	केंद्रीय डिजाइन संगठन
सीडीआरसी(CDRC)	वर्गीकृत डेटा रिलीज समिति
सीई(CE)	मुख्य अभियंता
सीईए (CEA)	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीईसी (CEC)	केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति
सीजीडब्ल्यूबी (CGWB)	केंद्रीय भूजल बोर्ड
सीपीईएस (CPES)	केंद्रीय ऊर्जा अभियांत्रिकी सेवा
सीएसएमआरएस(CSMRS)	केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान शाला
सीडब्ल्युसी(CWC)	केंद्रीय जल आयोग
सीडब्ल्युईएस(CWES)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा
सीडब्ल्युपीआरएस(CWPRS)	केंद्रीय जल एवं ऊर्जा अनुसंधान केंद्र
डीईजी(DEG)	दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी
डीओओएल(DoOL)	राजभाषा विभाग
डीओडब्ल्युआर, आरडी एंड जीआर(DoWR,RD&GR)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
डीपीएलपी(DPLP)	दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना
डीपीआर(DPR)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीवीजी(DVG)	दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी
ईसी(EC)	पर्यावरण मंजूरी
ईआईए (EIA)	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
ईएल(EL)	ईएल
ईओआइ(EOI)	रुचि की अभिव्यक्ति
ईआरसीपी(ERCP)	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
एफआर(FR)	संभाव्यता रिपोर्ट
एफआरएल(FRL)	पूर्ण जलाशय स्तर
एफएस(FS)	फरक्का–सुंदरबन
जीबी(GB)	शासी निकाय
जीसीए (GCA)	सकल कमान क्षेत्र
जीसीजीएएलपी(GCGALP)	गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना
जीडीएस(GDS)	गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा
जीआईए (GIA)	सकल सिंचाई क्षेत्र
जीओआइ(GOI)	भारत सरकार
जीएसआई(GSI)	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण
एचए (HA)	हेक्टेयर (100 मी *100 मी)
आईबीडब्ल्युटी(IBWT)	अंतर बेसिन जल अंतरण
आईएलआर(ILR)	नदियों को आपस में जोड़ना
आईएमडी(IMD)	भारत मौसम विज्ञान विभाग
केबीएलपी(KBLP)	केन–बेतवा लिंक परियोजना
केएम(KM)	किलो मीटर
केएनएनएल(KNNL)	कर्नाटक नीरावरी निगम लिमिटेड

एलए (LA)	भूमि अधिग्रहण
एलटीआईएफ(LTIF)	दीर्घ अवधि सिंचाई निधि
एमसीएम(MCM)	मिलियन क्यूबिक मीटर
एमआईएस(MIM)	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएमआई(MMI)	प्रमुख और मध्यम सिंचाई
एमओए (MoA)	समझौता अनुबंध
एमओईए (MoEA)	विदेश मंत्रालय
एमओईएफ और सीसी (MoEF & CC)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओएफ(MoF)	वित्त मंत्रालय
एमओएचए (MoHA)	गृह मंत्रालय
एमओजेएस(MoJS)	जल शक्ति मंत्रालय
एमओपी(MoP)	विद्युत मंत्रालय
एमओटीए (MoTA)	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एमओय (MoU)	समझौता ज्ञापन
एमओडब्ल्युआर, आरडी, व जीआर (MoWR, RD&GR)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
एमएसटीजीएलपी(MSTGLP)	मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक परियोजना
एमडब्ल्यू(MW)	मेगावाट
नाबार्ड(NABARD)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनबीडब्ल्यूएल(NBWL)	नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ
एनजीटी(NGT)	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
एनएचआरसी(NHRC)	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एनआईएच(NIH)	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एनपीपी(NPP)	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना
एनआरएससी(NRSC)	राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन केंद्र
एनडब्ल्यूडीए (NWDA)	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
पीएएफ(PAF)	परियोजना प्रभावित परिवार
पीएफएमएस(PFMS)	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएफआर(PFR)	पूर्व–संभाव्यता रिपोर्ट
पीआईबी(PIB)	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पीकेसीएलपी(PKCLP)	पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना
पीकेएसएलपी(PKSLP)	पार्वती–कुनो–सिंध लिंक परियोजना
पीएमसीसी(PMCC)	परियोजना निगरानी और समन्वय सलाहकार
पीएमएफ(PMF)	संभावित अधिकतम बाढ़
पीएमकेएसवाई(PMKSY)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमयू(PMU)	परियोजना निगरानी इकाई
पीटीएनएलपी(PTNLP)	पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना
पीडब्लूबीएस(PWBS)	प्रारंभिक जल संतुलन अध्ययन
आर एंड आर(R&R)	पुनर्वास और पुनःस्थापना
आरआरआर (RRS)	मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली
एस एंड आई(S&I)	सर्वेक्षण और अन्वेषण
एससीआईएलआर (SCILR)	'नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति
एसजीएम (SGM)	विशेष सामान्य बैठक
एसजेसी (SJC)	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त
एसएम (SM)	सुवर्णरेखा–महानदी

एसएमआई(SMI)	सतही लघु सिंचाई
एसपीवी (SPV)	विशेष प्रयोजन वाहन
एसटीजी (STG)	गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां
टीएसी (TAC)	तकनीकी सलाहकार समिति
टीएफआईएलआर (TFILR)	नदियों को आपस में जोड़ने पर कार्यबल
टीओआर (TOR)	संदर्भ की शर्तें
टीएस (TS)	स्थलाकृतिक अध्ययन
टीएसए (TSA)	ट्रेजरी सिंगल अकाउंट
यूटी (UT)	केंद्र शासित प्रदेश
डब्ल्यूपी (WP)	रिट याचिका
डब्ल्यूआरडी (WRD)	जल संसाधन विभाग

अध्याय 1
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

1.0 प्रस्तावना

जैसा कि हम जानते हैं कि मानवता के संपोषण योग्य विकास तथा ग्रह के पारिस्थितिकीय तंत्र दोनों के लिए जल अनिवार्य है। हालांकि, वैश्विक और स्थानिक तौर पर ताजा जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। कुल 1400 मिलियन घन किमी ताजे जल के 2.7 प्रतिशत में से अधिकांश भाग या तो हिम के आवरण या गहरे जलभृत के रूप में है और केवल उसका थोड़ा सा भाग उपयोग योग्य उपलब्ध है।

हालांकि, भारत को दुनिया की लगभग 16 प्रतिशत आबादी और 15 प्रतिशत पशुधन का समर्थन करना है, हमारे पास दुनिया की केवल 2.4 प्रतिशत भूमि और 4 प्रतिशत जल संसाधन हैं। एक वर्ष में उपलब्ध लगभग 4,000 घन किमी वर्षा में से, 3,000 घन किमी वर्षा के रूप में आती है, जो सामान्य रूप से जून से सितंबर तक शुरू होने वाले लगभग तीन से चार महीनों की एक छोटी मानसून अवधि में होती है। देश की औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता 1869 घन किमी होने का अनुमान है। हालांकि, जलवैज्ञानिक, स्थलाकृतिक और भूवैज्ञानिक सीमाओं के कारण, पारंपरिक भंडारण और पथांतरण संरचनाओं के माध्यम से केवल 690 घन किमी सतही जल का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, स्थान और समय के साथ जल संसाधनों की सीमित उपलब्धता में दिखाई देने वाली असमानता जल संसाधनों के वितरण को स्थानिक और समय पर असमान बना देती है। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण, हमारे देश–भारत, विशेष रूप से जल क्षेत्र में दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लगभग प्रतिवर्ष एक साथ सूखा और बाढ़ दोनों का सामना साथ–साथ करना पड़ता है।

आज भारत में हम देखते हैं कि सूखा और बाढ़ एक सामान्य घटना है और सह–अस्तित्व सतत विकास और राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता के निर्माण के लिए एक प्रबल खतरा है। भले ही, वर्तमान परिदृश्यों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रबंधन किया जा सकता है। इस दिशा में, अधिशेष मानसून जल का, जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण एक संभावित संभावना और व्यवहार्य विकल्प है। संचालन का यह तरीका अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, जल विद्युत उत्पादन के साथ–साथ घरेलू, औद्योगिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता और वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में मदद करेगा। सूखे और बाढ़ की पुनरावृत्ति और संबंधित प्रतिकूल प्रभाव एक बार फिर से संरक्षण संरचनाओं और सिंचाई नेटवर्क के विकास की आवश्यकता है ताकि कृषि क्षेत्रों में जल संसाधनों की समय पर आपूर्ति में कमी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जा सके और क्षेत्रों के साथ–साथ पूरे देश में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में सुधार किया जा सके।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग जलवायु और वर्षा पैटर्न के कारण, देश के विभिन्न राज्यों ने किसी न किसी तरह से विनाशकारी बाढ़ और सूखे की पीड़ा का अनुभव किया है और वह भी लगभग हर साल और एक ही समय में। जनसंख्या और विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के साथ, लोगों की बाढ़ के मैदानों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति रही है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ की स्थिति में संपत्तियों को और अधिक नुकसान हुआ है और जानमाल का भी नुकसान हुआ है। अक्सर, जलवायु परिवर्तन की घटनाओं और अलग–अलग वर्षा वितरण पैटर्न के कारण, ऐसे क्षेत्र जो परंपरागत रूप से बाढ़ से ग्रस्त नहीं थे, वे भी गंभीर बाढ़, सैलाब और भूस्खलन का सामना कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में असुरक्षा और भय का भाव व्याप्त होने लगा है।

बाढ़ और सूखे के बाद के प्रभाव, जैसे जीवित बचे लोगों की पीड़ा, बीमारियों का प्रसार, आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता और खाद्य पदार्थों/आवासों/संपत्तियों की हानि प्राकृतिक आपदा को मानव जाति द्वारा सामना की जाने वाली सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक बनाती है।

भारत में, भू–स्थलीय और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, लगभग 60 प्रतिशत भू भाग बाढ़ की चपेट में था और भारत के लगभग हर पाँचवें जिले में वर्ष 2020–21 के दौरान सूखे जैसी परिस्थितियां थी जो सभी पर्यावरणीय संकटों में से सबसे आम माना जाता है। देश भर में वर्ष 2020–21 के दौरान आई बाढ़ और सूखे ने एक बार फिर से जल संरक्षण, वितरण और इसके सतत विकास और प्रबंधन के लिए निगरानी उपायों के बारे में योजनाएं बनाने के लिए शासन में सामंजस्य तैयार करने और इसके लिए आवश्यक ध्यान और विचार–विमर्श पर प्रकाश डाला।

भारत की विभिन्न नदी बेसिनों/उप–बेसिनों के जल संसाधनों की उपलब्धता में बड़ी मौसमी और स्थानिक असमानता को देखते हुए, पानी के अंतर बेसिन जल अंतरण (आईबीडब्ल्यूटी) को जल संसाधनों के न्याय सम्मत वितरण और ईष्टतम विकास के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक माना गया है। वर्तमान संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों से जूझ रहे हैं और बहुत ही कम समय के भीतर कुछ दिनों की भारी बारिश का सामना कर रहे हैं, जिससे जल की अंतर बेसिन अंतरण परियोजनाओं और इसके प्रस्तावों को न केवल राष्ट्रीय मोर्चे पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी बहुत अधिक ध्यान मिल रहा है।

लगभग सभी हितधारक इस बात से सहमत होंगे कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता के स्थान पर आवश्यक मात्रा में गुणात्मक और मात्रात्मक जल संसाधनों की समय पर उपलब्धता आवश्यक है। हालांकि, संबंधित राज्य सरकारों को उनके क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावित अंतःबेसिन जल अंतरण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति प्रदान करने के लिए राजी करना उचित नहीं होगा जब तक कि अतिरिक्त पानी के द्वारा उनकी क्षेत्रीय पानी की मांग को आर्थिक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य उपायों से पूरा नहीं किया जाता है। इसलिए, सभी के लिए लाभकारी समाधान उत्पन्न करने के लिए जल संसाधनों की योजना, प्रबंधन और वितरण में एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण इस तरह से अपनाया जाना चाहिए कि हमारे देश के किसी भी हिस्से का आर्थिक और सतत विकास नदी बेसिनों/उप बेसिनों की सीमाओं के भीतर या उसके पार जल संसाधनों के ईष्टतम विकास को लगभग प्रति वर्ष बाढ़ और सूखों की प्रतिकूलता के प्रभाव से बचाने के लिए अंतर बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं और अंतः बेसिन जल अंतरण परियोजनाओं को पुरातन और पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धतियों के साथ संयुक्त रूप से क्रियान्वित करना होगा।

उपरोक्त उद्धृत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अंतर बेसिन जल अंतरण की अवधारणा को पहले डॉ. के.एल. राव को 1972 में 'नेशनल वाटर ग्रिड' और कैप्टन दस्तूर ने 1977 में 'गारलैंड कैनाल' के रूप में प्रस्तुत किया था। विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा दोनों योजनाओं की जांच की गई और इन्हें तकनीकी–आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। बाद में जल संसाधनों के विकास के लिए अधिशेष नदी बेसिनों से जल कमी वाले नदी बेसिनों में जल अंतरण करने के लिए अगस्त 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (ज. श. मं., ज. सं., न. वि. और गं. सं. वि.) ने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) बनाई। एनपीपी में दो घटक शामिल हैं, नामतः 1) प्रायद्वीपीय नदी विकास और 2) हिमालयी नदी विकास। इस बात पर बल दिया गया है कि एनपीपी के कार्यान्वयन से भूजल के बढ़ते उपयोग से सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर, 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे अंतिम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगी और 34 मिलियन किवा ऊर्जा का उत्पादन होगा और इसके अलावा बाढ़ और सूखा शमन, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण, रोजगार सृजन आदि जैसे आनुषंगिक लाभ भी होंगे।

जल संसाधनों के विकास के लिए एनपीपी के अधीन आने वाले प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में विस्तृत अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण (एस एंड आई) कार्यों को करने के लिए राजविअ की स्थापना वर्ष 1982 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग), के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। राजविअ के कार्यों को तब राजपत्र अधिसूचना संख्या 1(7)/80–पीपी दिनांक 26–08–1981 के पैरा 4 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था।

भारत सरकार (भारत सरकार) ने बाद में संकल्प संख्या 22/27/92–बीएम दिनांक 11 मार्च, 1994 के माध्यम से एनपीपी के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए राजविअ के कार्यों को संशोधित किया। राजविअ सोसायटी और शासी निकाय की संरचना संकल्प संख्या 1(7)/80–पीपी दिनांक 26–08–1981 के पैरा 3 और 5 में निहित जिसे संकल्प संख्या 2/9/2002–बीएम दिनांक 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के माध्यम से संशोधित किया गया और अधिसूचना संख्या 2/18/2005–बीएम दिनांक 30.11.2006 के अधीन संबंधित राज्यों की सहमति के बाद एनपीपी के अधीन नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की गतिविधि को शामिल करने के लिए राजविअ के कार्यों में आशोधन किया गया।

बाद में, अंतःराज्यीय जल अंतरण परियोजनाओं में भी गति आने लगी। जून 2005 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय ने बिहार जैसे राज्यों में अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और राजविअ द्वारा अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की पूर्व–संभाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) संभाव्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए अपनी मंजूरी से अवगत कराया। जब राजविअ ने भारत सरकार के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से आगे के अध्ययन के लिए अपने क्षेत्र की अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं के विवरण के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया, तो बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों से संबंधित विवरण प्रस्तुत किए।

इसके अलावा, संबंधित सह–बेसिन राज्यों की सहमति से राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की डीपीआर तैयार करना भी संकल्प संख्या 2/18/2005–बीएम/943 दिनांक 19 मई 2011 के अंतर्गत राजविअ के कार्यों में जोड़ा गया था।

आगे, राजपत्र अधिसूचना संख्या 2/17/2016–बीएम दिनांक 07–10–2016 के माध्यम से राजविअ के अधिदेश में दो और नए कार्य जोड़े गए, अर्थात (।) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अधीन परियोजनाओं को शुरू, निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, कार्यान्वयन करना और (।।) परियोजनाओं के निष्पादन के लिए उधार ली गई धनराशि या जमा पर प्राप्त धन या पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए ब्याज पर दिए गए ऋण के भंडार के रूप में कार्य करना। बाद में राजविअ के कार्यों (डी) में गजट अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2020 संदर्भ जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग दिनांक 16 मार्च, 2020 के द्वारा ''संबंधित राज्यों से सहमति मिलने के पश्चात जल संसाधनों के विकास के लिए एन.पी.पी. के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करना'' जल संसाधनों के विकास के लिए एन.पी.पी. के अंतर्गत नदी लिंक प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण करना तथा इसके बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित राज्य के साथ मतैक्यता स्थापित कराने के लिए आशोधन करने का निर्णय लिया गया।

राजविअ को उपरोक्त गतिविधियों/उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए 31–03–2021 तक आशोधित/संशोधित इसके कार्य निम्नानुसार हैं:

1.2 31.03.2021 को रा.ज.वि.अ. के कार्य :–

- तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालय नदी विकास घटक के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभावित जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

- विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरित की जा सकती है, के संबध में व्यापक अध्ययन करना।

- प्रायद्वीपीय नदी विकास एवं हिमालय नदी विकास से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

- जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य करना और उसके बाद प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क करना।

- राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

- नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने तहत लेना/निर्माण/मरम्मत/नवीयन/पुनर्वास/क्रियान्वयन करना।

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी और प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।

- उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

अध्याय–2

मुख्यालय और संगठनात्मक ढांचा

2.1 मुख्यालय और संगठनात्मक ढाँचा

भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष स्तर के महानिदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं, जो सोसाइटी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों जिनमें तकनीकी, विधिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। रिर्पोटिंग अवधि के दौरान श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ हैं। मुख्यालय में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. की सहायता के लिए– मुख्य अभियंता (मुख्या.), निदेशक (तक.), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशा.), निदेशक (एम.ड़ी.यू.) एवं दो अधीक्षण अभियंता हैं। रा.ज.वि.अ. के दो क्षेत्रीय संगठन (उत्तर एवं दक्षिण) हैं, प्रत्येक का प्रमुख मुख्य अभियंता हैं। दिनांक 31.03.2020 को उत्तरी संगठन के अंतर्गत 3 सर्किल, 7 प्रभाग तथा 3 उप प्रभाग और दक्षिणी संगठन के अंतर्गत 2 सर्किल, 8 प्रभाग हैं।

31.03.2020 को रा.ज.वि.अ. के अधीक्षण अभियंता स्तर तक का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नानुसार है जो अन्वेषण सर्किल स्तर तक दर्शाता है:

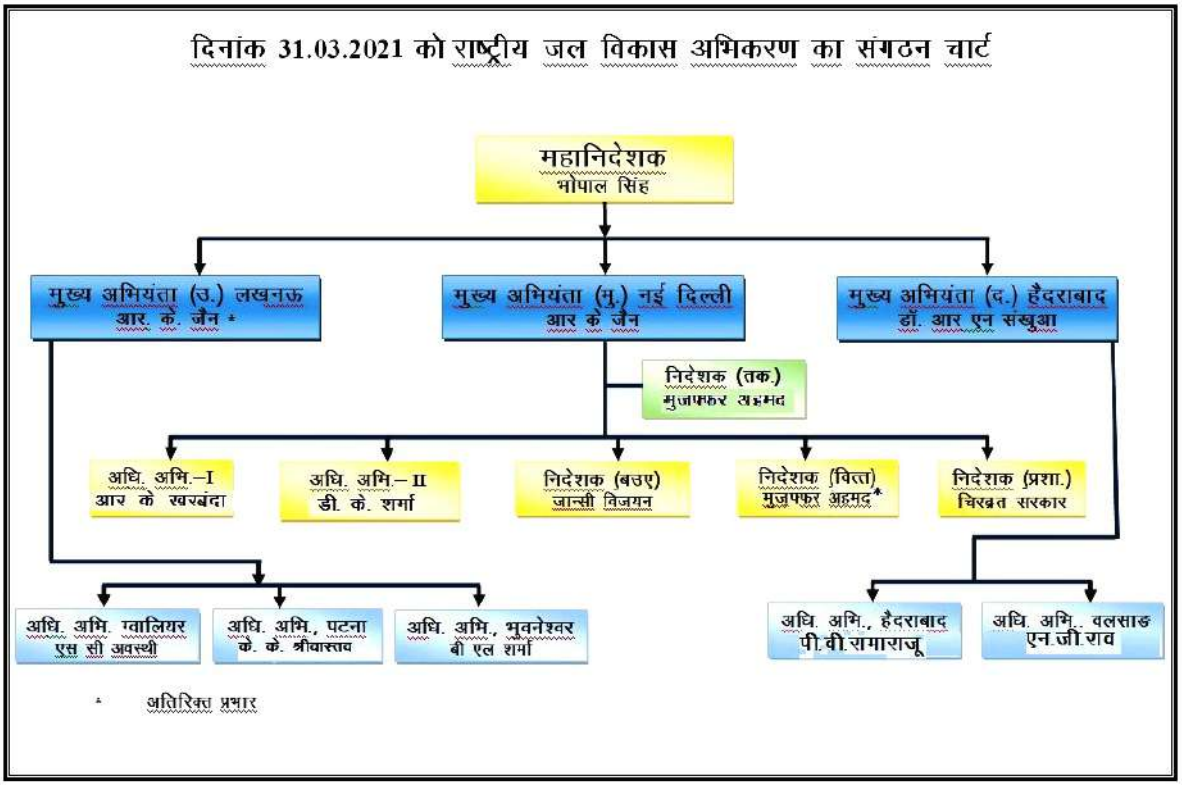

जैसा कि उपरोक्त संगठन चार्ट में दिखाया गया है, मुख्य अभियंता (उत्तर) संगठनात्मक ढांचे के अधीन, 3 अन्वेषण सर्किल हैं। तीनों अन्वेषण सर्किल के प्रमुख अधीक्षण अभियंता (अ.अ.) {ग्वालियर, भुवनेश्वर और पटना} हैं। इसके साथ–साथ 7 अन्वेषण प्रभाग (अ.प्र.) और 3 अन्वेषण उप–प्रभाग (उ.अ.प्र.)) और 7 अ. प्र. के प्रमुख कार्यपालक अभियंता (का. अ.) {झांसी, भुवनेश्वर, पटना, भोपाल, कोलकाता, लखनऊ और ग्वालियर)} हैं और 3 उप प्रभाग, नामतः राजामुंदरी, रांची और जयपुर हैं जो क्रमशः भुवनेश्वर, पटना और ग्वालियर के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं।

मुख्य अभियंता (दक्षिण) संगठनात्मक ढांचे के अधीन, अधीक्षण अभियंता(अ.अ.) {वलसाड और हैदराबाद} की अध्यक्षता में 2 अन्वेषण सर्किल हैं। 2 अन्वेषण सर्किल के अधीन कार्यपालक अभियंता (का अ) {वलसाड, नागपुर, वडोदरा, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, नासिक–। और नासिक–।।} है जिनकी संख्या 08 है।

रा.ज.वि.अ. के कार्यालयों की स्थिति को दर्शाता हुआ मानचित्र निम्नवत हैः

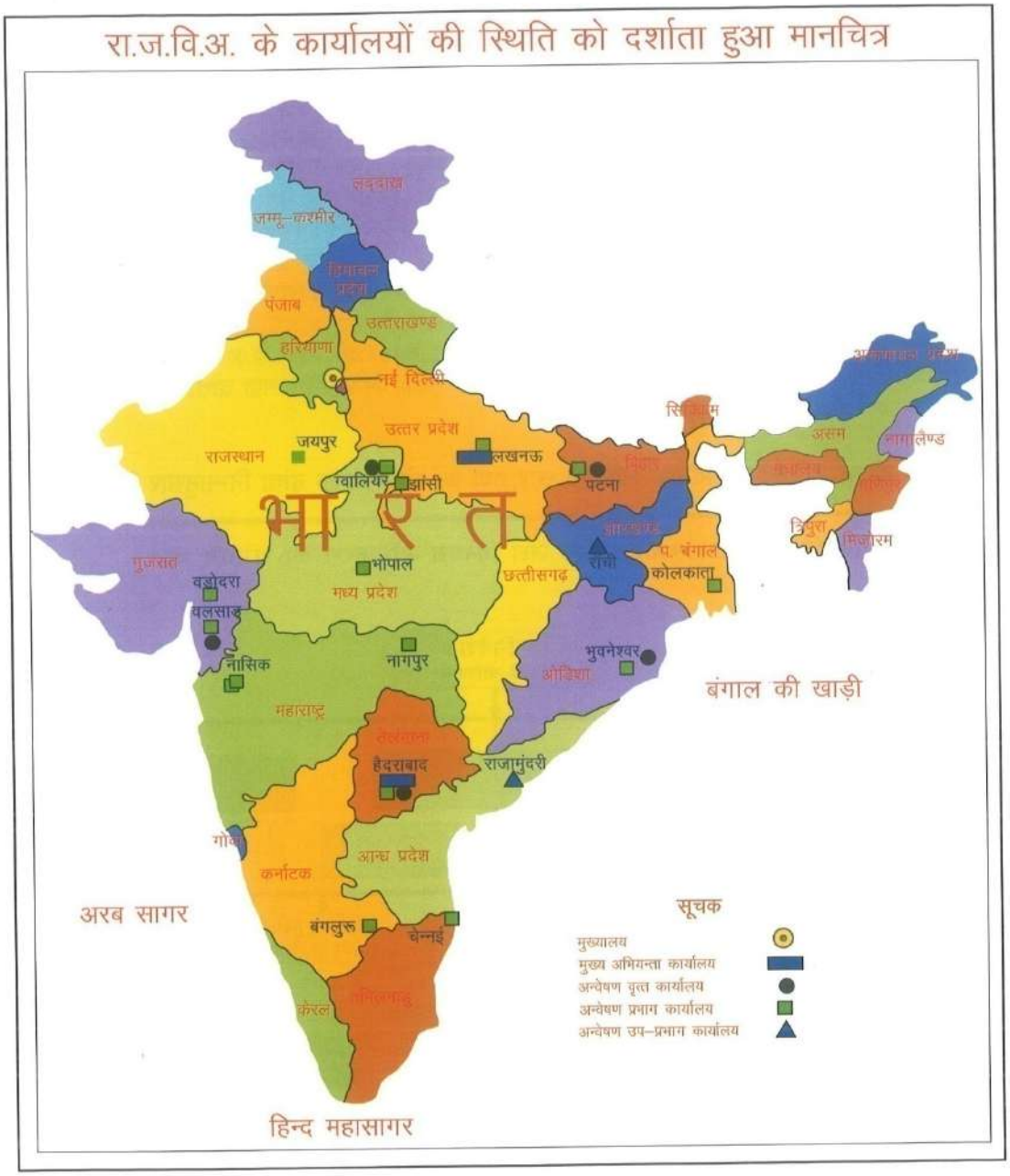

2.2 कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार 31.03.2021 को राजविअ की स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 493 थी। राजविअ भारत सरकार द्वारा समय–समय पर संबंधित विभाग और मंत्रालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों विशेष रूप से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाओं में आरक्षण और भारत सरकार के अन्य लाभों को प्रदान करने के संबंध में पालन कर रहा है। वर्ष 2020–21 के दौरान राजविअ में सीधी भर्ती के माध्यम से अवर श्रेणी लिपिक के पद पर दस (10) उम्मीदवारों सहायक अभियंता के पद पर एक (1) उम्मीदवार, कनिष्ठ अभियंता के पद पर सात (7) उम्मीदवार, कनिष्ठ लेखाकार के पद पर दो (2) उम्मीदवार, आशुलिपिक ग्रेड–।। के पद पर तीन (3) उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई।

31.03.2021 को राजविअ के (समूह–वार) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीएच/भूतपूर्व सैनिक/सामान्य कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है:

31.03.2021 को रा.ज.वि.अ. के कर्मियों की संख्या (श्रेणीवार)

श्रेणी	स्वीकृत पद	एस. आई.यू. के अनुसार	भरे हुए							रिक्त
			अ. जाति	अ.जन. जाति	अ.पिछड़ा वर्ग	शा. विकलांग	भू. सैनिक	सामान्य	कुल	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
समूह–क	59	59	09	1	3	–	–	39	52	7
समूह–ख	143	142	13	08	21	02	–	74	118	25
समूह–ग	299	292	40	14	25	03	02	130	214	85
कुल	**501**	**493**	**62**	**23**	**49**	**05**	**02**	**243**	**384**	**117**

टिप्पणी : (i) कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) की संस्तुतियों के अनुसार घोषित अधिशेष पदों को सेवानिवृत्ति या अन्य प्रकार से समायोजित किया जाएगा।

2.3 रा.ज.वि.अ. सोसाइटी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संगठन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी है तथा अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जा रही इसकी प्रगति तथा उसके कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने तथा ऐसे नीति निर्देशन, जिन्हें सोसाइटी उचित समझे, देने के लिए सोसाइटी की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष इसके कार्य संचालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो सोसाइटी द्वारा उन्हें दी जाती हैं। इसके साथ–साथ समय–समय पर सोसाइटी के कार्यों तथा प्रगति की समीक्षा करने तथा सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियां और आयोग नियुक्त करने अथवा सोसाइटी की कार्य स्थिति के विषय में जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने और ऐसे आदेश, जिन्हें वे उचित समझें, देने का अधिकार भी अध्यक्ष को प्राप्त है। रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31.03.2021 तक सोसाइटी की छह विशेष सामान्य बैठकें तथा चौंतीस वार्षिक सामान्य बैठकें हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी का संघटन

1.	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग	सदस्य
4.	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा पुड्डुचेरी संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि, जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/सिंचाई के प्रभारी हों	सदस्य
5.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
8.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
9.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
10.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
11.	सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
12.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
15.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
17.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
18.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
19.	महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
20.	भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण विभाग	सदस्य
21.	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान अभिकरण या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
23.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
24.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

(31.03.2021 को कुल सदस्य 63)

राजविअ सोसाइटी की 34वीं एजीएम दिनांक 07.12.2020 को श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि अपरिहार्य कारणों से माननीय जल शक्ति मंत्री एवं राजविअ सोसायटी के अध्यक्ष बैठक में शामिल नहीं हो सके। डॉ महेंद्र सिंह, माननीय जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार, श्री उदयलाल अंजाना, माननीय मंत्री, आईजीएनपी, राजस्थान सरकार, श्री राम किशोर कावरे, माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार और विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के सदस्यों / प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति ने अपने उद्घाटन भाषण में जोर देकर कहा कि नदियों को जोड़ने का (आईएलआर) कार्यक्रम देश की जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पानी की कमी, वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र, सूखा प्रवण क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराने में बहुत मददगार साबित होगा। उन्होंने पुष्टि की कि भारत सरकार संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग के साथ नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

माननीय मंत्री ने अंतरराज्यीय और अंतःराज्यीय नदियों के जोड़ से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की डीपीआर और पीएफआर/संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी में राजविअ द्वारा की गई प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उल्लेख किया कि केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी) के लिए अधिकांश मंजूरी दे दी गई हैं और आशा व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे पर आम सहमति जैसे कुछ छोटे फैसले जल्द ही दोनों राज्यों के परामर्श और सहयोग से सुलझा लिए जाएंगे। . उन्होंने बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री, नदी जोड़ मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने केबीएलपी के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की।

(श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, राजविअ सोसाइटी की 34वीं एजीएम की अध्यक्षता करते हुए। उनके दायीं ओर श्री यू.पी. सिंह, सचिव (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग); उनके बायीं ओर श्री श्रीराम वेदिरे, मंत्री के सलाहकार (जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) और श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक राजविअ)

माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री की अध्यक्षता में विशेष सैल नदी जोड़ की 18वीं बैठक भी उसी दिन/समय पर वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, नदी जोड़ कार्यक्रम/नदी जोड़ कार्यान्वयन से संबंधित अतिरिक्त मामलों पर विशेष सैल नदी जोड़ की 18वीं बैठक में विचार–विमर्श किया गया, जिसे अध्याय–3 में प्रस्तुत किया गया है।

2.4 शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.) सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख–रेख, उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन–पत्र के अनुसार सोसाइटी की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति–निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है।

रा.ज.वि.अ.के शासी निकाय के सदस्यगण

1.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
3.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
4.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयया उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, नीति आयोग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
11.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
12.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
16.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
17.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
18.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम	सदस्य
19.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार	सदस्य

20.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़	सदस्य
21.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात	सदस्य
22.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा	सदस्य
23.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड	सदस्य
24.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक	सदस्य
25.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल	सदस्य
26.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्यप्रदेश	सदस्य
27.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र	सदस्य
28.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, ओडिशा	सदस्य
29.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब	सदस्य
30.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान	सदस्य
31.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु	सदस्य
32.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखण्ड	सदस्य
33.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तरप्रदेश	सदस्य
34.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल	सदस्य
35.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुद्दुचेरी	सदस्य
36.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तेलंगाना	सदस्य
37.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

(31.03.2021 रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के कुल सदस्य – 37)

राजविअ की स्थापना से, 31.03.2021 तक शासी निकाय की 67 बैठकें आयोजित की गई। राजविअ शासी निकाय की 67वीं बैठक श्री यूपी सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में 24.08.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

अपने उद्घाटन भाषण में, अध्यक्ष ने कहा कि हालांकि राजविअ द्वारा पीएफआर, एफआर, विभिन्न अंतर–राज्यीय के साथ–साथ अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर जैसे अध्ययनों की तैयारी प्रगति पर दिखाई दे रही है, लेकिन विभिन्न कारणों से नदी जोड़ परियोजनाओं में से कोई भी कार्यान्वयन तक नहीं

पहुंच पाया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बावजूद, केबीएलपी, दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना (डीपीएलपी) और पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना (पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना) जैसे प्राथमिकता वाले लिंकों को भी पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति की कमी के कारण कार्यान्वयन के लिए नहीं लिया जा सका। केबीएलपी के संबंध में, परियोजना के लिए अधिकांश मंजूरी दे दी गई है। शेष मुद्दों जैसे फंडिंग पैटर्न, जल बंटवारा, चरण–।। वन मंजूरी आदि के लिए प्रयास किया जा रहा हैं। उन्होंने राष्ट्र हित में नदी जोड़ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति पर पहुंचने के लिए सभी राज्यों का सहयोग मांगा।

राजविअ के शासी निकाय की 67वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री यू.पी. सिंह, सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

2.5 तकनीकी सलाहकार समिति

राजविअ सोसाइटी के शासी निकाय ने अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की परीक्षा और जांच के लिए अध्यक्ष, केंज.आ. की अध्यक्षता में राजविअ की एक तकनीकी सलाहकार समिति (त्कनीकी सलाहकार समिति) का गठन किया है। 31.03.2021 तक तकनीकी सलाहकार समिति की अब तक 42 बैठकें हो चुकी हैं। राजविअ की तकनीकी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 23.05.2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति का संघटन

1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	अध्यक्ष
2.	सदस्य (जल, नीति व आयोजन), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	सदस्य (एच. ई.), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सलाहकार (आई. ए.), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
9.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

13.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
14.	मुख्य अभियंता व संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	विशेष आमंत्रित
15.	प्रमुख अभियंता (अंतःराज्यीयव जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
16.	मुख्य अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।	विशेष आमंत्रित
17.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन) व संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	विशेष आमंत्रित
18.	मुख्य अभियंता, अंतःराज्यीय जल, केरल सरकार	विशेष आमंत्रित
19.	मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभि. कल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई एकक, राजस्थान सरकार	विशेष आमंत्रित
20.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिलनाडु सरकार	विशेष आमंत्रित
21.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना एकक, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार	विशेष आमंत्रित
22.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार	विशेष आमंत्रित
23.	मुख्य अभियंता (ज. सं.), सिंचाई निर्माण कार्य, पंजाब सरकार	विशेष आमंत्रित
24.	मुख्य अभियंता (लिफ्ट नहर), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार	विशेष आमंत्रित
25.	मुख्य अभियंता, पी. पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	विशेष आमंत्रित
26.	मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई व जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार	विशेष आमंत्रित
27.	मुख्य अभियंता (पी. एंड डी.),ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम	विशेष आमंत्रित
28.	मुख्य अभियंता (सिंचाई), सिंचाई विभाग, असम सरकार	विशेष आमंत्रित
29.	मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	विशेष आमंत्रित
30.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	विशेष आमंत्रित
31.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार	विशेष आमंत्रित
32.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार	विशेष आमंत्रित

(31.03.2021 को रा.ज.वि.अ. के तकनीकी सलाहकार समिति में कुल विशेष आमंत्रित सदस्य क्रमशः 12 तथा 20)

रा.ज.वि.अ. के पत्र संख्या–रा.ज.वि.अ./112/5/तक.–।/2005/भाग 37/4639–85 दिनांक 04.05.2006 के अनुसार टी.ए.सी. के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों तथा अन्वेषणों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. जलवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करना और उसे स्वीकृति देना ।
3. संबद्ध राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के प्रकाश में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार जल संतुलन तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
4. जल अंतरण लिंक प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विस्तृत अन्वेषण करने पर विचार करना तथा सहमति प्रदान करना।
5. संभाव्यता रिपोर्टों के विस्तृत अन्वेषण तथा तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना।

अध्याय–3
नदी जोड़ पर विशेष समिति, उप समितियां तथा नदी जोड़ पर कार्यबल

3.1 नदी जोड़ पर विशेष समिति

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512, वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668, वर्ष 2002 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया।

दिनांक 24.07.2014 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के निर्णयों का अनुपालन करते हुए "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" के गठन को मंजूरी दे दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" का गठन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रगति रिपोर्ट की स्थिति तथा ''नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति'' (एस.सी.आई.एल.आर.) के गठन की समीक्षा मंत्रिमंडल की दिनांक 18.11.2015, 15.11.2016, 06.06.2018 और 29.07.2020 की बैठकों में की गई।

3.2 नदी जोड़ पर विशेष समिति की उप समितियां

विशेष सैल–नदी जोड़ ने चार विशिष्ट उप–समितियों का गठन किया है;

1. नदी जोड़ के मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के व्यापक मूल्यांकन के लिए उप–समिति

2. सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए सिस्टम स्टडीज के लिए उप–समिति,

3. रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन के लिए उप–समिति और

4. संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए उप–समिति।

तीन उप–समितियां क्रमांक संख्या (1) से क्रमांक संख्या (3) का गठन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.02.2015 द्वारा किया गया था। उपसमिति (4), रा.ज.वि.अ. के अंतर बेसिन जल अंतरण के प्रस्तावों पर राज्यों के बीच आम सहमति पर पहुंचने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए समूह के संबंध में है। जून, 2002 में तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा गठित उप–समिति का नाम बदलकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के माध्यम से आम सहमति बनाने के लिए किया गया।

3.3 नदी जोड़ पर कार्यबल

इसके अलावा, तत्कालीन जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री बी.एन. नवलावाला, तत्कालीन मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अपने पत्र 13.04.2015 को नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित नदी जोड़ कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहा। श्री नवलावाला ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और अब श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) को नदी जोड पर कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नदी जोड़ पर कार्यबल के अधीन संबंधित पहलुओं को देखने और नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कार्यबल

को सलाह देने के लिए दो समूहों, अर्थात् "कानूनी पहलुओं पर समूह" और "वित्तीय पहलुओं पर समूह" का गठन किया गया है।

3.4 नदी जोड़ पर विशेष सैल, उप–समिति और नदी जोड़ पर कार्यबल की गतिविधियां

31.03.2021 तक, नदी जोड़ पर विशेष सैल की 18 बैठकें हुई। उप–समिति–। की 8 बैठकें; उप–समिति–।। की 16 बैठकें; उप–समिति–IV की 4 बैठकें; नदी जोड़ पर कार्यबल की 13 बैठकें; कानूनी समूह की 10 बैठकें; और वित्तीय समूह की 13 बैठकें रा.ज.वि.अ द्वारा आयोजित की गई थीं। कानूनी समूह ने अपनी 10वीं बैठक (17.03.2017 को आयोजित) के दौरान अध्यक्ष, नदी जोड़ पर कार्यबल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि वित्तीय समूह ने अपनी 13 वीं बैठक (25.07.2018 को आयोजित) में नदी जोड़ पर कार्यबल को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सौंपी।

राज.वि.अ के पुनर्गठन पर उप–समिति–।।। ने 21.09.2015 को, रा.ज.वि.अ. अधिकारियों के साथ कई बैठकें और इन–हाउस चर्चा के बाद, तत्कालीन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसके बाद, विशेष सैल–नदी जोड़ ने 29.04.2016 को आयोजित 9वीं बैठक से शुरू होने वाली अपनी विभिन्न बैठकों के दौरान तत्कालीन सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) को रा.ज.वि.अ. के पुनर्गठन की प्रक्रिया करने की सलाह दी। मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में सूचित किया कि जैसा कि मंत्रालय बड़े सुधार कर रहा है, कुल मिलाकर मंत्रालय रा.ज.वि.अ के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, यह पुनर्गठन, मंत्रालय के बड़े सुधारों का उपसमूह बन जाएगा। रा.ज.वि.अ द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन और अन्य कार्यों के लिए प्राथमिकता वाली नदी जोड़ परियोजनाओं अर्थात केबीएलपी, पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने 17.01.2018 को आयोजित नदी जोड़ पर विशेष सैल की 14 वीं बैठक में सलाह दी थी कि तत्कालीन सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) रा.ज.वि.अ. के तत्काल पुनर्गठन पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

01.04.2020 से 31.03.2021 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, नदी जोड़ पर विशेष सैल की एक बैठक (18वीं); उप–समिति–।। की दो बैठकें (15वीं और 16वीं) और नदी जोड पर कार्यबल की दो बैठकें (12वीं और 13वीं) उप–समिति–IV की दो बैठकें (तीसरी और चौथी) निम्नलिखित विवरणानुसार आयोजित की गईं :

3.4.1 नदी जोड़ पर विशेष सैल की 18वीं बैठक

नदी जोड़ पर विशेष सैल की 18वीं बैठक 07.12.2020 को श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और राज्य सरकार के संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

18वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, उनके दायीं ओर श्री यू.पी. सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय); उनके बायीं ओर श्री श्रीराम वेदिरे, मंत्री के सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) और श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, राजविअ

माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति ने अपने उद्घाटन भाषण में जोर देकर कहा कि नदी जोड़ कार्यक्रम देश की जल और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पानी की कमी, सूखा प्रवण और वर्षा आधारित खेती को पानी उपलब्ध कराने में बहुत सहायक होगा। उन्होंने भारत सरकार की संबंधित राज्य सरकारों की सहमति और सहयोग के साथ नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

माननीय मंत्री ने यह भी बताया कि श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री, नदी जोड़ कार्यक्रम को जोर–शोर से आगे बढ़ा रहे हैं और केबीएलपी के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए केबीएलपी के कार्यान्वयन के मुद्दों को सुलझाने और एमओए को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने 22.09.2020 को मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेशके जल संसाधन/जल शक्ति मंत्री तथा उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसी तरह पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना में जल बंटवारा भी चर्चा में है। माननीय मंत्री ने नदी जोड़ कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी सदस्यों विशेषकर राज्य सरकारों से सहयोग और सहायता का आग्रह किया।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बैठक में उपस्थित विभिन्न राज्यों के जल शक्ति/जल संसाधन मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया।

डॉ. महेंद्र सिंह, माननीय जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार नदी जोड़ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश, सरकार राज्य के जल संकटग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए तत्पर है।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार राज्य द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक पर अपने विचार साझा करते हुए, बूढ़ी गंडक – नून – बाया – गंगा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंक प्रोजेक्ट के लिए जल

शक्ति मंत्री द्वारा दी गई निवेश मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया और बिहार के अंतःराज्यीय लिंक प्रोजेक्ट को 90 (कें): 10 (रा) पर फंडिंग पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि बिहार के उन अंतःराज्यीय लिंकों जो राजविअ द्वारा व्यवहार्य नहीं पाए गए थे, उनकी एक बार फिर समीक्षा की जानी चाहिए, जिसके लिए बिहार सरकार हर संभव सहायता/सहयोग प्रदान करेगी।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर दिया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर यथासंभव सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 90 (कें): 10 (रा) का फंडिंग पैटर्न वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों पर लागू है।

श्री राम किशोर कावरे, जल संसाधन राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश ने कहा कि केबीएलपी पर मध्यप्रदेश राज्य के विचार केंद्र सरकार को पहले ही बता दिए गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के विचारों पर विचार कर परियोजना को और आगे ले जाने का अनुरोध किया। पार्वती–कुनो–सिंध लिंक परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य के विचारों पर विचार किया जा सकता है और लंबित मुद्दों को हल किया जा सकता है।

श्री उदयलाल अंजाना, आईजीएनपी के माननीय मंत्री, राजस्थान सरकार ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल उपलब्ध कराने के अलावा लगभग 2.0 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। परियोजना के डीपीआर की लागत रूपये 3500 करोड़ आकलित की गई तथा उसे केन्द्र सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना मानने का अनुरोध किया। कम वर्षा/शुष्क क्षेत्र आदि के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, शारदा–यमुना, यमुना–राजस्थान और राजस्थान–साबरमती की हिमालयी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर को राजस्थान राज्य को लाभ पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर लिया जाना है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि इन परियोजनाओं के मुद्दों पर संबंधित राज्यों के साथ चर्चा करनी चाहिए और उनका शीघ्रता से समाधान करना चाहिए।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि शारदा–यमुना लिंक परियोजना पहले नेपाल में महाकाली नदी के पानी के आधार पर प्रस्तावित की गई थी और अब नेपाल क्षेत्र में प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना से रिलीज पर निर्भर करती है। इसलिए, यमुना–राजस्थान और राजस्थान–साबरमती लिंक परियोजनाओं के अध्ययन में पंचेश्वर परियोजना के परिणाम के आधार पर संशोधन किया जाएगा। पंचेश्वर परियोजना पर नेपाल के साथ अधिकांश मुद्दों को सुलझा लिया गया था और कुछ छोटे मुद्दों को सुलझाया जा रहा था। पंचेश्वर परियोजना की डीपीआर के आधार पर इन लिंकों के संभाव्यता रिपोर्ट में संशोधन किया जा रहा है।

श्री आर. सुब्रमण्यम, अध्यक्ष, कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ ने तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव का प्रतिनिधित्व करते हुए, अनुरोध किया कि पेन्नार – कावेरी और गोदावरी – कावेरी लिंक सिस्टम की लिंक नहर को तमिलनाडु के जरूरतमंद क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए कावेरी पर कट्टलाई लिंक प्वाइंट तक उच्च स्तर पर ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने कावेरी–वैगई लिंक को शीघ्र ही एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लेने का अनुरोध किया। उन्होंने महानदी (बरमूल)–गोदावरी लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट की एक प्रति भी मांगी।

श्री आर के नागरिया, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस डीपीआर को अंतिम रूप देते समय बालाघाट परियोजना की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने गंगा से महानदी तक जल पथांतरण के लिए लिंक के अध्ययन को जल्द पूरा करने की भी मांग की।

सचिव (डब्ल्यूआर), कर्नाटक सरकार ने गोदावरी–कावेरी लिंक परियोजना के वैकल्पिक प्रस्ताव के माध्यम से कर्नाटक राज्य को पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

श्री प्रशांत कुमार, सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार ने सूचित किया कि बारकर–दामोदर–सुवर्णरेखा लिंक परियोजना के जल संतुलन पर उनकी टिप्पणियाँ भेज दी गई हैं, और उन पर विचार किया जाना चाहिए।

राज्य सरकारों के विचारों को सुनने के बाद सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने उल्लेख किया कि राज्य सरकारों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नदी जोड़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।

3.4.2 नदी जोड़ पर कार्यबल की 12वीं व 13वीं बैठकें

नदी जोड़ पर कार्यबल की बारहवीं और तेरहवीं बैठकें क्रमशः 16.07.2020 और 25.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, टास्क फोर्स और सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित की गईं।

3.4.2.1 नदी जोड़ पर कार्यबल की 12वीं बैठक

बारहवीं बैठक में, 01. पार्वती–कालीसिंध–चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना और ईआरसीपी का एकीकरण, 2. योजना मानदंड स्तर 75% निर्भरता स्तर से 50% की कम निर्भरता पर पथांतरण और पानी के अंतरण के लिए पानी की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे; पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना का कार्यान्वयन और पानी का राज्यवार आवंटन; 3. गोदावरी के पानी को कावेरी बेसिन (चरण– I) तक पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव और नदी घाटियों में उपलब्ध अप्रयुक्त पानी का ईष्टतम उपयोग; और 4. मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक परियोजना (एमएसटीजीएलपी) और विदेश मंत्रालय (एमओईए) और जल शक्ति मंत्रालय की सहायता से पक्षकार राज्यों के साथ–साथ भूटान और बांग्लादेश के पड़ोसी देशों के साथ बातचीत शुरू करने की रणनीति पर विचार किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिनांक 16.07.2020 को आयोजित नदी जोड पर कार्यबल–नदी जोड़ की 12वीं बैठक

इसके अतिरिक्त, नदी जोड पर कार्यबल द्वारा कानूनी समूह की स्थापना की सिफारिशों पर भी विचार किया गया और अपेक्षित कानूनी सुधार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नीचे दिए गए तीन विकल्पों का सुझाव देने का निर्णय लिया गयाः

- सूची । की प्रविष्टि 56 के अधिदेश के अंतर्गत, देश में नदी जोड़ कार्यक्रम के माध्यम से अंतरराज्यीय नदी जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसद द्वारा एक नया अधिनियम बनाया जा सकता है।
- मौजूदा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 में उपयुक्त रूप से संशोधन करें, जिसका अब तक केंद्र सरकार द्वारा कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। उक्त अधिनियम अपेक्षित संशोधनों के बाद नदी जोड़ कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भूमिका निभा सकता है, और,
- ऊपर उल्लिखित अधिनियमों के माध्यम से, देश में नदी जोड़ कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निष्पादन प्राधिकरण/अभिकरण की स्थापना करना।

3.4.2.2 नदी जोड़ पर कार्यबल की 13वीं बैठक

13वीं बैठक में 12वीं बैठक में उपरोक्त उल्लिखित सभी मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया और साथ ही अंतरिम अवधि में हुए अद्यतनीकरण पर भी चर्चा की गई। पार्वती–कालीसिंध–चंबल और ईआरसीपी लिंक परियोजनाओं के एकीकरण पर चर्चा करते हुए, महानिदेशक, राजविअ ने नदी जोड पर कार्यबल को सूचित किया कि सदस्य (डब्ल्यू पी व पी), कें.ज.आ. की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था जो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और पथांतरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले निर्भरता मानदंड का सुझाव देता है।

महानिदेशक, राजविअ ने प्राथमिकता प्राप्त लिंक की स्थिति के बारे में भी अवगत कराया, नामतः केबीएलपी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दोनों पक्षकार राज्य, समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं और एमओए के अनुसार पानी के उपयोग को प्रतिबंधित करेंगे। जबकि महानिदेशक, राजविअ ने पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, नदी जोड पर कार्यबल के सभी सदस्यों का मत था कि लिंको के कार्यान्वयन से संबंधित मामले सर्वसहमति प्राप्त करने तथा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के उच्चतम स्तरों पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। महानिदेशक, राजविअ ने नदी जोड पर कार्यबल को सूचित किया कि राजविअ ने गोदावरी के पानी को कावेरी बेसिन (चरण–।) तक के वैकल्पिक प्रस्ताव की डीपीआर के प्रारूप को संबंधित राज्यों को परिचालित किया है और अधिकांश राज्यों ने डीपीआर के मसौदे पर अपने सुझाव / टिप्पणियों से अवगत कराया है। बैठक में महानिदेशक, राजविअ ने उल्लेख किया कि एमएसटीजीएलपी की संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन किए गए हैं और संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन करते समय निम्नलिखित तीन परिदृश्यों पर विचार करके टिप्पणियों के लिए सभी संबंधित राज्यों और संगठनों को परिचालित किया गया हैः

- प्रस्तावित मानस और संकोष बांध (वैकल्पिक–।) को ध्यान में रखते हुए जब दोनों बांध बनेंगे,
- प्रस्तावित मानस बांध पर विचार किए बिना लेकिन संकोष बांध (वैकल्पिक–।।) के साथ जब केवल संकोष बांध बनेगा और मानस नदी का अनियंत्रित प्रवाह होगा, और
- मानस–संकोष लिंक को छोड़कर संकोष–तिस्ता–गंगा लिंक (विकल्प–।।।) जिसमें मानस नदी से कोई योगदान नहीं होगा।

महानिदेशक, राजविअ ने नदी जोड़ पर कार्यबल की बैठकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और विस्तार से चर्चा के लिए एक या दो लिंकों के मुद्दों को एक बार में लेने का सुझाव दिया।

3.4.3 प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 15वीं और 16वीं बैठक

सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए सिस्टम स्टडीज" पर उप–समिति की 15 वीं 16 वीं बैठकें क्रमशः 16.06.2020 और 17.12.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रो. पी.बी.एस. सरमा (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

3.4.3.1 प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 15वीं बैठक

15वीं बैठक में महानिदेशक, राजविअ ने सबसे पहले मानस–संकोष–तिस्ता–गंगा (एमएसटीजी), फरक्का–सुदरबन (एफएस), गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा (जीडीएस), सुवर्णरेखा–महानदी (एसएम) लिंक सिस्टम के लिए सिस्टम स्टडीज शुरू करने का सुझाव दिया और उसके बाद दूसरे चरण में गोदावरी–कृष्णा –पेन्नार–कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक सिस्टम पर विचार करने का, ताकि पूरे पूर्वी और दक्षिणी लिंक तंत्र को शामिल किया जा सके। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने प्रस्ताव से सहमति जताई। बैठक में यह सुझाव दिया गया कि एनआईएच, रुड़की, वैपकोस, आईआईटी/आईआईविशेष सैल आदि जैसे क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों/एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मांगी जा सकती है, जिसमें व्यापक संदर्भ शर्तों (टीओआर) और दायरे का संकेत दिया गया हो। राजविअ द्वारा प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों से दिनांक 17 सितंबर 2020 के पत्र के माध्यम से ईओआई आमंत्रित किया गया था, जिसमें ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2020 थी ताकि मामलों को आगे बढ़ाया जा सके।

3.4.3.2 प्रणाली अध्ययन के लिए उप–समिति की 16वीं बैठक

16वीं बैठक में, उप–समिति ने 17 सितंबर, 2020 को प्रसारित ईओआई पर आईआईटी/एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बारे में चिंता व्यक्त की और 31 जनवरी, 2021 तक जमा करने की तारीख बढ़ाने का सुझाव दिया। महानिदेशक, राजविअ ने प्रस्ताव दिया कि पूर्व कार्यों के दायरे को अंतिम रूप देने के लिए उनकी टिप्पणियों और विचारों पर चर्चा करने के लिए बोली पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय प्रस्तावों को आमंत्रित करने से पहले, उनकी तकनीकी क्षमताओं को देखा जा सकता है और पहले उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और बाद में उप–समिति द्वारा विचार–विमर्श के बाद शॉर्ट लिस्टेड फर्मों से वित्तीय सहित विस्तृत प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाएंगे और प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

3.4.4 सर्वसम्मति निर्माण के लिए उप–समिति की तीसरी और चौथी बैठक

3.4.4.1 सर्वसम्मति निर्माण के लिए उप–समिति की तीसरी बैठक

28.07.2020 को कें.ज.आ. के अध्यक्ष श्री आर के जैन की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के बीच बातचीत और समझौते पर पहुंचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उप–समिति की तीसरी बैठक (तत्कालीन सर्वसम्मति समूह की 14 वीं बैठक) आयोजित की गई ।

महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना में पानी के बंटवारे के मुद्दों और इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के प्रारूप पर लम्बे समय से विचार–विमर्श किया जा रहा है। हालांकि, दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना में जल बंटवारे पर व्यापक सहमति बन गई है, पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के मामले में इस पर बातचीत चल रही है।

जब अध्यक्ष ने श्री एसके हलदर, सदस्य (डब्ल्यू पी व पी) के विचार पूछे, तो उन्होंने वर्तमान जमीनी स्थितियों, नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, आर एंड आर मुद्दों आदि पर विचार व्यक्त करते हुए पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना में प्रस्तावित बांधों और बैराजों की व्यवहार्यता की समीक्षा करने का सुझाव दिया। उन्होंने परियोजना की दक्षता बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई पर विचार करने का भी सुझाव दिया और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना और पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना दोनों के साथ–साथ चार अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की एक साथ योजना बनाई जानी चाहिए। तब महानिदेशक, राजविअ ने बताया कि प्रारूप एमओयू इसी आधार पर तैयार किया गया है।

(वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री आर के जैन की अध्यक्षता में 28.07.2020 को आयोजित सर्वसम्मति पर उप–समिति की तीसरी बैठक)

बैठक में, समूह के अध्यक्ष ने गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को जल बंटवारे के मुद्दों पर तेजी से चर्चा करने और महाराष्ट्र राज्य द्वारा आश्वासन देने के लिए सूचित किया कि महाराष्ट्र की राज्य लिंक परियोजना द्वारा तापी बेसिन में पानी की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पक्षकार राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के लिए उप–समिति की लगातार बैठकें करनी चाहिए।

3.4.4.2 सर्वसम्मति निर्माण के लिए उप–समिति की चौथी बैठक

संबंधित राज्यों के बीच समझौते पर पहुंचने और बातचीत के जरिए सहमति बनाने के लिए उप–समिति की चौथी बैठक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2020 को हुई।

मुख्य अभियंता (मुख्यालय), राजविअ ने बताया कि तीसरी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, राजविअ ने पानी की अतिरिक्त मात्रा का आकलन करने के लिए सिमुलेशन अध्ययन किया है जिसे पीटी–एन लिंक के माध्यम से उकाई जलाशय में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह आकलन किया गया है कि 200 एमसीएम की अतिरिक्त मात्रा को छह जलाशयों से 75 प्रतिशत निर्भरता पर स्पिल के माध्यम से आसानी से पथातंरित किया जा सकता है।

महानिदेशक, राजविअ ने कहा कि पीटीएन लिंक जलाशयों के स्पिल्स से महाराष्ट्र के उकाई जलाशय में अतिरिक्त 200 एमसीएम पानी का डायवर्जन और पीटीएन लिंक परियोजना में योजना के अनुसार गुजरात को सभी लाभों को बनाए रखना दोनों राज्यों के लिए एक जीत की स्थिति है और दोनों इसे राज्यों को करना चाहिए।

महाराष्ट्र के मुख्य अभियंता और संयुक्त सचिव डॉ. संजय एम. बालसारे ने कहा कि वे केवल 398 एमसीएम के बराबर मुआवजे की देख रहे हैं और नया प्रस्ताव महाराष्ट्र के लिए एक जीत की स्थिति नहीं है क्योंकि 398 एमसीएम में से उन्हें केवल 200 एमसीएम प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सिमुलेशन अध्ययन का विवरण उन्हें उच्च स्तर पर चर्चा के लिए उपलब्ध कराया जाए।

श्री जे के त्रिवेदी, अधीक्षण अभियंता, डब्ल्यूआरडी,गुजरात सरकार ने कहा कि वे भी नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे अभी तक नए प्रस्ताव से सहमत नहीं हो पाए हैं।

श्री एस. के. हलदर, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीडब्ल्यूसी ने भी अध्ययन में विचार किए गए सभी डेटा को सीडब्ल्यूसी के साथ पुनरीक्षण के लिए साझा करने के लिए कहा, जिस पर राजविअ ने सहमति व्यक्त की है।

महानिदेशक, राजविअ ने आशा व्यक्त की कि इस मामले में आम सहमति होगी और दोनों राज्यों के बीच शीत को तोड़ने के लिए एक भौतिक बैठक करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सिमुलेशन अध्ययन के बारे में विवरण अगली बैठक से पहले सभी संबंधितों के साथ साझा किया जाएगा।

सभापति ने यह भी महसूस किया कि नया प्रस्ताव दोनों राज्यों के लिए बहुत अच्छा और उचित और कमोबेश संतुलित है और उनसे इस पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पी–टी–एन लिंक परियोजना के बिना, महाराष्ट्र पूरे अधिशेष पानी को तापी बेसिन में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में होने वाले नुकसान को देखते हुए और बहुत सारे बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता होगी। ऐसे में महाराष्ट्र के लिए भी यह प्रस्ताव बेहद फायदेमंद है। उन्होंने भौतिक बैठक करने का सुझाव दिया, ताकि मामले को सुलझाने के लिए करीबी बातचीत की जा सके।

अध्याय 4

तकनीकी गतिविधियां

4.1 अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों पर अध्ययन

आरंभ में राजविअ को हमारे देश के जल संसाधन विकास के लिए एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदियों के विकास घटक से संबंधित अध्ययन कार्य सौंपा गया था। इसके बाद, 1990–91 के दौरान एनपीपी के हिमालयी नदियों के विकास घटक से संबंधित अध्ययन भी सौंपे गए। वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित राज्यों की सहमति के बाद अन्तरबेसिन जल अंतरण लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य भी राजविअ को सौंपा गया था। तदनुसार, राजविअ ने 2006–07 से केबीएलपी की डीपीआर तैयार करना शुरू किया और इसे 31.12.2008 को पूरा किया गया। केबीएलपी की डीपीआर को आगे चरण–। और चरण–।। में विभाजित किया गया। केबीएलपी (चरण–।) की डीपीआर में दौधन बांध और उससे जुड़े कार्य, सुरंग, बिजली घर और लिंक नहर शामिल हैं को 2010 में पूरा किया गया था। केबीएलपी (चरण–।।) और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना की डीपीआर वर्ष 2013–14 के दौरान राजविअ द्वारा पूरी की गई थी। पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य 2015–16 में पूरा किया गया था। गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की डीपीआर जिसमें तीन लिंक शामिल हैं, नामतः गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनासागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला), और पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांट अनीकट) लिंक परियोजनाएं मार्च 2019 में परिचालित डीपीआर के मसौदे पर भागीदार राज्यों की स्वीकार्य टिप्पणियों/विचारों के आधार पर तैयार की जा रही हैं। कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की प्रारूप डीपीआर को भी अगस्त 2020 में पूरा कर लिया गया था और पक्षकार राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुड्डुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश को उनके पर्यवेक्षणों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। बेदती–वरदा लिंक परियोजना की डीपीआर अभी प्रगति पर है।

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक के पीएफआर/संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी राजविअ को 2006–07 के दौरान सौंपी गई थी। इसके बाद, 2011 के दौरान राजविअ को अंतःराज्यीय लिंक की डीपीआर तैयार करने का काम भी सौंपा गया था। राजविअ को 10 राज्यों से अंतःराज्यीय लिंक के 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; नामतः महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। 37 अंतःराज्यीय लिंक की पूर्व–सम्भाव्यता रिपोर्ट (पीएफआर) 31.03.2021 तक पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि ओडिशा राज्य द्वारा अनुरोध किया गया था, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजविअ द्वारा नागावली–रुशिकुल्या–वमसाधारा अंतःराज्यीय लिंक परियोजना का पीएफआर कार्य आरंभ किया गया है।

4 अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर नामतः बिहार की बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा और कोसी–मेची लिंक परियोजनाएं; तमिलनाडु की पोन्नैयार–पालार लिंक परियोजना और महाराष्ट्र की वेनगंगा–नलगंगा लिंक परियोजनाओं को पूरा कर संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। 2020–21 के दौरान महाराष्ट्र की दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों के समग्र विवरण अलग से अध्याय–6 में दिये गये हैं।

4.2 राजविअ द्वारा पूर्ण किए गए प्रारंभिक अध्ययन

एनपीपी के प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटकों के अंतर्गत राजविअ द्वारा पूरे किये गए प्रारंभिक अध्ययन तालिका –1 में दर्शाए गए है।

तालिका – 1

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राजविअ द्वारा पूर्ण प्रारंभिक अध्ययन

क्रमांक	अध्ययन का नाम	प्रायद्वीपीय घटक	हिमालयी घटक	कुल अध्ययन पूर्ण
1	2	3	4	5
i)	जल संतुलन अध्ययन	137 52	. 19	137 71
	–बेसिन / उप–बेसिन –पथांतरण स्थल	189	19	208
ii)	स्थलाकृतिक अध्ययन –जलाषय भंडारण स्थल –लिंक संरेखण	58 18	16 19	74 37
	कुलः	76	35	111
iii)	प्रत्येक अतिरिक्त और वैकल्पिक अध्ययन सहित पीएफआर अध्ययन के लिए लिंक	18	14	32

4.3 राजविअ द्वारा अध्ययन किए जा रहे जल अंतरण लिंक

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत राजविअ द्वारा संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभिज्ञात जल अंतरण लिंक परियोजनाएं क्रमशः 16 और 14 हैं, उनका विवरण निम्नानुसारः

एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत
1. महानदी (मणिभद्रा) – गोदावरी (दौलेश्वरम) 2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा) 3. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलीचिंतला) 4. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर) 5. कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमसिला) 6. कृष्णा (श्रीसेलम) – पेन्नार 7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार 8. पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रैंड अनीकट) 9. कावेरी (कट्टलाई) – वैगई – गुंडर 10. पार्वती – कालीसिंध – चंबल 11. दमनगंगा – पिंजल 12. पार – तापी – नर्मदा 13. केन – बेतवा 14. पंबा – अच्चनकोविल – वैप्पार 15. नेत्रावती हेमावती

16. बेदती – वरदा
एनपीपी के हिमालयी नदी विकास घटक के अंतर्गत
1. मानस – संकोष – तीस्ता – गंगा (एम–एस–टी–जी) 2. कोसी – घाघरा 3. गंडक–गंगा 4. घाघरा – यमुना 5. शारदा – यमुना 6. यमुना–राजस्थान 7. राजस्थान – साबरमती 8. चुनार – सोन बैराज 9. सोन बांध – गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ 10. गंगा (फरक्का) – दामोदर – सुवर्णरेखा 11. सुवर्णरेखा – महानदी 12. कोसी – मेची 13. फरक्का – सुंदरबन 14. जोगीघोपा – तीस्ता – फरक्का (एम–एस–टी–जी का विकल्प)

अध्ययन किये जा रहे विभिन्न प्रस्तावित अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों को दर्शाने वाला मानचित्र निम्नानुसार हैः–

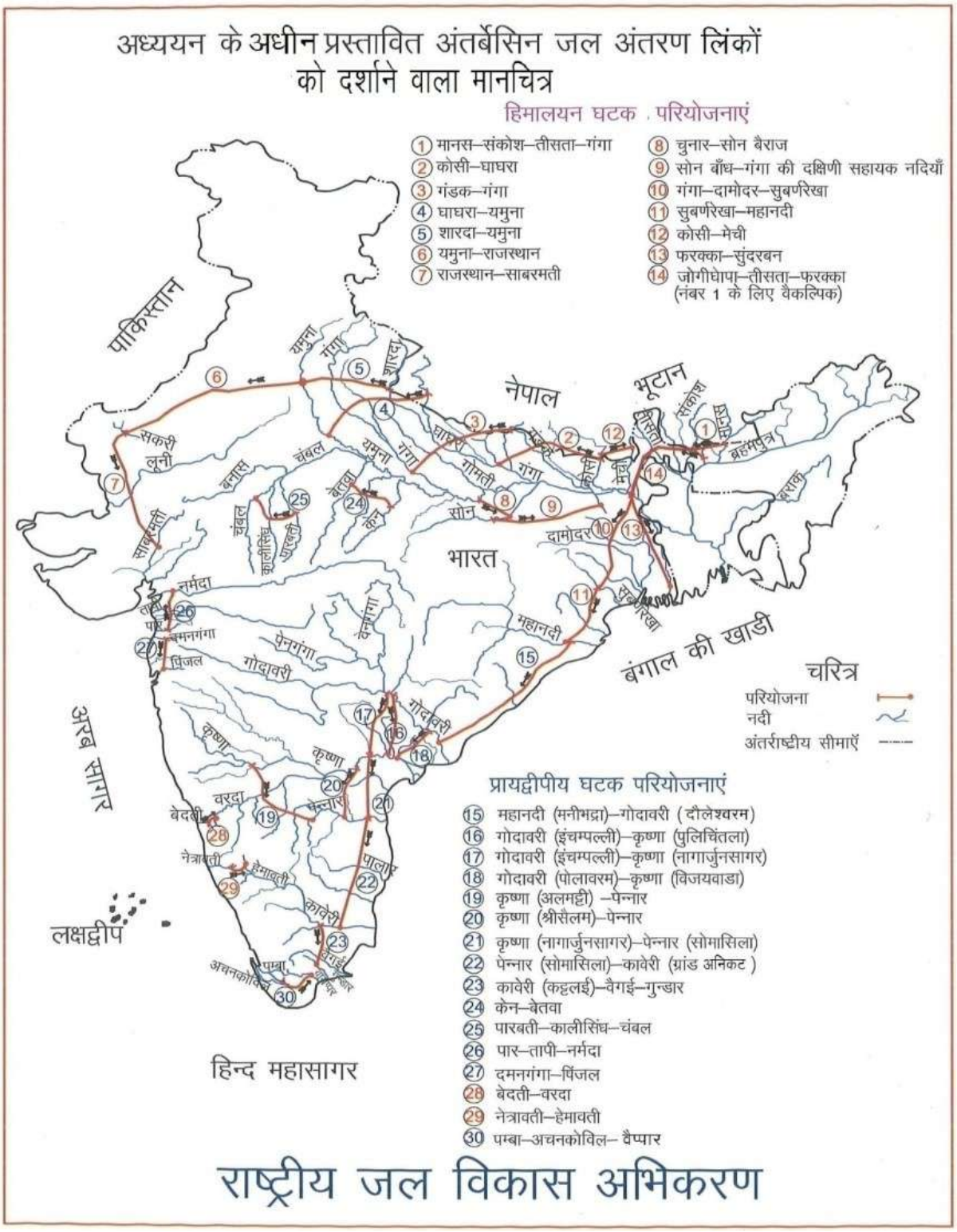

4.4.1 एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अन्तरबेसिन जल अंतरण लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

ऊपर दर्शाई गई 16 लिंक परियोजनाओं में से, एनपीपी के अंतर्गत अभिज्ञात प्रायद्वीपीय घटक की 7 लिंक परियोजनाओं की डीपीआर नामतः केन–बेतवा, दमनगंगा–पिंजाल, पार–तापी–नर्मदा, गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) जिसमें उपरोक्त बताई गई तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, नामतः गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला) तथा पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) और कावेरी–वैगई–गुंडरलिंक परियोजनाएं पूरी की गई और परिचालित की गई। प्राथमिकता प्राप्त लिंकों नामतः केन–बेतवा, दमनगंगा–पिंजाल, पार–तापी–नर्मदा और गोदावरी (इंचमपल्ली)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, जिसमें तीन लिंक परियोजनाएं शामिल हैं, अध्याय–5 में अलग से प्रस्तुत की गई हैं। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उपरोक्त 7 पूर्ण डीपीआर के साथ–साथ, कर्नाटक सरकार की बेदती–वरदा लिंक परियोजना का कार्य प्रगति पर रहा।

4.4.1.1 कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक तंत्र की पहचान नौ लिंक सिस्टम के रूप में की गई है। महानदी – गोदावरी लिंक तंत्र इसकी जननी है। कावेरी (कट्टलाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना इस नौ लिंक सिस्टम का अंतिम चरण है। राजविअ ने 2004 के दौरान इस लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की और संबंधित राज्यों को परिचालित की। लिंक नहर के माध्यम से पथांतरण के लिए पानी की मात्रा मुख्य रूप से महानदी और गोदावरी घाटियों के अधिशेष प्रवाह की उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसे महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी लिंक योजनाओं के माध्यम से हिमालयी घटक के एकीकरण से वृद्धि सहित पूर्ववर्ती ऊपरी लिंक द्वारा लाया जाना है। कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्य पूरे हो चुके हैं और डीपीआर को अगस्त 2020 के दौरान पक्षकार राज्यों को परिचालित किया गया था।

4.4.1.2 बेदती–वरदा लिंक परियोजना

कर्नाटक सरकार ने संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमति दे दी, किन्तु स्थानीय गैर सरकारी संगठन के विरोध के कारण कार्य रूक गया है, जिसकी मांग है कि सर्वेक्षण और अन्वेषण से पहले कर्नाटक सरकार उनके द्वारा तैयार संदर्भ की शर्तों पर संबंधित क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करे। दिनांक 23.03.2018 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि इस लिंक की ई.आई.ए. अध्ययन के संदर्भ की शर्तों पर वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियां दी हैं तथा कर्नाटक सरकार शीघ्र ही आवश्यक स्पष्टीकरण सौंप देगी। संदर्भ की शर्तों के अनुमोदित होने के बाद कनार्टक सरकार बेदती–वरदा लिंक का ई.आई.ए. अध्ययन आरंभ करेगी।

दिनांक 30.11.2018 को कर्नाटक नीरावरी लिमिटेड (के.एम.एन.एल) तथा रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने बेंगलूर में एक बैठक की। बैठक में के.एम.एन.एल के अधिकारियों ने यह सूचित किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. के लिए संदर्भ की शर्तों पर विचार करते समय उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तथा रा.ज.वि.अ. से इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, मुख्य अभियंता मालप्रभा मंडल, के.एन. एन.एल, कर्नाटक सरकार ने दिनांक 08.03.2019 के पत्र द्वारा इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक सरकार ने बेदती से वरदा नदी में जल पथांतरण के दो विकल्पों का भी सुझाव दिया है। कर्नाटक सरकार के एनएनएल और राजविअ अधिकारियों के बीच दिनांक 22.07. 2019 को धारवाड़ में हुई बैठक के अनुसार मुख्य अभियंता के एनएनएल, मालाप्रभा परियोजना ने शिगौन, सवनूर, कुडगोल तालुका क्षेत्र एवं हुबली तथा धारवाड़ दोनों शहरों की घरेलू जलापूर्ति के लिए तथा पूरी तरह सूखा प्रवण क्षेत्रों को सिंचाई पहुँचाने के लिए धर्मा जलाशय (वरदा नदी की जगह) के जल अंतरण पर

विचार करने का सुझाव दिया। कर्नाटक सरकार द्वारा सुझाए गए विकल्पों के साथ लिंक परियोजना की डीपीआर की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। कर्नाटक सरकार ने दिनांक 21.01.2021 के पत्र द्वारा प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति राजविअ को भेज दी है।

4.4.1.3 नेत्रावती–हेमावती लिंक परियोजना

संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी तक कर्नाटक सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने की सहमति के लिए रा.ज.वि.अ. कर्नाटक सरकार से बराबर संपर्क में है। दिनांक 27.01.2016 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 62वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि नेत्रावती जल के अंतरण पर बल देते हुए यतिनहोल परियोजना की डी.पी.आर. राजविअ को सौंप दी गई है। रा.ज.वि.अ. द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई तथा 11.11.2016 को रा.ज.वि.अ. की टिप्पणियां भेज दी गईं।

दिनांक 23.03.2018 को आयोजित, रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने यतिनहोल परियोजना की आयोजना की हुई है इसलिए वे नेत्रावती–हेमावती लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट आरंभ करने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्पष्ट किया गया कि रा.ज. वि.अ. ने यतिनहोल परियोजना की डी.पी.आर. की संवीक्षा की है तथा उसकी टिप्पणियां कर्नाटक सरकार को भेज दी गई कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत, कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार यतिनहोल परियाजना तथा रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार नेत्रावती–हेमावती लिंक, दोनों परियोजनाएं क्रियान्वयन योग्य हैं।

4.4.1.4 महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना

बरमूल बांध स्थल (अप्रैल 2018) पर राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एन.आई.एच.) रूड़की द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, महानदी बेसिन में 75% धारणीयता पर समग्र जल उपलब्धता तथा जल संतुलन क्रमशः 49101 एम.सी.एम. तथा 6794 एम.सी.एम. आकलित किया गया है। एन.आई.एच. द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययनों से उड़ीसा सरकार सहमत नहीं है तथा एन.आई.एच. द्वारा किए गए अध्ययनों पर कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनकी जांच उपरान्त रा.ज.वि.अ. द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। वैकल्पिक महानदी (बरमूल)–गोदावरी (दोलेश्वरम) लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है और अक्टूबर 2020 में परिचालित कर दी दिया है। लिंक परियोजना की प्रणाली अध्ययन का कार्य राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रूड़की को सौंपा गया है, यह अध्ययन प्रगति पर है।

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अधीन 31.03.2021 तक विभिन्न अध्ययनों की स्थिति निम्नानुसार दर्शित हैः

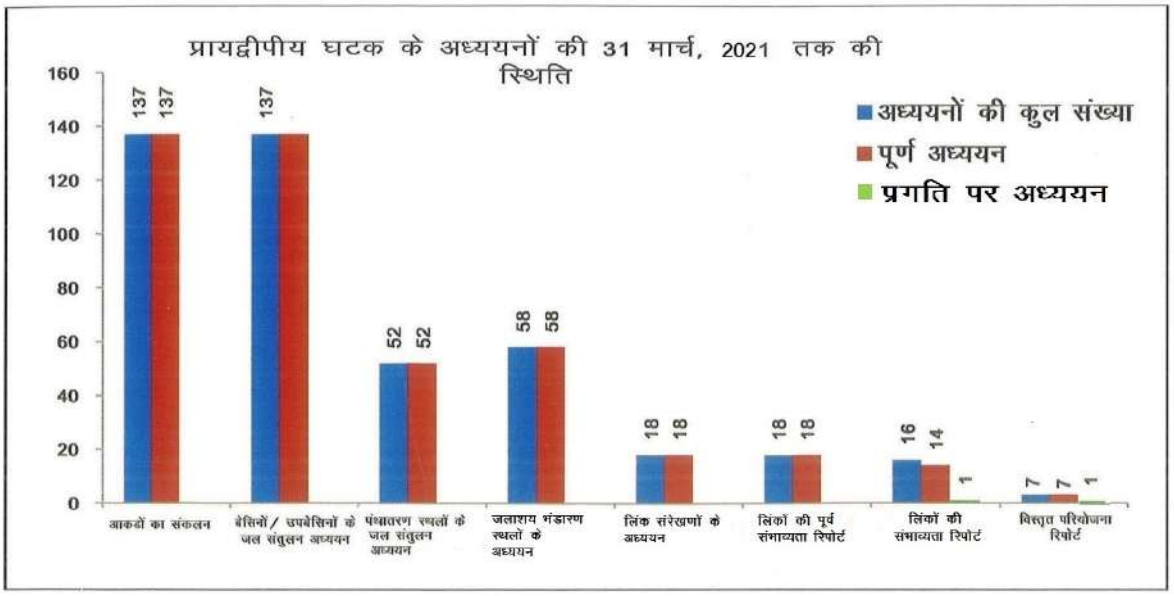

एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर बेसिन जल अंतरण लिकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति		
क्र. सं	लिंक परियोजना का नाम	लिंक परियोजना की डीपीआर की वर्तमान स्थिति
1	केन–बेतवा (चरण–।) और केन–बेतवा (चरण–।।)	केबीएलपी की डीपीआर को आगे में चरण–। और चरण–।। में विभाजित किया गया था। केबीएलपी की डीपीआर (चरण–।) में दौधन बांध और उसके अनुषंगी कार्य, सुरंग, बिजली घर और लिंक नहर 2010 में पूरे हुए। केबीएलपी की डीपीआर (चरण–।। को राजविअ द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान पूरा किया गया। तब से केबीएलपी के लिए सर्वसम्मति निर्मित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्रियों और माननीय जल शक्ति मंत्री ने 22. 03.2021 को त्रिपक्षीय एमओए पर हस्ताक्षर किए।
2	दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना	वर्ष 2013–14 के दौरान राजविअ द्वारा डीपीएलपी को पूरा किया गया।
3	पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना	पीटीएनएलपी की डीपीआर तैयार करने का कार्य 2015–16 में पूरा हुआ।
4	गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर)	गोदावरी (इंचमपल्ली बैराज)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) जिसमें तीन लिंक शामिल हैं नामतः गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमशिला) और पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (अनुदान अनीकट) लिंक परियोजना के वैकल्पिक अध्ययन की प्रारूप डीपीआर को पक्षकार राज्यों की स्वीकार्य टिप्पणियों/विचारों के आधार पर पूरा किया गया और प्रारूप डीपीआर को मार्च 2019 में परिचालित किया गया।
5	कृष्णा (नागार्जुनसागर) –पेन्नार (सोमासिला)	
6	और पेन्नार (सोमसिला)– कावेरी (ग्रेंड अनीकट)	
7	कावेरी–वैगई–गुंडर लिंक परियोजना	कावेरी (कट्टालाई) – वैगई – गुंडर लिंक परियोजना की डीपीआर को पूरा करके अगस्त 2020 में पक्षकार राज्यों को परिचालित किया गया
8	बेदती–वरदा लिंक परियोजना	कर्नाटक सरकार की बेदती–वरदा लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

4.4.2 एनपीपी के हिमालयी घटक के अधीन अन्तरबेसिन जल अंतरणअंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

हिमालयी घटक के अधीन अभिज्ञात किए गए 14 लिंकों में से, राजविअ ने 2 लिंकों नामतः शारदा–यमुना और घाघरा–यमुना (भारतीय भाग) की संभाव्यता रिपोर्ट (एफआर) अध्ययन पूरा कर लिया है, तथापि नेपाल भू–भाग में कार्य पूरा न होने के कारण परिचालित नहीं किया गया है। इसके अलावा, छह लिंक परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट, (।) गंडक–गंगा लिंक (भारतीय भाग), (।।) मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा (।।।), गंगा– दामोदर– सुवर्णरेखा, (IV) सुवर्णरेखा– महानदी, (V) राजस्थान–साबरमती और (VI) फरक्का–सुंदरबन की संभाव्यता रिपोर्टों को पूरा कर लिया गया है और उसे परिचालित कर दिया गया है। उपरोक्त के अलावा, 2 लिंक परियोजनाओं नामतः (।) यमुना–राजस्थान और (।।) चुनार–सोन बैराज से संबंधित संभाव्यता रिपोर्ट का प्रारूप भी तैयार किया जा चुका है। दिनांक 13.07. 2015 को हुई नदी जोड़ पर विशेष समिति की 5 वीं बैठक में चर्चानुसार दिनांक 01.09.2015 को प्रधान सचिवों (ज.स.) राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सरकार को शारदा–यमुना और यमुना राजस्थान लिंक परियोजनाओं की प्रारूप संभाव्यता रिपोर्ट भेज दी गई है।

रीमोट सेंसिंग मानचित्रों का उपयोग करके सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों (एसटीजी) की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया गया है। कोसी–घाघरा लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का काम पूरा हो गया है। शारदा–यमुना लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट नेपाल में पंचेश्वर परियोजना की डीपीआर के आधार पर सुधार/संशोधन के अधीन है। पंचेश्वर परियोजना के प्रभावों को शामिल करने के लिए शारदा–यमुना लिंक

परियोजना के संशोधन के आधार पर यमुना–राजस्थान और राजस्थान–साबरमती लिंक परियोजनाओं की संभाव्यता रिपोर्ट में भी सुधार/संशोधन किए जा रहे हैं।

कोसी–मेची लिंक जो पूरी तरह से नेपाल क्षेत्र में स्थित है और जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का एमएसटीजी का एक विकल्प है, की संभाव्यता रिपोर्ट वर्तमान में तैयार नहीं की जा रही है। हालांकि, जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का लिंक के वन मुक्त संरेखण का पीएफआर पूरा किया गया है तथा दिनांक 13.06. 2011 को राजविअ की त.स.स. के सदस्यों और संबंधित राज्यों बिहार, असम, पश्चिम बंगाल की सरकारों को भेज दिया गया है।

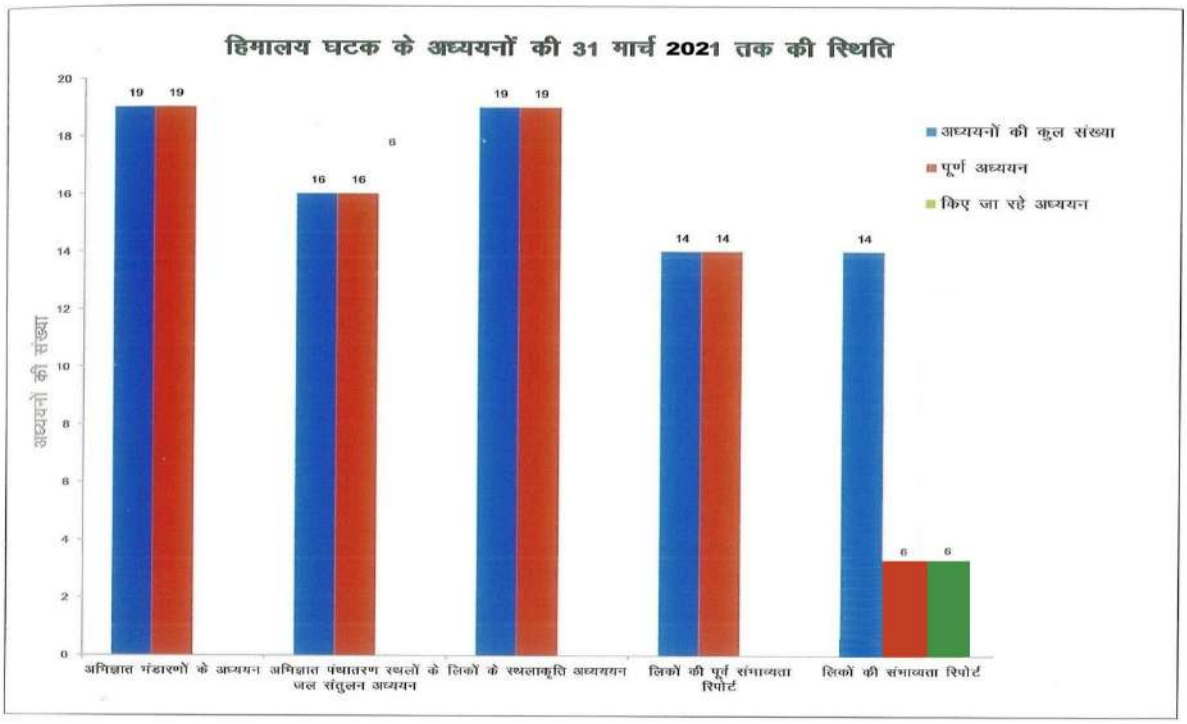

एनपीपी के हिमालयी घटक के अधीन अन्तर बेसिन जल अंतरण लिंकों के संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययनों की वर्तमान स्थिति		
क्र.सं.	लिंक परियोजना का नाम	लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति
1.	मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा	मूल संरेखण के अनुसार एम–एस–टी–जी लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट पूरी नहीं की जा सकी, क्योंकि एम–एस–टी–जी का मूल लिंक संरेखण मानस और बक्सा टाइगर रिजर्व और अन्य वन क्षेत्रों से गुजर रहा था। इन पहुंचों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्यों के लिए व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राजविअ ने लगभग 80 मीटर लिफ्ट के साथ विभिन्न आरक्षित वनों से बचते हुए वैकल्पिक संरेखण अध्ययन किया है। संभाव्यता रिपोर्टअब पूरी हो गई है और 17. 07.2020 को पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम और बिहार सरकारों का उनके सुझावों/विचारों के लिए परिचालित की गई।
2.	गंगा (फरक्का)–सुंदरबन	दिसंबर 2020 में पूरी की गई और पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित की गई।
3.	सुवर्णरेखा–महानदी	फरवरी 2021 में पूरी की गई और पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित की गई।
4.	गंडक–गंगा	भारतीय भाग में एफआर पूरी कर ली गई है और फरवरी 2021 में पक्षकार राज्यों को परिचालित की गई।

5.	राजस्थान–साबरमती	फरवरी 2021 में पूरी की गई और पक्षकार राज्यों के बीच परिचालित की गई।
6.	गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा	मार्च 2021 में पूरी की गई और वर्तमान में नवीनतम डेटा के समावेश के साथ अद्यतन किया जा रहा है।
7.	शारदा–यमुना	शारदा–यमुना लिंक परियोजना का मसौदा एफआर 01.9.2015 को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के प्रमुख सचिवो (डब्ल्यूआर) को अग्रेषित कर दिया गया
8.	घाघरा–यमुना (भारतीय भाग)	ड्राफ्ट एफआर पूरी हो गई है नेपाल क्षेत्र में कार्य पूरा नहीं होने के कारण इसे परिचालित नहीं किया गया
9.	यमुना–राजस्थान	यमुना–राजस्थान लिंक परियोजना का मसौदा एफआर 01.9.2015 को राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों के प्रमुख सचिवो (डब्ल्यूआर) को अग्रेषित कर दिया गया
10.	चुनार–सोन बैराज	एफआर पूरा हो गया है।
11.	सोन बांध गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां	रिमोट सेंसिंग मानचित्रों का उपयोग कर सोन एस–टी–जी का सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और एफआर प्रगति पर है।
12.	कोसी–घाघरा	के–जी की एफआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पूरा हो गया है और एफआर प्रगति पर है।

4.4.3 पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकरणः

पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना (पीकेसीएलपी) एनपीपी के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक है। राजविअ ने पीकेसीएलपी की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की और 2004 के दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश की संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की गई। 75% निर्भरता पर 1360 एमसीएम पानी का उपयोग करने के लिए पीकेसीएलपी में तीन प्रस्तावित बांधों पर बल दिया हैः नामतः पार्बती नदी पर पाटनपुर, नेवाज नदी पर मोहनपुरा (कालीसिंध की एक सहायक नदी) और कालीसिंध पर कुंडलिया। मध्य प्रदेश सरकार ने मोहनपुरा और कुंडलिया प्रमुख परियोजनाओं को स्टैंड–अलोन परियोजनाओं के रूप में बनाया और इस तरह एनपीपी में प्रस्तावित पीकेसीएलपी का प्रतिपादन किया।

नामतः सतत जल संसाधन विकास सुनिश्चित करने और विभिन्न जल मांगों को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार ने चंबल बेसिन की कुछ उप–घाटियों कालीसिंध और पार्वती उप–बेसिन में उपलब्ध अधिशेष जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) तैयार की। प्रस्तावित ईआरसीपी योजना के माध्यम से, राजस्थान सरकार का लक्ष्य पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के साथ–साथ लगभग 2 लाख हेक्टेयर के नए कमान क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने के लिए 50% निर्भरता पर लगभग 3500 एमसीएम पानी का उपयोग करना तथा विद्यमान कमान क्षेत्र का 0.80 लाख हेक्टेयर में जल स्थिरीकरण करना है। राजस्थान सरकार की ओर से वाप्कोस ने ईआरसीपी की डीपीआर तैयार की है और वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग में इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

चंबल नदी प्रणाली के पानी के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से, राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी को पीकेसीएलपी के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया। यह राजस्थान की प्रस्तावित ईआरसीपी योजना के साथ संयुक्त रूप से मूल पीकेसीएलपी में मध्यप्रदेश के अप्रयुक्त पानी के दोहन की सुविधा प्रदान करेगा।

18.10.2019 को आयोजित नदी जोड़ पर कार्यबल की ग्यारहवीं बैठक के दौरान, एनपीपी के पीकेसीएलपी के बचे हुए हिस्से को राजस्थान के ईआरसीपी के साथ एकीकृत करने की संभावना पर चर्चा

की गई। तदनुसार, राजस्थान के ईआरसीपी के साथ एनपीपी के पीकेसीएलपी को एकीकृत करने की संभावना पर चर्चा के लिए श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, नदी जोड पर कार्यबल और सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय संयुक्त द्वारा नई दिल्ली में 28.11.2019 और 16.03.2020 को बैठकें आयोजित की गईं। जैसा कि बैठकों में निर्णय लिया गया था, राजविअ ने "एनपीपी के पीकेसीएलपी के साथ ईआरसीपी का एकीकरण" की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी शुरू कर दी है। राजविअ और मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी भोपाल में 20.03.2020 को पार्बती बेसिन की लब्धि को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। 16.07.2020 को आयोजित नदी जोड़ पर कार्यबल की 12वीं बैठक में इस मामले पर फिर से चर्चा हुई और निर्णयों के आधार पर राजविअ काम को आगे बढ़ा रहा है।

इसके बाद, एक पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट नामतः पार्वती–कुनो–सिंध लिंक परियोजना (पीकेएसएलपी) तैयार की गई है और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों और कें.ज.आ. को परिचालित की गई है। 11.08. 2020 को सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार, सदस्य (डब्ल्यू पी व पी), कें.ज.आ. की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन पीकेसी और ईआरसीपी लिंक परियोजना और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में कुनो, पार्वती, सिंध और चंबल बेसिन में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे और पानी के आदान–प्रदान का सुझाव देने के लिए किया गया था। इस कार्य समूह ने 04.09.2020 और 25.09.2020 को भी दो बैठकें की। श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 27.01.2021 को पीकेएसएलपी की स्थिति की समीक्षा की थी।

समीक्षा बैठक के दौरान दो चरणों में ईआरसीपी की योजना बनाने का निर्णय लिया गया। चरण–। के अंतर्गत, लगभग 2000 एमसीएम पानी के उपयोग की योजना बनाई जा सकती है जो 75% निर्भरता पर उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की सहमति से दूसरे चरण के अधीन 75% निर्भरता से अधिक पानी के उपयोग की योजना बनाई जा सकती है। 25.02.2021 को आयोजित नदी जोड़ पर कार्यबल की 13वीं बैठक के दौरान, राजविअ को दोनों राज्यों के साथ इस मामले पर बारीकी से चर्चा करने और उनकी राय लेने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए कहा गया था और शुरुआत में चरण–। के लिए आम सहमति प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था। राजविअ में अभी चरणबद्ध कार्य की तैयारी चल रही है।

अध्याय 5

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अभिज्ञात प्राथमिकता लिंक

5.1 प्राथमिकता लिंक पर सहमति बनाने के लिए किए गए प्रयास

जल शक्ति मंत्रालय और राजविअ ने संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति पर पहुंचने के लिए कदम आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता लिंक के रूप में निम्नलिखित चार लिंकों की पहचान की:

1. केन–बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी),
2. पार –तापी–नर्मदा लिंक परियोजना (पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना),
3. दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना (डीपीएलपी), और
4. गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना (जीसीजीएएलपी)।

5.1.1 केन–बेतवा लिंक परियोजना

केबीएलपी (चरण–।) और केबीएलपी (चरण–।।) के लिए डीपीआर क्रमशः अगस्त, 2010 और जनवरी, 2014 में पूरी की गई थी। दोनों लिंक परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:

5.1.1.1 केबीएलपी के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति (चरण–I)

क्रम संख्या	गतिविधि	वर्तमान स्थिति
i	ज.स.न.वि. व गं.सं.मं. की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी–आर्थिक मंजूरी	08.07.2016 को हुई 129वीं बैठक में सचिव (ज.स.न.वि. व गं.सं.वि.) की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति द्वारा परियोजना के लिए तकनीकी–आर्थिक मंजूरी की सिफारिश की गई थी।
ii	वैधानिक मंजूरी	
क	वन्यजीव मंजूरी	राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति ने 23.08.2016 को आयोजित 39वीं बैठक में कुछ शर्तों के साथ वन्यजीव मंजूरी देने की सिफारिश की। वन तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 21.09.2016 को कुछ शर्तों के साथ वन्यजीव मंजूरी प्रदान की। यह मंजूरी वर्तमान में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) में चुनौती के अधीन है।
ख	पर्यावरण मंजूरी	वन तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 25.08.2017 के पत्र के माध्यम से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की। ईसी वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में चुनौती के अंतर्गत है। एनजीटी ने अपनी सुनवाई दिनांक 12.10.2018 के दौरान आदेश दिया है कि सीईसी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रेषित किये गए। श्री मनोज कुमार मिश्रा के मामले में 1995 के डब्ल्यूपीसीसी 202 में आईए नंबर 27160/2018 को पहले सुनना चाहिए।
ग	वन भूमि पथांतरण मंजूरी	वन सलाहकार समिति ने दिनांक 16.05.2017 को हुई अपनी बैठक में वन मंजूरी की सिफारिश की। चरण–। की मंजूरी कुछ शर्तों के साथ 25.05.2017 को जारी की गई। आवश्यक शर्त में से एक 6017 हेक्टेयर राजस्व भूमि की पहचान और पीटीआर अधिकारियों को इसका हस्तांतरण है। इसमें से 6017 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 4206 हेक्टेयर की पहचान राजविअ द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से की गई है और शेष 1811 हेक्टेयर राजस्व भूमि की पहचान की जानी बाकी है। सचिव (ज.स.न.वि. व गं.सं.वि.) ने दिनांक 30.07.2018 के पत्र के माध्यम से केबीएलपी के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रतिपूरक वनरोपण के लिए पीटीआर अधिकारियों को अंतरित करने के लिए 1811 हेक्टेयर की दोगुने वन भूमि को प्रतिपूरक वन भूमि के रूप में अनुमति देने का अनुरोध किया है। सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश ने दिनांक 19.12.2018 के पत्र द्वारा संकेत दिया कि अनुरोध पर आगे पुनर्विचार के लिए जांच की जाएगी। 26.02.2020 को आयोजित विशेष सैल नदी जोड़ की 17वीं बैठक में इस मुद्दे पर आगे चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के प्रतिनिधि ने संकेत दिया कि 1811 हेक्टेयर वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए दोगुने वन भूमि में वनीकरण का मुद्दा

		जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के विचाराधीन है और जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार से उनकी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए अनुरोध किया। चरण–। वन मंजूरी में निर्धारित शेष शर्तों का पालन करने के उनके अनुरोध को एक बार फिर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार को राजविअ द्वारा पत्र दिनांक 10.01.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया था। अपर महानिदेशक, वन संरक्षण, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश से भी राजविअ के पत्र दिनांक 17.07.2019 द्वारा अनुरोध किया गया था कि वे 4206 हेक्टेयर और 3622 हेक्टेयर की राजस्व भूमि को क्षतिपूरक वनीकरण के रूप में शीघ्रता से विचार करने के लिए सचिव, डीओजल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के उपरोक्त अनुरोध की जांच करें। आगे, माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा नदी जोड़ कार्यक्रम तथा राजविअ की अन्य गतिविधियों के संबंध में दिनांक 30.07.2020 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चूकि केबीएलपी को पूर्व में ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जा चुका है इसलिए अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं के समकक्ष केबीएलपी को भी रखने के लिए वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन से अनुरोध किया जा सकता है। तद्नुसार सचिव ज.स.न.वि. व गं.सं. विभाग ने दिनांक 04.09.2020 के पत्र द्वारा केबीएलपी के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से केबीएलपी को केन्द्र सरकार की अन्य परियोजनाओं के समकक्ष रखने तथा 4206 है. राजस्व भूमि का प्रस्ताव 6017 है. वन भूमि के पथांतरण के स्थान पर, शेष 1811 है. (3622 है.), बर्बाद हुए भूमि के बदले दोगुनी भूमि तथा चरण–।। वन मंजूरी के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है।
(घ)	जनजातीय मामलों के मंत्रालय (एमओटीए) से मंजूरी	एमओटीए ने पत्र दिनांक 04.01.2017 के माध्यम से मंजूरी प्रदान की।
(ङ)	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी)	सीईसी ने 01.05.2017 को हुई अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया। समिति ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध किया, जिसे 23.05.2017 को प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में, श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा सीईसी के समक्ष एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति की वन्यजीव मंजूरी की सिफारिशों के संबंध में एक आवेदन दायर किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर श्री मनोज कुमार मिश्रा के वार्ता आवेदन पर सीईसी द्वारा सुनवाई की गई। सीईसी के सदस्यों ने 27.03.2019 से 30.03.2019 की अवधि के दौरान परियोजना क्षेत्र का दौरा किया। सीईसी ने अगस्त 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सीईसी की सिफारिशों के जवाब राजविअ द्वारा 27.07.2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा, 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 202 में प्रतिवादी के रूप में राजविअ के हस्तक्षेप के लिए एक आवेदन, जो श्री बी.वी. निरेन, सी जी विषेश सैल द्वारा प्रस्तुत, माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित था, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम), डीओडब्ल्यूआर को 04.01.2021 को विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था ताकि इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सके।
(iii)	निवेश मंजूरी	ज.सं.न.वि. व गं.सं. की निवेश मंजूरी समिति ने 19.06.2017 को रूपये 18,057.08 करोड़ की लागत के साथ मंजूरी दी।
(iv)	फंडिंग पैटर्न	केबीएलपी के लिए 90:10 (केंद्रः राज्य) के हिस्से के पैटर्न तंत्र में वित्त पोषण प्रस्तावित किया गया है। नीति आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
(v)	कार्यान्वयन क्रियाविधि	सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक प्रारूप कैबिनेट नोट 30.05.2017 को संबंधित मंत्रालयों को परिचालित किया गया तथा एक मसौदा पीआईबी नोट भी 09.06.2017 को परिचालित किया गया। केबीएलपी के फंडिंगके लिए 90(केन्द्र) : 10(राज्य) के आधार पर एक अद्यतन कैबिनेट नोट 29.01.2021 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया गया था। मार्च 2021 में एक संशोधित पीआईबी मेमो भी तैयार किया गया था और जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

5.1.1.2 केन–बेतवा लिंक परियोजना (चरण–II)

केबीएलपी (चरण –।।) की डीपीआर को पूरा किया गया और जनवरी, 2014 में संबंधित राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भेजा गया। केबीएलपी (चरण –।।) पूरी तरह से मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है। जल संसाधन विभाग (ज.स.वि.), मध्य प्रदेश सरकार ने बाद में डीपीआर में अतिरिक्त परियोजना घटकों को शामिल करने का सुझाव दिया था। 2014 के केबीएलपी (चरण–।।) की डीपीआर को म.प्र. सरकार द्वारा प्रस्तावित लोअर आर बांध और अन्य बैराज के साथ शामिल किया गया है। इसके बाद, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना को भी इसमें शामिल किया गया और इसके दो बैराज नामतः नीमखेड़ा और बरारी को छोड़ दिया गया था। केबीएलपी (चरण – ।।) की डीपीआर, जिसमें अब लोअर ओर, बीना कॉम्प्लेक्स, कोठा बैराज और इसके कमान क्षेत्र का विस्तार शामिल किया गया है।

5.1.1.3 केबीएलपी की वर्तमान स्थिति (द्वितीय चरण)

1. लोअर ओर परियोजनाः लोअर ओर परियोजना की डीपीआर का कें.ज.आ. में तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। 02.05.2016 को ईसी के लिए वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ईएसी द्वारा परियोजना की सिफारिश की गई थी। वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एफएसी ने भी 30.03.2017 को हुई अपनी बैठक में परियोजना पर विचार किया था और वन भूमि विचलन मंजूरी के लिए परियोजना की सिफारिश की। चरण –। की वन मंजूरी वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 के पत्र द्वारा प्रदान की गई थी। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 03.10.2018 को कुछ शर्तों के साथ परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास और पुनःस्थापना (आर एंड आर) योजना के लिए अपनी मंजूरी भी दे दी।
2. बीना कॉम्प्लेक्सः केन्द्रीय जल आयोग बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना की डीपीआर का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन कर रहा है। इस परियोजना पर ईसी के लिए पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ईएसी द्वारा विचार किया गया है। वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चरण–। और।। वन मंजूरी प्रदान की गई है।
3. कोठा बैराजः केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कोठा बैराज परियोजना की डीपीआर का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। कोठा बैराज का ईआईए अध्ययन जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर, 2016 में वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के अनुसार शुरू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा 21.08.2020 को ईसी प्रदान किया गया था।
4. केबीएलपी के कमान क्षेत्रों में वृद्धिः मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को 3.57 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 4.47 लाख हेक्टेयर करने का अनुरोध किया है। चरण – I और II सहित केबीएलपी की व्यापक डीपीआर और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त सीसीए राजविअ द्वारा पूरा किया गया है और अक्तूबर, 2018 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को भेजा गया है।

90 (केंद्र) : 10 (राज्य) फंडिंग के लिए कैबिनेट नोट जून, 2020 को परिचालित किया गया था। नीति आयोग एवं डीओएस एवं एफडब्ल्यू की टिप्पणियों के जवाब अगस्त, 2020 में जल शक्ति मंत्रालय के बीएम अनुभाग को भेज दिया गया है।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 03.09.2020 को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एमओए के प्रारूप के मुद्दों और परियोजना के चरण–।। वन मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के जल संसाधन/जल शक्ति के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की। .

माननीय केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति ने 22.09.2020 को केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एमओए पर चर्चा और अंतिम रूप देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रमशः उत्तर प्रदेशऔर मध्य प्रदेश के जल शक्ति/जल संसाधन के माननीय मंत्रियों के साथ बैठक की।

वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ईएसी ने 29.10.2020 को लोअर ओर प्रोजेक्ट के लिए ईसी के संबंध में एक बैठक आयोजित की। राजविअ ने दिनांक 22.06.2020 के पत्र के माध्यम से प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चरण–। वन मंजूरी में निर्धारित शर्तों को शिथिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुरोध किया।

माननीय जल शक्ति मंत्री ने केबीएलपी के संबंध में दिनांक 09.01.2021 को मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। महानिदेशक, राजविअ ने 15.01.2021 को केबीएलपी के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) के साथ भी एक बैठक की।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 09.02.2021 को जल संसाधन विभाग/जल शक्ति विभाग, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस के साथ बैठक की और एमओए को अंतिम रूप दिया और 10.02.2021 को मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भेज दिया।

महानिदेशक, राजविअ ने केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एमओए पर हस्ताक्षर करने के संबंध में 05.03.2021 को उत्तर प्रदेशके माननीय मुख्यमंत्री के साथ बुलाई गई बैठक में माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठक में भाग लिया।

केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एक प्रारूप पीआईबी ज्ञापन भी तैयार किया गया था और मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय को भेजा गया।

5.1.1.4 त्रिपक्षीय समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर

केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर दिनांक 22.03.2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश सरकार और श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के बीच माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षर किए। केबीएलपी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नामतः केन–बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए) का गठन किया जाएगा। माननीय प्रधान मंत्री, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को वर्चुअली देखा, ने इसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों की बेहतरी के लिए सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के भविष्य को बदलने की दिशा में एक "**ऐतिहासिक**" और "**क्रांतिकारी** कदम" बताया और कहा, कि आज का यह समझौता अटल जी का सपना साकार करेगा।

5.2 और 5.3 पार–तापी–नर्मदा और दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजनाएं

पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना की डीपीआर क्रमशः अगस्त, 2015 और जनवरी, 2014 में पूरी की गई थी। पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना और दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से संबंधित जुड़वां लिंक हैं। दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना से महाराष्ट्र को लाभ होता है जबकि पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना से गुजरात को लाभ होता है। जल बंटवारे के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना की तकनीकी–आर्थिक मंजूरी जुलाई 2016 में दी गई है।

गुजरात सरकार के सुझावों के अनुसार पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना को अप्रैल, 2017 में संशोधित किया गया था। कुछ जल बंटवारे के मुद्दों को छोड़कर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना का मूल्यांकन लगभग पूरा कर लिया गया है।

महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बीच इन लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी हैं। मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र राज्य में आने वाले जलग्रहण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले लगभग 400 एमसीएम अधिशेष पानी के मुआवजे के लिए उपयुक्त क्रियाविधि का है। महाराष्ट्र तापी बेसिन में मुआवजे की मांग कर रहा है।

सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने इन दो लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए 20.04.2018 और 07.09.2018 को महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ दो बैठकें बुलाईं। महाराष्ट्र सरकार को क्षतिपूर्ति के रूप में तापी बेसिन में महाराष्ट्र द्वारा उपयोग के लिए पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के छह जलाशयों के बहाव से उकाई जलाशय से में अतिरिक्त 200 एमसीएम जल के पथातंरण का प्रस्ताव दोनों राज्यों के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

28.07.2020 और 10.12.2020 को आयोजित "संबंधित राज्यों के बीच समझौते के लिए बातचीत के माध्यम से सहमति निर्माण" पर उप–समिति–।। की दूसरी और तीसरी बैठक के दौरान वापकोस द्वारा महाराष्ट्र जलग्रहण से की गई पानी की भरपाई और ईआईए के अद्यतन मुद्दों पर पूरे किए गए अध्ययन पर विचार–विमर्श किया गया।

नदी जोड़ पर कार्यबल की 12वीं और 13वीं बैठकों के दौरान, नदी जोड़ पर कार्यबल के अध्यक्ष ने कहा कि तापी बेसिन की जरूरतों के लिए पीटीएन लिंक के लिए 1330 एमसीएम के अलावा लगभग 200 एमसीएम पानी को पथांतरित करना बहुत ही तर्कसंगत है और यह महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों को स्वीकार्य होना चाहिए। नदी जोड़ पर कार्यबल के सभी सदस्यों ने यह भी राय दी कि आम सहमति हासिल करने के लिए इस मामले को दोनों राज्यों के उच्चतम स्तर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रकार दोनों लिंकों के कार्यान्वयन की दिशा में समझौता ज्ञापन/एमओए पर हस्ताक्षर करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। संबंधित मुद्दों को दोनों राज्यों के उच्चतम स्तरों पर उठाया जा रहा है।

5.4 गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव

प्रस्तावित मणिभद्रा बांध और इंचमपल्ली बांध पर लंबित सर्वसम्मति के कारण राजविअ ने गोदावरी–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना के माध्यम से गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप–बेसिन के अप्रयुक्त पानी को कावेरी बेसिन में अंतरित करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया है।

राजविअ ने इस लिंक प्रस्ताव की डीपीआर का प्रारूप तैयार किया है और मार्च, 2019 में भागीदार राज्यों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया है। डीपीआर के मसौदे पर अधिकांश पक्षकार राज्यों, नामतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों का राजविअ द्वारा उत्तर दिया गया है। श्री श्रीराम वेदिरे, अध्यक्ष, टास्क फोर्स और सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्रमशः 16.07.2020 और 25.02.2021 को आयोजित नदी जोड पर कार्यबल की बारहवीं और तेरहवीं बैठकों के दौरान संबंधित मुद्दों और विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई।

राज्यों की संभाव्य टिप्पणियों के आधार पर जहां तक संभव हो डीपीआर को पूरा किया गया है और अंतिम रूप दिया गया है।

अध्याय 6
राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक

6.1 अंतःराज्यीय

जून 2005 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, एमओजेएस) ने बिहार जैसे राज्यों में अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की पहचान करने और राजविअ द्वारा ऐसे लिंक के पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट/ संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने की मंजूरी दी थी। दिनांक 28.06.2006 को आयोजित राजविअ सोसायटी की विशेष सामान्य बैठक में अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस कार्य को राजविअ के कार्यों में जोड़ा गया। बाद में, वर्ष 2011 के दौरान, राजविअ के कार्यों में अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने को भी जोड़ा गया।

राजविअ ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से राजविअ द्वारा आगे के अध्ययन के लिए अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं के विवरण को सूचित करने का अनुरोध किया। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान राज्यों और पुड्डुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। . नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों पुड्डुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव की सरकारों ने संकेत दिया कि उनके राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित कोई अंतःराज्यीय लिंक परियोजना प्रस्ताव नहीं है। 2020–21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राजविअ से एक अंतःराज्यीय लिंक परियोजना शुरू करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकारों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों का राज्य–वार विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः

6.1.1. महाराष्ट्र

क्र.सं.	अंतःराज्यीय लिंक का नाम	नदियां	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट/डी.पी.आर की वर्तमान स्थिति
1.	वेनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूरना तापी)	वेनगंगा और नलगंगा	पूर्व संभाव्यता और डी.पी.आर. पूर्ण
2.	वेनगंगा – मंजरा घाटी	वेनगंगा और मंजरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
3.	ऊपरी कृष्णा – भीमा (छः लिंकों का तंत्र)	कृष्णा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
4.	दमनगंगा (इकदारे) – गोदावरी घाटी	दमनगंगा और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. प्रगति पर है।
5.(i)	ऊपरी वैतरना – गोदावरी घाटी	वैतरना और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
5.(ii)	दमनगंगा – वैतरना – गोदावरी (कदवा देव) घाटी	दमनगंगा, वैतरना और गोदावरी	संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. प्रगति पर है।
6.	उत्तरी कोंकण – गोदावरी घाटी	पातालगंगा और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
7.	कोयना–मुंबई शहर	कोयना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
8.	श्रीराम सागर प्रोजेक्ट (गोदावरी)–पूर्णा–मंजीरा	गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
9.	वेनगंगा (गोसीखुर्द) – गोदावरी (एस.आर. एस.पी.)	वेनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस ली गई।
10.	मध्य कोंकण – भीमा घाटी	सावित्री, कुन्डालिका, अम्बा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्या नहीं पायी गई।)
11.	कोयना–नीरा	कोयना और नीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
12.	मुलसी–भीमा	मुल्सी और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

13.	सावित्री–भीमा	सावित्री और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
14.	कोल्हापुर–शांगली–शंगोला	कृष्णा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी अंतर्योजन परियोजनाएं	तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
16.	नार–पार– गिरना घाटी	नार–पार– गिरना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
17.	नर्मदा–तापी	नर्मदा– तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
18.	खरियाघुट्टा – नवाथा सतपुडा फुट हिल	छोड़ दी गई	भू–जल पुनर्भरण योजना जिसका अध्ययन केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा किया जाना है। इसलिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन के लिए राजविअ की तकनीकी सहलाकार समिति ने स्वीकार नहीं किया।
19.	खरियाघुट्टा घाट – तापी	छोड़ दी गई	
20.	जिगाँव – तापी–गोदावरी घाटी	तापी और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)

6.1.2. गुजरात

1.	दमनगंगा– साबरमती – चोरवाड	दमनगंगा, साबरमती और चोरवाड	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

6.1.3. ओडिशा

1	महानदी – ब्रह्माणी	महानदी और ब्रह्माणी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई है।)
2	महानदी – रूषिकुल्या (बढ़मूल परियोजना)	महानदी और रूषिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
3	वम्सधारा – रूषिकुल्या (नन्दिनी नाला परियोजना)	वम्सधारा और रूषिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
4	नागावल्ली–रूषिकुल्या– वम्सधारा	नागावल्ली–रूषिकुल्या एवं वम्सधारा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रगति पर है।

6.1.4. झारखंड

1	दक्षिण कोइल – सुवर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुवर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
2	सांख–दक्षिण कोइल	सांख और दक्षिण कोइल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण।
3	बारकर–दामोदर– सुवर्णरेखा	बारकर, दामोदर और सुवर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण।

6.1.5. बिहार

1	कोसी–मेची (पूर्ण रूप से भारत में स्थित)	कोसी और मेची	डी.पी.आर. और पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण। तकनीकी आर्थिक मंजूरी दी गई।
2	बरह– नवादा	गंगा और किउल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
3	कोहरा–चंद्रावत (अब कोहरा लालबेगी)	कोहरा और चंद्रावत	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)

4	बूढी गंडक – नून– बाया– गंगा	बूढी गंडक, नून, बाया और गंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट, डीपीआर पूर्ण तथा केन्द्रीय जल आयोग ने इस लिंक परियोजना को बाढ़ शमन परियोजना के रूप में संस्तुति दी है तथा बिहार सरकार को सूचित कर दिया है।
5	बागमती बूढी गंडक – (बेलवाधार होते हुए)	बूडी गंडक और बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
6	कोसी–गंगा	कोसी और गंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
7	बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना–चरण– II का विकास (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के निकट बैराज) और कोसी–अधवारा–बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देश्यीय परियोजना	कोसी–अधवारा और बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
8	बक्सर में पंप कैनाल योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार में गंगा जल का अंतरण	गंगा	आरंभिक तौर पर राजविअ ने कार्य करने की सहमति दे दी थी लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त होने के बाद यह पाया गया कि ये अंतःराज्यीय लिंक नहीं है अतः इनको आरंभ नहीं किया गया।
9	बदुआ –चंदन बेसिन का विकास	बदुआ और चंदन	
10	सोन–फाल्गू लिंक	सोन और फाल्गू	प्राथमिक अध्ययन किया गया। पथांतरण स्थल पर जल संतुलन कम है। अतः संभाव्यता रिपोर्ट आरंभ नहीं किया गया।

6.1.6. राजस्थान

1	माही – लूनी लिंक	माही और लूनी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
2	वाकल – साबरमती – सेई – पश्चिम बनास – कामेरी	वाकल, साबरमती, सेई पश्चिम बनास और कामेरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)

6.1.7. तमिलनाडु

1.	पोन्नियार – पालार लिंक	पोन्नियार और पालार	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट ओर डीपीआर पूर्ण

6.1.8. कर्नाटक

1	अलमट्टी (बगल कोट)–मालाप्रभा उप बेसिन	मालाप्रभा और अलमट्टी	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पायी गई
2	मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप बेसिन	मालाप्रभा और तुंगभद्रा	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पायी गई
3	बेदती–धर्मा–वरधा लिंक	बेदती–धर्मा और वरधा लिंक	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
4	भद्रा –वेदावथी (वाणी विलास सागर) लिंक	भद्रा और वेदावथी	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 11वीं

5	पश्चिम प्रवाही नदियों की पथांतरण योजनाएं (बारापोल–ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल– ऊपरी कावेरी	बैठक में कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
6	वेदती और अघनासिनी से वरदा को पथांतरण	अघनासिनी और वरदा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त

6.1.9. छत्तीसगढ़

1	पायरी–महानदी लिंक	पायरी और महानदी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

6.1.10. उत्तर प्रदेश

1	शारदा गोमती लिंक	शारदा, गोमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रगति पर

6.2 अंतःराज्यीय लिंकों की पीएफआर/डीपीआर की तैयारी की वर्तमान स्थिति

31.03.2021 तक, कुल 49 अंतःराज्यीय लिंकों में से, राजविअ ने 37 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट को पूरा कर लिया है। ओडिशा की नागवल्ली–रुशिकुल्या–वम्सधारा लिंक परियोजनाओं और उत्तर प्रदेश की शारदा–गोमती लिंक परियोजना का पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रगति पर है। 49 अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं में से 19 को राजविअ के तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा व्यवहार्य या स्वीकृत नहीं पाया गया। संबंधित राज्यों द्वारा तीन प्रस्तावों को वापस ले लिया गया है।

अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर नामतः (I) बूढ़ी गंडक – नून – बाया – गंगा और (II) बिहार की कोसी – मेची; (III) तमिलनाडु की पोन्नियार पलार; और (IV) महाराष्ट्र की वेनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूर्णातापी) का काम पूरा कर लिया गया है और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। दो अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर नामतः महाराष्ट्र की दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी (कदवा देव) का कार्य प्रगति पर है। अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की विभिन्न डीपीआर तैयार करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	लिंक परियोजना का नाम	संबंधित राज्य/नदियां	डीपीआर की स्थिति 31.03.2021 तक
1.	बूढ़ी गंडक – नून – बाया – गंगा	बिहार/बूढ़ी, गंडक, नून, बाया, गंगा	डीपीआर तैयार कर बिहार सरकार को भेज दी गई है। केन्द्रीय जल आयोग के तकनीकी मूल्यांकन ने लिंक परियोजना को बाढ़ योजना के रूप में मानने का सुझाव दिया है और इसे राजविअ द्वारा दिनांक 14.03.2017 के पत्र के माध्यम से बिहार सरकार को सूचित किया गया है।
2.	कोसी मेची	बूढ़ी गंडक, नून, बाया और गंगा बिहार/कोसी और मेची	डीपीआर पूरी हो गई है और सभी वैधानिक मंजूरी मिलने के अधीन तकनीकी–आर्थिक मंजूरी दी गई है। वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ई.सी. दिया गया था और 22.10.2020 को जल शक्ति मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति द्वारा निवेश मंजूरी दी गई।
3.	पोन्नियार पालार	तमिलनाडु/ पोन्नियार और पालार	डीपीआर को पूरा किया गया और अगस्त, 2018 में परिचालित किया गया।
4.	वेनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूर्णातापी)	महाराष्ट्र/वेनगंगा, नलगंगा	डीपीआर को पूरा किया गया और नवंबर, 2018 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया। पेंटकली बांध तक लिंक का विस्तार करने का अध्ययन प्रगति पर है।
5.	दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी	महाराष्ट्र/दमनगंगा, गोदावरी	डीपीआर का काम प्रगति पर है।
6.	दमनगंगा – वैतरणा – गोदावरी (कदवा देव)	महाराष्ट्र/दमनगंगा, वैतरणा, गोदावरी	डीपीआर का काम प्रगति पर है।

6.3 राज्य के भीतर लिंकों की पीएफआर/एफआर/डीपीआर की तैयारी की समग्र स्थिति

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके पीएफआर/एफआर/डीपीआर के संबंध में सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की समग्र स्थिति **परिशिष्ट–I** में दी गई है।

6.4 अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फंडिंग प्रदान करना

अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने का कार्य राजविअ के कार्यों/अधिदेश में दिनांक 19.05.2011 के ज.स.न.वि. व गं.सं. मंत्रालय के संकल्प और 11.06.2011 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत जोड़ा गया था। तत्कालीन ज.स.न.वि. व गं.सं. मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) ने अपने पत्र संख्या 2/12/2015–बीएम/2217 दिनांक 01.12.2015 के माध्यम से अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के डीपीआर की तैयारी की फंडिंग के संबंध में निम्नलिखित निर्णय से अवगत कराया था।

"राजविअ को आम तौर पर खुद को अंतरराज्यीय नदी लिंक परियोजना की डीपीआर तक सीमित रखना चाहिए। अंतःराज्यीय नदी जोड़ परियोजना यदि किसी राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है तो नदी लिंक परियोजनाओं को केवल परामर्शी कार्यों के रूप में ले सकते हैं, भारत सरकार की निधि का उपयोग अंतःराज्यीय नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

तत्कालीन ज.सं.न.वि. व गं.सं. मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) के उपरोक्त निर्णय/निर्देश को ध्यान में रखते हुए राजविअ द्वारा भविष्य की परियोजनाओं के लिए अंतःराज्यीय लिंक की डीपीआर तैयार करने की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी।

यहां, यह उल्लेख करना उचित है कि राजविअ ने पहले से ही अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की चार डीपीआर तैयार किए हैं और उपरोक्त तालिका में उद्धृत निर्णय के अनुरूप, परामर्शी आधार पर महाराष्ट्र की दो अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पर काम प्रगति पर है। इस संबंध में, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र

सरकार और राजविअ के बीच 19.06.2019 को सर्वेक्षण, अन्वेषण कार्यों को पूरा करने और दो डीपीआर तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जो प्रगति पर हैं।

श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार ने कोसी – मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना पर दी गई निवेश मंजूरी के लिए धन्यवाद दिया और बूढ़ी गंडक – नून – बाया – गंगा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विचार करने और बिहार की अंतःराज्यीय लिंक परियोजना के लिए 90(केन्द्र):10(राज्य) पर फंडिंग पैटर्न के साथ राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि बिहार के उन अंतःराज्यीय लिंक, जो राजविअ द्वारा व्यवहार्य नहीं पाए गए थे, उनकी एक बार फिर समीक्षा की जानी चाहिए, जिसके लिए बिहार सरकार हर संभव सहायता/सहयोग प्रदान करेगी।

सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तर दिया कि बिहार सरकार के अनुरोध पर यथासंभव सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा और सूचित किया कि 90 (केन्द्र): 10 (राज्य) का फंडिंग पैटर्न वर्तमान में केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों पर लागू है।

अध्याय 7

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन गतिविधियां

7.1 पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड का वित्तपोषण

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 2015–16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हर खेत में पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अधीन खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं आदि को शुरू करना था। पीएमकेएसवाई – हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत प्रमुख और मध्यम सिंचाई (एमएमआई)/बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अधीन वित्त पोषित किया जा रहा है और जल निकायों, भूतल लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और कमान क्षेत्र विकास और प्रबंधन जल परियोजनाओं (सीएडीडब्लूएम) की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) के अधीन वित्त पोषित किया जा रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) के निर्माण की घोषणा की, जिसमें भारत सरकार के बजटीय संसाधनों, नाबार्ड द्वारा बाजार से लिए जाने वाली उधारी, आदि के माध्यम से योगदान करने के लिए लगभग रुपये 20,000 करोड़ का प्रारंभिक कोष होगा। बदले में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिकता वाली सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और वित्त पोषण व्यवस्था के लिए एक मिशन की स्थापना के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एलटीआईएफ का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उनके कमान क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यों सहित, पहचान की गई सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

रा.ज.वि.अ. ने ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मॉनीटरिंग और प्रबंधन करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना'' करने के लिए वाप्कोस लिमिटेड के साथ अक्तूबर 2017 में एक अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। वाप्कोस लिमिटेड ने प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पी एम यू) की स्थापना की है। पी एम यू को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए मुख्य अभियंता (मु.), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक परामर्शी समिति (सी एम सी) का गठन दिनांक 03.05.2018 के रा.ज.वि.अ. के पत्र द्वारा किया गया। यह पी एम के एस वाई– ए आई बी पी (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता (सी.ए.) जारी करने तथा नाबार्ड फंडिंग के लिए प्रक्रिया की संस्तुति एवं प्रक्रिया करने में रा.ज.वि.अ. की सहायता करेगा।

7.1.1 परियोजना की प्रक्रिया

अगली केन्द्रीय सहायता जारी करने की अर्हता के संबंध में पी.एम.यू. थर्ड पार्टी और केन्द्रीय जल आयोग की मानीटरिंग रिपोर्ट पर आधारित समेकित नोट तैयार करेगा। तत्पश्चात, राज्यों का अंश जारी करने के संबंध में नाबार्ड को संस्तुति भी दी जाएगी।

7.1.2 राज्यों को निधि जारी करना

नाबार्ड से प्राप्त फंडिंगको रा.ज.वि.अ., पास थ्रू विंडो के रूप में कार्य करते हुए, राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराएगा । यह सुनिश्चित करेगा कि नाबार्ड से प्राप्त निधियन, नाबार्ड से प्राप्ति के एक दिन के भीतर परियोजना के लिए जारी हो जाए ताकि फंडिंग बेकार न पड़ा रहे ।

7.1.3 थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग

मिशन में प्राप्त संयुक्त प्रस्तावों के आधार पर, थर्ड पार्टी का मॉनीटरिंग दौरा इस प्रकार योजनाबद्ध किया गया कि अगली किस्त जारी होने से पहले रिपोर्ट उपलब्ध हो सके। आगे केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए जाने वाले दौरों को ध्यान में रखते हुए थर्ड पार्टी दौरे रखे गये।

प्राथमिकता प्राप्त पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. (बड़ी एवं मध्यम सिंचाई) परियोजनाओं तथा उनके कमान क्षेत्र विकास व संरक्षण प्रबंधन कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए तथा उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने की दृष्टि से, एल.टी.आई. एफ. से संसाधनों को प्राप्त कर, राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए रा.ज.वि.अ. को अभिकरण के रूप में अभिज्ञात किया गया है । इन परियोजनाओं को केन्द्रीय अंश के रूप में निधि प्रदान करने के लिए नाबार्ड से फंडिंग प्राप्त करने हेतु 06.09.2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. एवं नाबार्ड के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7.1.4 31 मार्च 2021 तक विभिन्न राज्यों को जारी पी एम के एस वाई निधि का वितरण

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान नाबार्ड ने एल टी आई एफ–पी एम के एस वाई परियोजना के अंतर्गत रूपये 4156.30 करोड़ का ऋण रा.ज.वि.अ. को जारी किया जिसे रा.ज.वि.अ. ने 18 राज्यों, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण तथा उत्तरी कोइल जलाशय परियोजना को संवितरित कर दिया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने नाबार्ड को रूपये 2968.53 करोड़ मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान किया।

मॉनीटरिंग दौरों एवं प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) में सूचनाओं को अद्यतित करने के लिए रा.ज.वि.अ. के अधीन पी एम यू केन्द्रीय जल आयोग के साथ समन्वयन कर कार्य कर रहा है। बाद में, एम आई एस प्रणाली को अद्यतन करने/परियोजना विशेष की सूचनाओं के लिए पी एम यू प्रत्येक परियोजना के नोडल अधिकारी से सीधे तौर पर केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से समन्वयन कर रहा है।

31.03.2021 तक राजविअ द्वारा (करोड़ रूपये में) विभिन्न राज्यों को आबंटित पी एम के एस वाई एआईबीपी निधि का विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्य	2019–20 तक जारी निधियन	वर्ष 2020–21 के दौरान जारी निधियन	31.03.2021 तक जारी कुल निधियन
1	आंध्र प्रदेश	91.8100	0.00	91.8100
2	असम	3.5500	4.00	7.5500
3	बिहार	131.9433	14.1200	146.0633
4	छत्तीसगढ़	56.3400	6.4496	62.7896
5	गोआ	0.00	3.84	3.8400
6	गुजरात	5457.4987	177.9566	5635.4553
7	जम्मू और कश्मीर	34.0722	12.1800	46.2522
8	झारखंड	756.7300	0.00	756.7300
9	कर्नाटक	940.7570	242.5600	1183.3170
10	केरल	0.00	2.6900	2.6900
11	मध्य प्रदेश	747.8350	63.2800	811.1150
12	महाराष्ट्र	1448.7098	348.0768	1796.7866
13	मणिपुर	204.8440	23.51	228.3540
14	ओडिशा	1229.9677	110.857	1340.8247
15	पंजाब	112.4160	165.5300	277.9460
16	राजस्थान	385.0750	124.87	509.9450
17	तेलंगाना	511.0440	162.8200	673.8640
18	उत्तर प्रदेश	1156.0720	397.84	1553.9120
	परियोजना का नाम			
19	पोलावरम परियोजना	7664.1600	2234.2000	9898.3600
20	उत्तरी कोइल परियोजना	659.7000	61.5200	721.2200
	सकल कुल	**21592.5247**	**4156.3000**	**25748.8247**

अध्याय–8
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वैबसाइट

30 सितम्बर, 2005 को रा.ज.वि.अ. ने अपनी वैबसाइट http//www.nwda.gov.in प्रारंभ की। वैबसाइट द्विभाषी बनायी गयी है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत अभिज्ञात और प्रस्तावित 14 वैब फ्रैंडली संभाव्यता रिपोर्टों को मूल रूप में वैबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। इसके अलावा एनपीपी के नदी विकास के हिमालय घटक के अधीन आने वाले अंतःर्राज्यीय लिंक परियोजनाओं की एक संक्षिप्त झलक और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों को भी हितधारकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

राजविअ की वेबसाइट को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिये ई–गवर्नेंस को शामिल किया और दिव्यांग अनुकूल मॉड्यूल विकसित करके और इस तरह वेबसाइट को कई और हितधारकों के लिए आसानी से सुलभ बनाने के लिए, वेबसाइट को एनआईसी की मदद से फिर से डिजाइन और पुनर्विकास किया गया। नई पुनः डिजाइन और पुनर्विकसित वेबसाइट अक्टूबर 2017 में लॉन्च की गई और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त आवश्यकताओं और निर्देशों के आधार पर दिन–प्रतिदिन के आधार पर उन्नयन और अद्यतन किया जाता है।

वेबसाइट के होम पेज से जिन मुख्य लिंकों तक पहुँचा जा सकता है, वे हैं: हमारे बारे में ; राजविअ कार्यालयों का स्थानवार विवरण ; राजविअ के प्रत्येक कार्यालय के कार्य कार्यक्रम और कर्मचारियों की संख्या के विवरण को उजागर करने वाला संगठन चार्ट ; प्रायद्वीपीय घटकों ; हिमालयी घटकों के उप–लिंकों पर राजविअ अध्ययन, अंतःराज्यीय लिंक और विस्तृत परियोजना रिपोर्टिंग ; पर के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम, रिक्ति, निविदाएं, ई–गवर्नेंस, पीएमकेएसवाई / एआईबीपी, हमसे संपर्क करें, आईएलआर के लिए विशेष समिति इसकी उप–समितियों, समूहों और टास्क फोर्स आदि ; भारत जल सप्ताह, नागरिक चार्टर, आईएलआर संबंधित मामले, प्रकाशन, शिकायत निवारण, सतर्कता मामले, अदालती मामले, हिंदी का उपयोग, मीडिया में जल संसाधन ; संसद में आईएलआर, बैठक/गतिविधि, नया क्या है, शब्दावली, संबंधित लिंक, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, आईएलआर पर विचार चर्चा मंच, आधिकारिक प्रपत्र और आधिकारिक परिपत्र आदि। होम पेज अपने द्विभाषी पेजों, राजविअ के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट, स्क्रीन रीडर एक्सेसिबिलिटी और दिव्यांग अनुकूल मॉड्यूल को लिंकेज भी प्रदान करता है।

इन मुख्य लिंक के अलावा राजविअ में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर बैनर/फोटो गैलरी खण्डों के अधीन चित्रमय दृश्य प्रदान करने के लिए होम पेज विकसित किया गया है। राजविअ की वेबसाइट राजविअ की स्थापना और उसके उद्देश्यों और कार्यों पर संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करती है। एक समर्पित ई–गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी विकसित किया गया है और जिसके माध्यम से सभी राजविअ अधिकारियों और कर्मचारियों के संक्षिप्त प्रोफाइल को दैनिक आधार पर अपलोड और अपडेट किया गया है।

अध्याय–9
रा.ज.वि.अ. की अन्य गतिविधियां

9.1 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियां

रा.ज.वि.अ. में प्रशिक्षण एवं ज्ञान के आदान–प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में जल संसाधन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक की जानकारी कम्प्यूटर प्रचालन, लेखा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में ज्ञान बढ़ाने हेतु, विभिन्न संगठनों/अभिकरणों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सेमिनारों में भाग लेने के लिए, रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों को भेजा गया।

रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लिया उनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

9.2 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन

रा.ज.वि.अ. में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, सुरक्षा का अधिकार तथा भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन का विवरण निम्नलिखित हैः

भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का क्रियान्वयन किया गया । सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों सहयक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक श्रेणी–।।, प्रारूपकार श्रेणी–।।।, हिन्दी अनुवादक, चालक–।।।, प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक एवं एम.टी.एस. पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों तथा मार्गदर्शकों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को, वर्ग एम.टी.एस. से वर्ग ''ग'' तथा वर्ग ''ग'' के भीतर जहां कहीं लागू हो, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाता है ।

9.3 रा.ज.वि.अ. का नागरिक चार्टर

रा.ज.वि.अ. के नागरिक चार्टर में रा.ज.वि.अ. की प्रस्तावना, स्थापना, संगठनात्मक ढ़ांचा, गतिविधियां, शिकायतों के निवारण हेतु क्रियाविधि, भागीदारी आदि शामिल हैं। इसके कार्यबल की संघटना निम्नानुसार हैः

1	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.	अध्यक्ष
2	निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ.	सदस्य
3	निदेशक (प्रशासन), रा.ज.वि.अ.	सदस्य
4	मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	सदस्य
5	निदेशक (तकनीकी समन्वय), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6	निदेशक (तकनीकी), रा.ज.वि.अ.	सदस्य–सचिव/ नोडल अधिकारी

मुख्य अभियंता (मु.) को जन शिकायत अधिकारी तथा निदेशक (तक.) को नागरिक चार्टर के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। चार्टर का विवरण वैबसाइट पर अपलोड किया गया है।

9.4 महिला कर्मचारियों के यौन शोषण की शिकायतों के लिए समिति

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन शोषण को रोकने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, रा.ज.वि.अ. में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति कार्य कर रही है । समिति की संघटना निम्नानुसार हैः

क्र.सं	समिति की संघटता	अधिकारी	अध्यक्षीय अधिकारी
1.	श्रीमती जानसी विजयन	निदेशक (एम.ड़ी.यू.)	अध्यक्ष
2.	श्री राजेश कुमार	उप निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
3.	डॉ. (श्रीमती) आर. मलीथा	प्रतिनिधि, नारी रक्षा समिति, एन.जी.ओ., 2, राजनिवास मार्ग, सिविल लाईन्स 2, दिल्ली–5	सदस्य
4.	श्रीमती जसविंदर कौर	सहायक अभियंता	सदस्य

समिति अपनी जांच को आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्य अभियंता (मु.), रा.ज.वि.अ. को सौंपती है। समिति को वर्ष 2020–21 में रा.ज.वि.अ. की किसी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली है।

रा.ज.वि.अ. महिला कर्मचारियों ने महानिदेशक रा.ज.वि.अ. की अध्यक्षता में अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर 'चुनौती का सामना करें' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 मनाया। 8 मार्च को आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ सुमन चाहर, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बाल केन्द्र थीं।

9.5 साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह तथा कौमी एकता सप्ताह

रा.ज.वि.अ. में साम्प्रदायिक सद्भावना की भावना का उत्थान करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2020 तक साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह एवं कौमी एकता सप्ताह एक साथ मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान रा.ज.वि.अ. के सभी कर्मचारियों को ''राष्ट्रीय अखंडता की शपथ'' दिलाई गई। कार्यालय परिसर में जगह–जगह द्विभाषी पोस्टर लगाये गये।

9.6 आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन

रा.ज.वि.अ. की उपलब्धियों तथा गतिविधियों की सूचनाओं को प्रसारित करने के उद्देश्य से रा.ज.वि.अ. अक्तूबर, 1991 से त्रैमासिक आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन कर रहा है। यह पत्रिका देश में जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर नवीनतम सूचनाओं, मीडिया में जल संसाधन, देश में जल संसाधनों के विकास के मुद्दे पर संसद (लोक सभा, राज्य सभा) में होने वाली चर्चाओं, रा.ज.वि.अ. में होने वाली गतिविधियों की झलकियों और भर्ती/पदोन्नति सेवानिवृति की सूचना तथा राजविअ, पदाधिकारियों द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण/सेमिनार, हिन्दी के बढते कदम तथा बहुआयामी क्षेत्रों पर लेखों, जिनमें जल विज्ञान, भूजल, सिंचित कृषि, सतही जल विकास संबंधी मुद्दे शामिल हैं तथा कार्यक्रमों जैसे प्रासंगिक पहलुओं को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर बल देती है। इसके अलावा रा.ज.वि.अ. के उद्देश्यों/कार्यों से संबंधित जल विज्ञान, भूजल, सिंचित कृषि, सतही जल विकास तथा आयोजना एवं अन्य संबंधित बहुआयामी विषयों को शामिल करते हुए भी तकनीकी लेख लिखे गए हैं।

यह पत्रिका इन हाउस तिमाही (जनवरी–अप्रैल, जुलाई तथा अक्तूबर) देश के विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों के जल संसाधन अभियंताओं तथा वैज्ञानिकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजी जाती है। प्रति वर्ष, पत्रिका का अक्तूबर अंक केवल हिन्दी में ''राजभाषा विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

9.7 स्वच्छ भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान क्लीन इंडिया मिशन (स्वच्छ भारत अभियान) का आधिकारिक शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट नई दिल्ली में किया था। तब से, विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व में पूरे वर्ष ''स्वच्छता पखवाड़ा'' के रूप में जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय तथा उससे संबद्ध सभी कार्यालयों, अधीनस्थ संगठनों, तथा पी एस यू ने, वर्ष 2020–21 के दौरान स्वच्छता संबंध विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। इसके दौरान निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की गईं :

- अन्वेषण प्रभाग रा.ज.वि.अ. नासिक–। एवं।। अधिकारियों ने 30.03.2021 को कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण का आयोजन किया।
- राज.वि.अ. के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में स्वच्छता जागरूकता पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- राज.वि.अ. के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा रैली का आयोजन किया गया।

रा.ज.वि.अ. अधिकारियों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान की झलकियां

राज.वि.अ. में स्वच्छता पखवाडा

राज.वि.अ. में आयोजित सफाई एवं स्वच्छता संदेश रैली

9.8 आजादी का अमृत महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के नागरिको को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **आत्मनिर्भर भारत 2.0** की भावना को सक्रिय करने के दृष्टिकोण को लागू करने की शक्ति और क्षमता भी है।

आजादी का अमृत महोत्सव भारत की सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के संबंध में जो भी प्रगतिशीलता है उसका मूर्तरूप है। ''आजादी का अमृत महोत्सव'' की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को शुरू होती है जो हमारी 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह तक मनायी जाएगी और 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। राजविअ मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव के समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित गतिविधियों की झलकियां इस प्रकार हैं:

22 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व जल दिवस समारोह के अवसर पर शपथ लेते हुए रा.ज.वि.अ. अधिकारी

भारत सरकार के नदी जोड़ कार्यक्रम पर जागरूकता निर्माण के एक भाग के रूप में अन्वेषण प्रभाग चैन्नै और वलसाड द्वारा नदी जोड़ कार्यक्रम पर प्रदर्शित बैनर

अध्याय–10
रा.ज.वि.अ. में सतर्कता गतिविधियां

10.1 परिचय

रा.ज.वि.अ. की सतर्कता शाखा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सहमति से नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में श्री चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशासन) को राज. वि.अ. में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। राज.वि.अ. में सीवीओ की भूमिका न केवल संगठन में भ्रष्टाचार और अन्य गैरकानूनी कदाचार के मामलों का पता लगाने के लिए है, बल्कि भ्रष्टाचार के बाद दोषियों की तलाश करने के बजाय निवारक उपाय करने के लिए है। वर्ष 2019–20 के दौरान, सीवीओ ने मोटे तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित किया:

(1) भ्रष्टाचार या कदाचार के दायरे को खत्म करने या कम करने की दृष्टि से संगठन के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं का विस्तार से परीक्षण।
(2) संगठन में संवेदनशील/भ्रष्टाचार संभावित स्थानों की पहचान करवा और ऐसे क्षेत्र में तैनात कर्मियों पर नजर रखना।
(3) प्रणाली की विफलताओं और भ्रष्टाचार या कदाचार के अस्तित्व का पता लगाने के लिए औचक निरीक्षण और नियमित निरीक्षण की योजना बनाना और लागू करना।
(4) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों पर उचित निगरानी रखना; तथा
(5) आचरण नियमों का शीघ्र पालन सुनिश्चित कराना।

10.2 सतर्कता और अनुशासनात्मक मामले

01.04.2021 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान सतर्कता संबंधी 01 शिकायत प्राप्त हुई। इस अवधि के दौरान, उत्तरी क्षेत्र रा.ज.वि.अ में अनुशासनात्मक कार्यवाही का एक (01) मामला प्रक्रियाधीन था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग और समय–समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्देशानुसार सभी मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए। इसके अलावा, 11, 12 मार्च 2021 को अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, बंगलूरू में 01 निवारक सतर्कता निरीक्षण किया गया।

10.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

राज.वि.अ. के सभी कार्यालयों में 27.10.2020 से 02.11.2020 की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। महानिदेशक, राज.वि.अ द्वारा रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 27.10.2019 को एक "प्रतिज्ञा" दिलाई गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार मुख्यालय में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार की बुराइयों को उजागर करने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए। मुख्य सतर्कता अधिकारी, राजवि.अ. ने "सतर्क भारत – समृद्ध भारत" विषय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ अपने विचार साझा किए और उक्त विषय पर 02.11.2020 को मुख्यालय कार्यालय में एक खुली बहस भी आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रमों पर एक रिपोर्ट जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को भी भेजी गई।

अध्याय–11
राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) राजभाषा (हिन्दी) के प्रगामी प्रयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तथा रा.ज.वि.अ. राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके नियमों के प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ एल आई सी) की त्रैमासिक बैठकें रा.ज.वि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली एवं इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. तथा कार्यालय प्रमुखों की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में किए गए विचार–विमर्शों तथा समीक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि हिन्दी का कार्यालयी प्रयोग और हिन्दी पत्राचार दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए। वर्ष 2020–21 में सहायक निदेशक (राजभाषा) ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी 05 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दो क्षेत्रीय कार्यालयों नामतः अन्वेषण सर्किल एवं अन्वेषण प्रभाग भुवनेश्वर का भौतिक निरीक्षण किया।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की अनुपालना हेतु रा.ज.वि.अ. मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में 01.09.2021 से 14.09.2021 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने पखवाड़े के दौरान, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपील जारी की। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा कार्यों को मूल रूप से हिन्दी में करें और यह भी कहा कि राजभाषा का प्रयोग मात्र पखवाड़े के दौरान ही नहीं वरन् इसे अपने कार्यों में निरंतर प्रयोग में लाना चाहिए। पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने दिनांक 26.11.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित नराकास की बैठक में भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने रा.ज.वि.अ. के कार्यों की सराहना की। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने दिनांक 11.01.2021 को अन्वेषण सर्किल भुवनेश्वर का राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और मुख्य अभियंता (उत्तर) ने इस बैठक में भाग लिया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि रा.ज.वि.अ. हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए किए गए कार्य एवं प्रयास बहुत संतोषजनक है और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रति अधिकारियों के समर्पण के लिए उनको बधाई भी दी।

दिनांक 11.01.2021 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा अन्वेषण सर्किल भुवनेश्वर का राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण

अध्याय–12
वित्त एवं लेखा

12.1 राज्यों को केंद्रीय सहायता – पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि सिंचाई फंडिंग (एल.टी.आई. एफ.)

2015–16 के दौरान, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई तक पहुंच सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' का उत्पादन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था जिससे इस प्रकार वांछित ग्रामीण समृद्धि लायी जा सके।

केंद्र सरकार ने देश में प्रमुख/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को केंद्रीय सहायता (सीए) प्रदान करने के लिए वर्ष 1996–97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना था जो पूरा होने के चरण में थी। पीएमकेएसवाई के शुभारंभ के बाद, एआईबीपी–पीएमकेएसवाई का एक हिस्सा बन गया।

पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत अभिज्ञात परियोजनाओं को एक निश्चित समय–सीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में फंडिंग जारी करने के लिए एल.टी.आई.एफ. से संसाधन उधार लेने के लिए केंद्र सरकार ने रा.ज.वि.अ. को एक अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अभिज्ञात किया है । इन परियोजनाओं के केंद्रीय अंश जारी करने के लिए नाबार्ड से ऋण लेने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. तथा नाबार्ड के मध्य 6 सितम्बंर, 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, नाबार्ड ने एल टी आई एफ–पी एम के एस वाई योजना के अंतर्गत 4156.30 करोड़ रूपए का ऋण जारी किया, जिसे रा.ज.वि.अ. ने 18 राज्यों, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण तथा उत्तरी कोईल जलाशय परियोजना को आबंटित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने नाबार्ड को 2968.53 करोड़ रूपये ब्याज का भुगतान किया है।

12.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ. को अनुदान सहायिकी तथा वास्तविक व्यय

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रा.ज.वि.अ. की आयोजना योजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने 56 करोड़ रूपये (18.16 करोड़ सामान्य अनुदान सहायिकी + 46.64 करोड़ अनुदान सहायिकी वेतन) अनुदान सहायिकी आबंटित की जिसमें से रा.ज.वि.अ. ने वित्त वर्ष 2020–21 में 68.79 करोड़ (अनुदान सहायिकी वेतन 45.22 करोड़ + अनुदान सहायिकी सामान्य 23.57 करोड़) रूपये का वास्तविक व्यय किया है

12.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2020–21 के लिए रा.ज.वि.अ मुख्यालय के लेखों तथा समेकित वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा 27.7.2021 से 6.8.2021 तक की गई।

अध्याय–13
आभारोक्ति

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, रा.ज.वि.अ. सोसायटी और विशेष सैल–नदी जोड़ के अध्यक्ष; श्री रतन लाल कटारिया, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री और राज.वि.अ. सोसाइटी के उपाध्यक्ष, श्री पंकज कुमार, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) अध्यक्ष, शासी निकाय, श्री यू.पी. सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय) और अध्यक्ष, शासी निकाय के कुशल मार्गदर्शन और निर्देशन में रा.ज.वि.अ ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में अच्छी प्रगति की है।

हम केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्षों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जो राज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे हैं और विशेष सैल–नदी जोड़ के मतैक्यता समूह के अध्यक्ष रहे हैं। केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कार्यालय में क्रमिक रूप से कार्यभार संभाला, नामतः श्री आर के जैन (01.04.2020 से 31.12.2020); श्री. एस के हलदर (01.01.2020 से 31.3.2021) है; रा.ज.वि.अ सोसाइटी, शासी निकाय, तकनीकी सलाहकार समिति और विशेष सैल–नदी जोड़ के सभी सदस्यों को हमारा धन्यवाद। हम नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष सैल–नदी जोड़ और कार्यबल की उप–समितियों के सभी अध्यक्षों और सदस्यों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

राज.वि.अ. माननीय मंत्रियों से प्राप्त उत्कृष्ट सहयोग को स्वीकार करता है नामतः श्री महेंद्र सिंह, माननीय मंत्री (जल शक्ति) उत्तर प्रदेश, श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार; और श्री उदय लाल अंजाना, माननीय मंत्री (आईएनजीपी) राजस्थान सरकार, श्री राम किशोर कावरे, माननीय जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार जिन्होंने रा.ज.वि.अ. सोसाइटी और नदी जोड़ पर विशेष सैल की बैठकों में भाग लिया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश,, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और राज्यों के सचिवों, प्रमुख अभियंताओं और मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों के प्रति भी वर्ष 2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ. को सौंपे गए कार्यों से निपटने में उनके समर्थन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

रा.ज.वि.अ., जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; उर्जा मंत्रालय; सीडब्ल्यूसी; जीएसआई; सीजीडब्ल्यूबी; सीएसएमआरएस; एनआरविशेष सैल; एनआईएच; सीईए; आईएमडी; वाप्कोस और नीति आयोग आदि को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रा.ज.वि.अ जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने, अभूतपूर्व सहयोग करने तथा हमारे साथ सहयोग के लिए आभार प्रकट करता है।

राज्य सरकारों से प्राप्त अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

क्र.सं.	अंतःराज्यीय लिंक का नाम	नदियां	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट / संभाव्यता रिपोर्ट / डी.पी.आर की वर्तमान स्थिति
महाराष्ट्र			
1.	वेनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूरना तापी)	वेनगंगा और नलगंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट और डी. पी.आर. पूर्ण
2.	वेनगंगा – मंजरा घाटी	वेनगंगा और मंजरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
3.	ऊपरी कृष्णा – भीमा (छः लिंकों का तंत्र)	कृष्णा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
4.	दमनगंगा (इकदारे) – गोदावरी घाटी	दमनगंगा और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. प्रगति पर है।
5.(i)	ऊपरी वैतरना – गोदावरी घाटी	वैतरना और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
5.(ii)	दमनगंगा – वैतरना – गोदावरी (कदवा देव) घाटी	दमनगंगा, वैतरना और गोदावरी	संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी. पी.आर. प्रगति पर है।
6.	उत्तरी कोंकण – गोदावरी घाटी	पातालगंगा और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
7.	कोयना–मुंबई शहर	कोयना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
8.	श्रीराम सागर प्रोजेक्ट (गोदावरी)–पूर्णा–मंजीरा	गोदावरी, पूर्णा और मंजीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
9.	वेनगंगा (गोसीखुर्द) – गोदावरी (एस.आर.एस.पी.)	वेनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस ली गई।
10.	मध्य कोंकण – भीमा घाटी	सावित्री, कुन्डालिका, अम्बा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्या नहीं पायी गई।)
11.	कोयना–नीरा	कोयना और नीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
12.	मुलसी–भीमा	मुलसी और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
13.	सावित्री–भीमा	सावित्री और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
14.	कोल्हापुर–शांगली–शंगोला	कृष्णा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी अंतर्योजन परियोजनाएं	तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
16.	नार–पार– गिरना घाटी	नार–पार– गिरना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
17.	नर्मदा–तापी	नर्मदा– तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
18.	खरियाघुट्टा – नवाथा सतपुडा फुट हिल	छोड़ दी गई	भू–जल पुनर्भरण योजना जिसका अध्ययन केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा किया जाना है। इसलिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन के लिए राजविअ की तकनीकी सहलाकार समिति ने स्वीकार नहीं किया।
19.	खरियाघुट्टा घाट – तापी	छोड़ दी गई	
20.	जिगाँव – तापी–गोदावरी घाटी	तापी और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
गुजरात			
21.	दमनगंगा– साबरमती – चोरवाड	दमनगंगा, साबरमती और चोरवाड	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
ओडिशा			
22.	महानदी – ब्रह्माणी	महानदी और ब्रह्माणी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई है।)
23.	महानदी – रूषिकुल्या (बढ़मूल परियोजना)	महानदी और रूषिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
24.	वमसधारा – रूषिकुल्या (नन्दिनी नाला परियोजना)	वम्सधारा और रूषिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
25.	नागावल्ली–रूषिकुल्या– वमसधारा	नागावल्ली–रूषिकुल्या एवं वम्सधारा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रगति पर है।

झारखंड			
26.	दक्षिण कोइल – सुवर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुवर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
27.	सांख–दक्षिण कोइल	सांख और दक्षिण कोइल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण।
28.	बारकर–दामोदर– सुवर्णरेखा	बारकर, दामोदर और सुवर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण।
बिहार			
29.	कोसी–मेची (पूर्ण रूप से भारत में स्थित)	कोसी और मेची	डी.पी.आर. और पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण। तकनीकी आर्थिक मंजूरी दी गई।
30.	बरह– नवादा	गंगा और किउल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
31.	कोहरा–चंद्रावत (अब कोहरा लालबेगी)	कोहरा और चंद्रावत	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
32.	बूढी गंडक – नून– बाया– गंगा	बूढी गंडक, नून, बाया और गंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट, डीपीआर पूर्ण तथा केन्द्रीय जल आयोग ने इस लिंक परियोजना को बाढ़ शमन परियोजना के रूप में संस्तुति दी है तथा बिहार सरकार को सूचित कर दिया है।
33.	बागमती बूढी गंडक – (बेलवाधार होते हुए)	बूडी गंडक और बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
34.	कोसी–गंगा	कोसी और गंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
35.	बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना–चरण– II का विकास (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के निकट बैराज) और कोसी–अधवारा–बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देश्यीय परियोजना	कोसी–अधवारा और बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
36.	बक्सर में पंप कैनाल योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार में गंगा जल का अंतरण	गंगा	आरंभिक तौर पर राजविअ ने कार्य करने की सहमति दे दी थी लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त होने के बाद यह पाया गया कि ये अंतःराज्यीय लिंक नहीं है अतः इनको आरंभ नहीं किया गया।
37.	बदुआ –चंदन बेसिन का विकास	बदुआ और चंदन	
38.	सोन–फाल्गू लिंक	सोन और फाल्गू	प्राथमिक अध्ययन किया गया। पथांतरण स्थल पर जल संतुलन कम है। अतः संभाव्यता रिपोर्ट आरंभ नहीं की गई।
राजस्थान			
39.	माही – लूनी लिंक	माही और लूनी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
40.	वाकल – साबरमती – सेई – पश्चिम बनास – कामेरी	वाकल, साबरमती, सेई पश्चिम बनास और कामेरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
तमिलनाडु			
41.	पोन्नयार – पालार लिंक	पोन्नयार और पालार	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट और डीपीआर पूर्ण
कर्नाटक			
42.	अलमट्टी (बगल कोट)–मालाप्रभा उप बेसिन	मालाप्रभा और अलमट्टी	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पायी गई

43.	मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप बेसिन	मालाप्रभा और तुंगभद्रा	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पायी गई
44.	बेदती–धर्मा–वरधा लिंक	बेदती–धर्मा और वरधा लिंक	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
45.	भद्रा –वेदावथी (वाणी विलास सागर) लिंक	भद्रा और वेदावथी	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 11वीं बैठक में कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
46.	पश्चिम प्रवाही नदियों की योजनाओं का पथांतरण (बारापोल–ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल– ऊपरी कावेरी	
47.	वेदती और अघनासिनी से वरदा को पथांतरण	अघनासिनी और वरदा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त
छत्तीसगढ़			
48.	पायरी–महानदी लिंक	पायरी और महानदी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
उत्तर प्रदेश			
49.	शारदा गोमती लिंक	शारदा, गोमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रगति पर

परिशिष्ट-II

1 अप्रैल 2020 – 31 मार्च 2021 के दौरान राजविअ के अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं में भाग लिया

क्र संख्या	प्रशिक्षण / कार्यशालाएं / सम्मेलन / सेमिनार	अवधि	स्थान	आयोजक	जिन अधिकारियों ने भाग लिया
1	21वीं जल वार्ता	15.1.21	ऑनलाइन	राष्ट्रीय जल मिशन	राजविअ के तकनीकी अधिकारी, जल शक्ति मंत्रालय
2	"सामुदायिक स्तर पर आपदा में प्रौद्योगिकी की भूमिका" पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.2.21 से 5.2.21	ऑनलाइन	आपदा प्रबंधन केंद्र, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी	1. श्री डी. राम मोहना राव, कनिष्ठ अभियंता, नासिक 2. श्री निकुंज मलिक, कनिष्ठ अभियंता, दिल्ली
3	"विदर्भ में मालगुजई टैंकों का कायाकल्प" विषय के साथ	19.2.21	ऑनलाइन	राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय	राजविअ के तकनीकी अधिकारी
4	"जैव विविधता संरक्षण" पर प्रशिक्षण कार्यशाला	22.2.21 से 26.2.21	ऑनलाइन	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून	1. श्री एन.पी. साहू, कार्यपालक अभियंता, ग्वालियर 2. 2. श्री राघवेंद्र गुप्ता, कार्यपालक अभियंता, झांसी
5	''बांधो और नदी बेसिनो के विकास पर'' संगोष्ठी तथा ''जल एवं बांधों'' पर आई सी ओ एली डी ए पी जी संगोष्ठी	24.2.21 से 27.2.21	ऑनलाइन	आई सी ओ एल डी ड्रिप और केन्द्रीय जल आयोग	1. श्री मुजफ्फर अहमद, निदेशक (तक.) 2. श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक ने 24.02.2021 को उद्घाटन समारोह और प्लेनेरी सत्र मे भाग लिया
6	भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में स्प्रिंग रोड मैनेजमेंट द्वारा जल सुरक्षा पर 23 वीं जल चर्चा	5.3.21	ऑनलाइन	राष्ट्रीय जल मिशन, ज.सं.मं.	राजविअ के तकनीकी अधिकारी
7	जीवन पद्धति के एक अंग के रूप में नदी का पुनरूद्धार पर 24 वीं जल चर्चा	19.3.21	ऑनलाइन	राष्ट्रीय जल मिशल, ज.सं.मं.	राजविअ के तकनीकी अधिकारी
8	चौथा राष्ट्रीय भू–जल सम्मेलन (आई.एन.जी. डब्ल्यू.सी.–2021)	22.3.21 से 24.3.21	ऑनलाइन	सेंटर फार वाटर रिसोर्स, जेएनटीयू, हैदराबाद तथा वैश्विक भू–जल वैज्ञानिक	श्री भोपाल सिंह महानिदेशक सदस्य – चौथी आईएनजीडब्ल्यूसी–2021 की राष्ट्रीय सलाहकार समिति

Appendix-III

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन), नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources), New Delhi

सं:1017-पी.डी.ए(ए.एफ.डब्ल्यू.आर)/AMG-I/A/cs/NWDA/Cons./2021-22/ 4100
दिनांक: 27/10/2021

सेवा मे,
महानिदेशक,
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, (NWDA)
18-20, सामुदायिक केंद्र, साकेत,
नई दिल्ली - 110017.

28/10/2021
E 3164

विषय : राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर मसौदा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर मसौदा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि मसौदा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि के साथ टिप्पणी (यदि कोई हो तो) इस पत्र के जारी होने के 14 दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

यदि निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास कोई टिप्पणी नहीं है और सभी तथ्यों और आंकड़ों का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाएगा।

यह भी अनुरोध किया है कि उत्तरों की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा **email ID: pdaafwr@cag.gov.in** पर भी भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि

(सतीश कुमार) 27/10/2021
उप-निदेशक (AMG-I)

आठवाँ व नवाँ तल, सी॰ए॰जी॰ संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
8th & 9th Floor, C.A.G Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष/Phone : 011-23239419/20, फैक्स/Fax : 011-23239416
E-mail : pdaafwr@cag.gov.in

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.), नई दिल्ली के लेखों पर महालेखा परीक्षक की अलग से प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

1. हमने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के 31 मार्च, 2021 के संलग्न तुलनपत्र, आय तथा व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखाकार (दायित्व, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 20 (1) के अधीन लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में रा.ज.वि.अ. के 5 अन्वेषण सर्किल तथा मुख्यालय के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) नई दिल्ली का है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. इस समेकित अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां है जो रा.ज.वि.अ. (मु.) तथा इसकी चार यूनिटों भुवनेश्वर, पटना, ग्वालियर एवं हैदराबाद से संबंधित हैं। विधि के अनुरूप वित्तीय लेन–देन का लेखा परीक्षण किया गया है। विधि, नियम तथा विनियमों (माालिकाना तथा विनियामक) तथा कार्यकुशलता व निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर यदि लेखा परीक्षकों के पर्यवेक्षण यदि कोई है तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अलग से दर्शाया गया है।

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह उपयुक्त आश्वासन लें कि वित्तीय विवरणों में सामग्री को अधिक नहीं दर्शाया गया है और फिर लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का निर्धारण शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय हेतु एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं:

   (i) हमने सभी सूचना ओर स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास हेतु आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं।

   (ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र, आय–व्यय लेखे तथा प्राप्ति–भुगतान लेखे, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में उपयुक्ततः तैयार किए गए हैं।

   (iii) हमारी राय में, जहां तक इन बही खातों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि नियत परिसंपत्ति रजिस्टर को छोड़कर अभिकरण द्वारा रा.ज.वि.अ. के विनियमों के नियम 19 में आवश्यक रूप से उपयुक्त लेखा बहीखाते तथा अन्य संगत रिकार्ड रखे गए हैं।

   (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:

(क) तुलन पत्र
(क.1) देयताएं
वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 7)–₹11.48 करोड़

(1) ₹ 4.37 करोड़ के अव्ययित अनुदान को राज.वि.अ. द्वारा उनके खातों में दायित्व के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप देयता को कम बताया गया है और आय/पूंजीगत निधि को ₹ 4.37 करोड़ से अधिक बताया गया है।

(मुख्यालय)

(2) भारत जल सप्ताह के ₹ 73.70 लाख (एक बार अनुदान) के अव्ययित अनुदान को राज.वि.अ. द्वारा भारत जल सप्ताह के खातों में दायित्व के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप देयता को कम बताया गया है और आय/पूंजीगत निधि को ₹ 73.70 लाख से अधिक बताया गया है। आगे, राशि पर अर्जित ₹ 2.04 लाख को समेकित खातों में नहीं जोडा गया जिसके परिणाम स्वरूप आय और देयताओं को ₹ 2.04 लाख तक कम बताया गया है।

(मुख्यालय)

(3) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने विभिन्न प्रशासनिक व्ययों नामतः कार, मोटर साइकिल पार्किंग अधिभार, अन्य आनुबंधिक सेवाओं तथा लघु निर्माण कार्य, किराया, दूरभाष अधिभार, जेनरेटर पर एएमसी आदि के लिए रू. 25.28 राशि के भुगतान के

लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जो कि मार्च 2020 से संबंधित थी और उसका भुगतान अप्रैल 2021 में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देयता को कम बताया गया है और आय/पूंजीगत निधि को रू. 25.28 लाख से अधिक बताया गया है।

(मुख्यालय +ग्वालियर+ भुवनेश्वर +पटना)

(4) उपरोक्त में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जनवरी 2021 में भुवनेश्वर सर्किल में किए गए निरीक्षण के दौरान हुए रू. 2.69 लाख के व्यय को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त की गणना ना होने के कारण वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों और अन्य प्रशासनिक व्ययों में ₹ 2.69 लाख की राशि को कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटे में रू. 2.69 लाख की राशि कम दिखाई गई है।

(भुवनेश्वर)

(5) उपरोक्त में मार्च 2021 माह के दौरान युटीलिटी बिल, मैन पावर सेवाओं पर हुए रू. 1.35 लाख के व्यय को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त की गणना ना होने के कारण वर्तमान देयताओं तथा व्ययों को रू. 1.35 लाख की राशि तक कम बताया गया है।

(ग्वालियर)

(6) रिपोटिंग अवधि के बाद 2020–21 के दौरान राशि के लिए देयताओं को तदनुरूपी पूंजीगत कार्य प्रगति पर खातों सहित तैयार किया जाना था। उपरोक्त की गणना ना होने के कारण वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों और पूंजीगत कार्य प्रगति पर के खातों में रू.1.61 लाख की राशि तक कम दिखाया गया है।

(भुवनेश्वर)

क 2.2 वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची–11), रू 31.23

1 सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि पर प्राप्त रू 12.29 लाख की राशि को वर्तमान परिसंपतियों में शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप इसी राशि तक वर्तमान परिसंपत्तियों, आय एवं पूंजीगत निधि को कम दर्शाया गया है।

(मुख्यालय)

2 उपरोक्त में अवकाश वेतन की राशि पर प्राप्य दावों की राशि रूपये 4.19 लाख शामिल हैं। यह राशि विभिन्न कार्यालयों से अवकाश, वेतन एवं पेंशन अंशदान के लिए प्राप्य दावों से संबंधित है। दावों की अवधि 1984–85 से 2009–2010 तक की है। चूंकि दावे 10 वर्ष से अधिक अवधि के हैं इसलिए इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप व्यय में कमी तथा रू. 4.19 लाख की राशि तक परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है।

पूर्व मे की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी यह टिप्पणी की गई थी तथापि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

(हैदराबाद)

3 उपरोक्त में रू. 3.85 लाख की राशि पूर्व कर्मियों से संबंधित वेतन अग्रिम तथा अन्य अग्रिम से प्राप्त राशि है। दावे की अवधि वर्ष 1986–87 से आगे की है। चूंकि ये दावे बहुत पुराने हैं, अतः इसके लिए कोई प्रावधान बनाना चाहिए। गैर प्रावधान के कारण व्यय में कमी तथा वर्तमान परिसंपत्तियों को रूपए 3.85 लाख की राशि तक अधिक दर्शाया गया है।

पूर्व में की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी टिप्पणी की गई थी, तथापि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(हैदराबाद +पटना+ग्वालियर)

4 उपरोक्त में, दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंक परियोजना के साइट स्पेसिफिक सिसमिक डिजाइन पैरामीटर के परामर्शी कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूआरएस, पुणे को भुगतान किए गए रूपए 11.40 लाख (रूपए 5.70 लाख अग्रिम भुगतान तथा 5.70 लाख अंतिम भुगतान के रूप में) शामिल है। राजविअ, अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019 के बीच भुगतान किया गया था इसे वित्त वर्ष 2018–19 में सीपीडब्ल्यूआरएस, पुणे को किए गए अग्रिम भुगतान के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि भुगतान परामर्शी कार्यों के लिये किया गया था जो कि प्राथमिक व्यय की प्रकृति का है तथा अग्रिम के सापेक्ष समायोजन किया गया है, इसलिए इसे अग्रिम भुगतान के सापेक्ष पूंजीगत कार्य के अंतर्गत लेखांकित किया जाना चाहिए, इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, के अंतर्गत दर्शाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों को अधिक दर्शाया गया है तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर रूपए 11.40 लाख रूपए कम दर्शाए गए हैं।

(हैदराबाद)

5 31.03.2021 को आय और व्यय खाते की अनुसूची–17 (ब्याज अर्जित) के अनुसार यह उल्लेख किया गया कि राजविअ ग्वालियर मंडल ने रूपये 115008 और 238685 क्रमशः बचत बैंक खाते और ऋण और अग्रिम पर ब्याज अर्जित किया था। चूंकि वर्ष 2020–21 के दौरान अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज आय को भारत की संचित निधि में प्रेषित किया जाना था,

अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज के प्रेषण के लिए खातों में 3.54 लाख की देयता होनी चाहिए थी। देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देनदारियों को कम और आय को 3.54 लाख से अधिक बताया गया है।

(ग्वालियर)

6. उपरोक्त में आईडी हैदराबाद में कर्मचारियों के बकाया और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के लिए 3.32 लाख शामिल नहीं हैं। इसका लेखा–जोखा न रखने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और व्ययों को रू.2. 3.32 लाख से कम बताया गया।

ए.2 परिसंपत्तियां

ए.2.1 अचल संपत्तियां (अनुसूची 8) रू. 3.48 करोड़

1. राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण ने रुपए 71.36 लाख की नियत परिसंपत्तियों का क्रय किया परंतु पूंजीगत निधि में रुपए 67. 31 लाख ही जोड़े गए। इसके कारण नियत परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा पूंजीगत निधि को रुपए 4.05 (71.36 लाख –रुपए 67.61 करोड) तक कम दर्शाया गया है।

(मुख्यालय)

2 राजविअ ने प्रस्तावित महानंदा बैराज से जहां पर पुरबा दंगापारा में महानंदा नदी मिलती है तथा प्रस्तावित पुरबा दंगापारा से बगडोब बैराज तक सर्वेक्षण कार्य जिसकी कुल लंबाई 132 किलोमीटर है के डीजीपीएस प्रणाली द्वारा करने तथा नक्शे तैयार करने एवं सर्वेक्षण एवं अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य रू.18.85 लाख की लागत से मैसर्स एक्सीलिनोवा को कार्य (14.12.2018) सौंपा था

कार्य की प्रगति के अनुसार इसके लिए किए गए भुगतान को लघु कार्यों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के रूप में वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के आय तथा व्यय लेखें में राजस्व मद के रूप में दर्शाया गया है।

चूंकि उपरोक्त कार्यो में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण तथा आरसीसी पिलिर्स के निर्माण सहित अंतिम रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, अतः है इसे पूंजीकृत किया जाना चाहिए। पूंजीकृत न होने के कारण परिसंपतियों को कम दर्शाया गया है तथा व्यय में 18.85 लाख रुपए तक वृद्धि दर्शाई गई है।

(भुवनेश्वर)

3. कंप्यूटरों की आपूर्ति के आदेश को रद्द करने के लिए अभिकरण द्वारा किए गए अनुरोध को न मानने की दशा में रुपए 1.61 की राशि को उपरोक्त राशि में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, भुवनेश्वर ने आपूर्ति आदेश रद्द करने के लिए अभिकरण से अनुरोध किया था जिसे अभिकरण ने अस्वीकार कर दिया उपरोक्त सामग्री राजविअ ने 1.61 लाख रुपए में प्राप्त (21.4.2021) की। चूंकि आदेश रद्द नहीं हुआ था तथा राजविअ का कर्तव्य था कि वह वस्तुओं का क्रय करें जिन्हें अप्रैल, 2021 में रिपोर्टिंग अवधि में प्राप्त किया, इस राषि की देयताओं को तदनुरूपी प्रगति 2020–21 इसके लिये देयताओं को बनाया जाना था।

उपरोक्त के गैर लेखांकन के कारण वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों तथा पूंजीगत कार्य प्रगति को 1.61 लाख तक कम दर्शाया गया है।

(भुवनेश्वर)

4 उपरोक्त में, दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी लिंक परियोजना के साइट स्पेसिफिक सिसमिक डिजाइन पैरामीटर के परामर्शी कार्य के लिए सीपीडब्ल्युआरएस, पुणे को भुगतान किए गए रूपए 11.40 लाख (रूपए 5.70 लाख अग्रिम भुगतान तथा 5.70 लाख अंतिम भुगतान के रूप में) शामिल है। राजविअ, अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019 के बीच भुगतान किया गया था इसे वित्त वर्ष 2018–19 में सीपीडब्ल्युआरएस, पुणे को किए गए अग्रिम भुगतान के रूप में दर्शाया गया है। चूंकि भुगतान परामर्शी कार्यों के लिये किया गया था जो कि प्राथमिक व्यय की प्रकृति का है तथा अग्रिम के सापेक्ष समायोजन किया गया है, इसलिए इसे अग्रिम भुगतान के सापेक्ष पूंजीगत कार्य के अंतर्गत लेखांकित किया जाना चाहिए, इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, के अंतर्गत दर्शाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों को अधिक दर्शाया गया है तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर रूपए 11.40 लाख रूपए कम दर्शाए गए हैं।

(हैदराबाद)

5 उपरोक्त में अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा परामर्शी कार्यों के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में सीएसएमआरएस, नई दिल्ली तथा मैसर्स पावर मैट्रिक्स, भोपाल को क्रमशः भुगतान की गई अग्रिम राशि रू 9.78 लाख तथा रू. 7.47 लाख की राशि को शामिल नहीं किया गया है। यह पाया गया है कि संबंधित वित्तीय वर्षों में उपरोक्त कथित राशि को प्रशासनिक व्यय में दर्शाया गया है। चूंकि इन राशियों को अग्रिम भुगतान के रूप में भुगतान किया गया है और अंतिम भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, इन्हें अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों को कम बताया गया है तथा रू. 17.25 लाख की राशि तक पूंजीगत निधि को कम दर्शाया गया है।

(हैदराबाद)

6 ''दावा प्राप्य'' उन कर्मचारियों से वसूली योग्य अवकाश वेतन के दावों का प्रतिनिधित्व करता है जो राजविअ में प्रतिनियुक्ति पर आए थे। ये अवकाश वेतन अग्रिम 1983–84 से 2013–14 तक दिए गए थे, तथापि, वे लेखापरीक्षा की तिथि तक वसूले नहीं जा सके हैं। चूंकि अग्रिम 7 वर्ष से लेकर 37 वर्षों तक की अवधि के हैं इसलिए इनकी वसूली बहुत आसान प्रतीत नहीं होती है। अतः इन वसूली योग्य अग्रिमों के लिए आवश्यक प्रावधान बनाए जाने चाहिए।

उपरोक्त के गैर लेखांकन के परिणास्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों (अनुसूची–।।) को अधिक दर्शाया गया है तथा रूपए 10.02 लाख की राशि तक डूबते हुए ऋण के प्रावधान को कम दर्शाया गया है।

(पटना +भुवनेश्वर)

7 राजविअ ने प्रस्तावित महानदी–गोदावरी लिंक मार्गस्थ सिंचाई के दीर्घकालीन प्रभावों को समझने के लिए समरूपण अध्ययन के लिए विभिन्न संभव परिदृश्यों के अध्ययनों के लिए परामर्शी कार्य राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की को सौंपा (6 मार्च, 2020) था जिसकी लागत रू. .85 लाख है। परामर्शी कार्य की भुगतान अनुसूची – अनुबंध हस्ताक्षर के समय 20**%** तथा कर; आरंभिक रिपोर्ट सौंपने पर 20**%** तथा कर; प्रारूप रिपोर्ट सौंपने के बाद 40**%** तथा अंतिम रिपोर्ट सौंपने पर 20**%** तथा कर के भुगतान के लिए अनुबद्ध है। तद्नुसार, राजविअ, मुख्यालय कार्यालय ने 31.03.2020 को प्रथम किश्त के रूप में रू.17.00 लाख का भुगतान किया तथा राजविअ, भुवनेश्वर के खाते में व्यय के रूप में दर्शाया है। 15.07.2020 को आरंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद 10 सितम्बर, 2020 को दूसरी किश्त का भुगतान किया गया है। चूंकि पहली किश्त का भुगतान केवल अनुबंध हस्ताक्षर होने के बाद किया गया था और उस समय कार्य में कोई प्रगति भी नही हुई थी, इसलिए इसे व्यय के बजाय अग्रिम के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिमों आदि (अनुसूची–।।) में रू.17.00 लाख तक कम दर्शाया गया है तथा इसी राशि तक पूर्ण अवधि के व्यय में अधिक दर्शाया गया है।

(भुवनेश्वर)

क 2.3 उद्दिष्ट / अक्षय निधि से निवेश (अनुसूची–9)–
रू. 14.10 करोड़

राजविअ ने नियत जमा निवेश रू.14.91 करोड़ के बजाय रू.14.10 करोड़ दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप निवेश के साथ–साथ रू. 0.81 करोड़ तक उद्दिष्ट / अक्षय निधि के अंतर्गत पूंजीगत निधि कम दर्शायी है।

(मुख्यालय)

क 2.4 सर्किलों से/को परिसंपत्तियों का अंतरण (अनुसूची–7 एवं 11)
31.03.2021 तक राजविअ, हैदराबाद को रू. 38.54 लाख की परिसंपत्ति अन्य सर्किलों से प्राप्त हुई तथा अन्य सर्किलों को रू. 42.47 लाख की परिसंपत्ति अंतरित की गई। प्राप्ति पर, परिसंपत्तियों की कीमत ''नियत परिसंपत्तियों'' में जोड़ दी गई थी। इसी प्रकार से स्थानान्तरण पर परिसंपत्तियां की कीमत नियत परिसंपत्तियों में से घटा दी गई।

इतना ही नहीं बल्कि, शीर्ष पूंजीगत निधि से संबंधित कीमत नहीं घटाई गई। उपरोक्त त्रुटि के कारण पूंजीगत निधि को रू. 3.93 लाख तक अधिक दर्शाया गया है। चूंकि परिसंपत्तियों का अंतरण और प्राप्ति नियमित आधार पर होती है, तथा राजविअ, हैदराबाद ने उन परिसंपत्तियों को वापस करने का दाायित्व पूरा नहीं किया, अतः परिसंपत्तियों का अंतरण और प्राप्ति को केन्द्रीय स्वायत्त शासी निकायों के लेखा फार्मेट में समरूपता के अनुरूप अलग से नहीं दर्शाया गया है।

पूर्व की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी यह टिप्पणी की गई थी परन्तु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(हैदराबाद)

आय एवं व्यय
व्यय
ख–1 अन्य प्रशासनिक व्यय रू. 6.30 करोड़

1 यद्यपि भारत जल सप्ताह के पास व्यय के लिए अपनी अलग विशेष निधि है, फिर भी निर्माण से संबंधित (भारत जल सप्ताह) रू. 24.64 लाख की राशि को अनुसूची–21 अन्य प्रशासनिक व्यय में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजविअ मुख्यालय खाते में उपरोक्त राशि तक व्यय तथा वर्तमान देयताओं को अधिक दर्शाया गया है।

(मुख्यालय)

2 प्रस्तावित गोदावरी (जानमपेट) – कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना के पाइपलाइन सर्वेक्षण के लिए इमेजिस जीआईएस इंजीनियरिंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड को सौंपे गए कार्य पर व्यय को वर्ष 2017–18 में लघु निर्माण (निर्माण पर व्यय) में दर्शाया गया था। तथापि परियोजना की निविदा राशि थी परियोजना के प्राथमिक व्यय से संबंधित थी। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति में दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप रू. 69.95 लाख की राशि तक पूंजीगत निधि में कम दर्शाया गया तथा इसी सीमा तक पूंजीगत कार्य प्रगति को कम दर्शाया गया।

लेखों की पिछली लेखा परीक्षा में भी यही टिप्पणी की गई थी परंतु प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(हैदराबाद)

3 नदी सर्वेक्षण सहित स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, गोदावरी नदी पर प्रस्तावित जनमपेट बैराज स्थल पर तट भाग, गोदावरी (जनमपेट) कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक नहर का संरेखन सर्वेक्षण, गोदावरी (जनमपेट)–कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक परियोजना की डीपीआर में शामिल करने के लिए ड्रॉइंग तैयार करने की रिपोर्ट सहित कार्यों के लिए इमैजिस इंजीनियरिंग सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड, को सौंपे गए कार्य के लिए वर्ष 2020–21 में किए गए भुगतान में उपरोक्त रू.4.02 लाख शामिल नहीं है तथा इन्हें लघु निर्माण (निर्माण पर व्यय) में दर्शाया गया था। परियोजना की निविदा राशि रू. 23.79 लाख थी, जिसमें से राजविअ, हैदराबाद ने दिनांक 31.03.2021 तक रू. 23.00 लाख का भुगतान कर दिया है। तथापि राशि परियोजना के प्राथमिक कार्यों से संबंधित है। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर शीर्ष में दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान व्यय में रू. 4.02 लाख तक अधिक दर्शाया गया है, पूंजीगत निधि में रू. 18.98 लाख तक कम दर्शाया गया है तथा पूंजीगत कार्य प्रगति शीर्ष में रू. 23.00 लाख तक कम दर्शाया गया है।

यही टिप्पणी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी परंतु प्रबंधन की ओर से कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(हैदराबाद)

4 उपरोक्त में मार्च, 2021 के लिए रू. 2.00 लाख की पेशेवर सेवाएं तथा रू. 5.39 लाख की आनुबंधिक सेवाओं का प्रावधान शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप व्यय में कमी दर्शायी गई है तथा वर्तमान देयताओं में रू.7.39 लाख तक कम दर्शाया गया है।

(हैदराबाद)

5 राजविअ, नासिक द्वारा सॉफ्टवेयर क्रय करने (ग्लोबल मैनपावर डेस्कटॉप आधारित जीयोग्राफिक सूचना प्रणाली) के लिए रू. 47,500.00 तथा रू.13,500.00 (3 वर्षों के लिए क्वीक हील के 10 प्रयोगकर्त्ताओं के लिए) कुल रू. 61,000.00 का भुगतान क्रमशः जुलाई, 2020 और फरवरी, 2021 में किया है जोकि उपरोक्त में शामिल नहीं है। केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकाय खातों की एकरूपता के लिए साफ्टवेयर क्रय पर होने वाले व्यय को कंप्यूटर एवं आनुशंगिक के उपशीर्ष में पूंजीगत किया जाना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया है तथा अन्य प्रशासनिक व्यय में रू.61,000.00 तक अधिक दर्शाया गया है। (उपयोज्य न होने के कारण साफ्टवेयर पर मूलह्रास की मात्रा तय नहीं की जा सकती।

(हैदराबाद)

6 उपरोक्त में अन्य अनुबंधिक सेवाएं, अंशकालिक सफाई अधिभार, मरम्मत एवं रख–रखाव, टीटीए, टीए तथा चिकित्सा व्यय, ईंधन अधिभार, दूरभाष अधिभार, सुरक्षा अधिभार आदि जैसे विभिन्न व्यय शामिल हैं जिन पर रू.15.29 लाख का व्यय हुआ है जोकि पिछले वर्ष से संबंधित है लेकिन वर्तमान वर्ष (2020–21) में इसका भुगतान किया गया है। चूंकि ये व्यय पिछले वर्ष से संबंधित है, इसलिए इन्हें सीजीए द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखांकन प्रोफार्मा के अनुसार, चालू वर्ष के व्यय के स्थान पर पूर्व अवधि व्यय में लेखांकन किया जाना चाहिए।
उपरोक्त के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप रू.15.29 लाख के पूर्व अवधि व्यय पर चालू कमी के साथ अन्य प्रशासनिक व्यय तथा स्थापना व्यय पर क्रमशः रू. 13.44 लाख तथा रू.1.85 लाख तक अधिक दर्शाया गया है।

(पटना +भुवनेश्वर)

7 उपरोक्त के अन्वेषण उपप्रभाग राजविअ, जयपुर से अन्वेषण प्रभाग राजविअ, भुवनेश्वर को एक कर्मचारी के स्थानांतरण पर रू.65,147.00 राशि टीटीए को शामिल नहीं किया गया। उपरोक्त कर्मचारी को अग्रिम के रूप में दिनांक 23.12.2020 को रू. 50,000.00 की अग्रिम मंजूरी दी गई थी जिसके समायोजन के लिए उसने दिनांक 27.10.2021 को रू. 65,147.00 का बिल प्रस्तुत किया तथापि व्यय को भुवनेश्वर प्रभाग के खातों में नहीं दर्शाया गया।

इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय में रू.65,147.00 कम दर्शाया गया है तथा ऋण एवं अग्रिमों में रू. 50,000.00 तक अधिक दर्शाया गया है।

(भुवनेश्वर)

ग प्राप्ति एवं व्यय

राजविअ को मंजूरी आदेश के अनुसार रू. 65.00 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ परंतु खातों के अनुसार इसे रू. 65.01 करोड़ दर्शाया गया है इसे प्रप्तियों में अधिक दर्शाया गया है तथा व्यय में 0.01 करोड़ तक अधिक दर्शाया गया है।(जो कि रू. 103284 है)

(मुख्यालय)

(घ)

1.सामान्य

बैंक समाधान विवरण में कमी थी क्योंकि (क) चैक जारी किए गए लेकिन बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये (2 मामले), बैंक के विवरण में क्रेडिट हुआ है लेकिन कैशबुक में डेबिड नहीं हुआ (2 मामले), चैक जमा किए गए लेकिन अभी प्राप्त नहीं किए हैं (1 मामला) बैंक विवरण में डेबिट हुआ है लेकिन कैश बुक में क्रेडिट नहीं हुआ है (2 मामले), इसके समाधान की आवश्यकता है।

(मुख्यालय)

2. वित्त मंत्रालय के एकरूप अकाउंट फॉर्मेट के अनुसार अनुदान/सहायिकी की अनुसूची संख्या 13 का रख–रखाव नहीं किया गया है। इसी प्रकार ग्वालियर द्वारा क्रय की गई रू.2.47 लाख की परिसंपत्तियों को अनुसूची–13 अनुदान/सहायिकी के अंतर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं दर्शाया गया है।

वर्ष 2019–20 के लेखा पर लेखापरीक्षा के इस बिन्दु को उठाया गया था तथा दिए गए आश्वासनों के आधार पर छोड़ दिया गया था और उसे प्रबंधन पत्र में शामिल किया गया था। आवश्यक सुधार नहीं किया गया है।

(ग्वालयिर +मुख्यालय)

3. राजविअ खातों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय) के लिए अलग से एक बैंक खाता (एसबीआई खाता संख्या –37808532231) खोला गया है तथा इस खाते की शेष राशि को वार्षिक खातों में जोड़ा नहीं गया है।

(मुख्यालय)

4. तुलन पत्र में यह दर्शाया गया था कि लम्बे समय से विभिन्न कार्यालयों से रू.11.20 लाख (अनुलग्नक–। देखें) की नियत परिसंपत्तियां प्राप्त हुईं।

यद्यपि, उपरोक्त परिसंपत्ति का प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास हुआ है, फिर भी तुलनपत्र में इसी मूल्य की देयताओं को दर्शाया गया है। (अनुलग्नक–।) जैसाकि परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास प्रत्येक वर्ष होता है, अतः इसे अन्य कार्यालयों से प्राप्त परिसंपत्तियों में समायोजित किया जाना चाहिए।

(भुवनेश्वर)

5. परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि रू.54534.00 की नकरात्मक राशि को व्यय के बजाय आय में दर्शाया गया है।

(भुवनेश्वर)

(ड.) 1 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची–24)

राजविअ ने सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि के प्रावधान के लिए किसी लेखा नीति का प्रकटन नहीं किया है।

(हैदराबाद + भुवनेश्वर +पटना)

पूर्व में की गई लेखा परीक्षा में दी गई टिप्पणियों के बावजूद भी प्रबंधन की ओर से कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है।

2.आय एवं व्यय खातों में दर्शाया गया ''निर्माण'' केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के एकरूप फार्मेट के अनुसार नहीं है।

पूर्व में लेखा परीक्षा में दी गई टिप्पणियों के बावजूद भी प्रबंधन की ओर से कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

(हैदराबाद)

3. अन्वेषण प्रभाग, नासिक के नियत परिसंपत्ति रजिस्टर से पता चलता है कि तुलन पत्र तथा नियत परिसंपत्ति में दर्शाई गई राशि में रू.3,09.769 का अंतर है।

(हैदराबाद)

4. अनुदान सहायिकी के संबंध में लेखानीति खातों में स्पष्ट नहीं की गई है।

(भुवनेश्वर)

5. राजविअ, ग्वालियर अंकित मूल्य (डब्ल्यूवीडी) पद्धति पर मूल्यह्रास अधिभार कर रहा है। आगे, राजविअ कार्यालय उपस्कर पर 15%की दर से मूल्यह्रास अधिभार करता है। तथापि, आयकर अधिनियम 1961 द्वारा पुनः प्रस्तुत कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय उपस्करों के मूल्यह्रास की दर 19% है।

इस प्रकार, राजविअ, ग्वालियर सर्किल द्वारा अपनायी गई पद्धति एवं दर लेखों के एकरूप खातों का उल्लंघन है।

(ग्वालियर)

(च) आकस्मिक देयताएं

उपरोक्त में राजविअ के सापेक्ष मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत दावा की गई मुआवजे की राशि के रूप में रू 15.00 लाख शामिल नहीं है। अतः उपरोक्त राशि आकस्मिक देयताओं में दर्शाई जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आकस्मिक देयताओं में रू.15.00 लाख तक कमी आयी है।

(भुवनेश्वर)

(छ) अनुदान सहायता

राजविअ ने वर्ष 2020–21 के दौरान रू.65.00 करोड़ की कुल अनुदान सहायता प्राप्त की। इसमें पिछले वर्ष का प्रारंभिक शेष रू.8.16 करोड़ अव्ययित अनुदान के रूप में था। कुल रू.73.16 करोड़ में से राजविअ ने रू.4.37 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदानों को छोड़कर रू.68.79 करोड़ का उपयोग किया।

(मुख्यालय)

v) पूर्व के पैराग्राफों में अपने पर्यवेक्षणों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने इस रिपोर्ट में जो तुलन पत्र तथा आय एव व्यय खाते और प्राप्ति एवं भुगतान खाते शामिल किए हैं खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi) हमारे विचारों और हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर उक्त वित्तीय विवरणों को लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर और ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन भारत में सामान्यताः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

(क) जहां तक यह दिनांक 31 मार्च, 2021 तक राजविअ के कार्यों की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है।
(ख) जहां तक यह उस उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उस दिनांक तक आय एवं व्यय खातों के अधिशेष से संबंधित है।

(सतीश कुमार)
उपनिदेशक (एएमजी– I)

राजविअ के खातों पर अलग प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है परंतु मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के पीआरएओ तथा अनुभाग के विद्यमान कर्मचारियों द्वारा करवाई जाती है। कोविड–19 की असामान्य परिस्थितियों के कारण इस वित्त वर्ष में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी, केवल ग्वालियर सर्किल की ही आंतरिक लेखा परीक्षा की गई।

2.आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

i) राजविअ मुख्यालय में दीर्घ कालीन अग्रिम के लिए ब्राडशीट का रख–रखाव नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक खातों में दर्शाए गए दीर्घकालीन अग्रिमों की राशि की सत्यता सत्यापित नहीं किया जा सका।

ii) ''अन्य ऋण तथा अग्रिम'' (अनुसूची–।।) शीर्ष के अंतर्गत कर्मचारियों तथा अन्य शीर्ष में मुख्यालय राजविअ के मामले नहीं दर्शाए गए हैं जोकि राजविअ मुख्यालय में लम्बे समय से वसूली के लिए लंबित हैं।

iii) राजविअ, मुख्यालय, अन्वेषण प्रभाग, ग्वालियर और झांसी कार्यालय में जीएफआर–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया है।

iv) राजविअ, हैदराबाद सर्किल के मामले में कैश बुक का रख–रखाव निर्धारित जीएआर–3 में नहीं किया गया था।

v) राजविअ, हैदराबाद सर्किल के अधीन विभिन्न व्ययों की निगरानी के लिए जीएआर 9/टीआर–28 में व्यय नियंत्रण रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया है।

vi) अन्वेषण प्रभाग, पटना ने जेम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और पुराने तरीके से कोटेशन लेकर तुलनात्मक विवरण बनाकर वस्तु और सेवाओं का क्रय किया जाता हैं। यह जीएफआर के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन है और वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने में मितव्ययिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित नहीं करता है।

3. संपत्ति के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

i) राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के भवन, फर्नीचर एवं जुड़नार, प्लांट एवं मशीनरी, वाहन एवं कंप्यूटर आनुषंगिकों का दिनांक 31.03.2021 तक भौतिक सत्यापन किया गया।

ii) वर्ष 2020–21 में राजविअ, अन्वेषण सर्किल, हैदराबाद की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। तथापि, आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग, नासिक, अन्वेषण प्रभाग बैंगलूरू तथा अन्वेषण प्रभाग चेन्नै में पहचान किए गए अनुपयोगी वस्तुओं की प्रमात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

iii) दिनांक 31.03.2021 तक अन्वेषण सर्किल, राजविअ, भुवनेश्वर की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। राजमुंद्री, आंध्रप्रदेश स्थित उप–प्रभाग का भौतिक सत्यापन उस उप प्रभाग के केवल एक पदाधिकारी द्वारा किया गया।

4.वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

i) राजविअ (मुख्यालय) में 2020–21 तक स्टेशनरी, पुस्तकों, प्रकाशनों तथा उपयोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया।

ii) राजविअ, अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद का 2020–21 तक की वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. सांविधिक देय राषि के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, किसी भी इकाई में दिनांक 31.03.2021 तक सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(सतीश कुमार)
उपनिदेशक (एएमजी–।)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ), नई दिल्ली के खातों पर अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर उत्तर।

क. तुलन पत्र **क.1 देयताएं** **वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7) रूपये 11. 48 करोड़**	
1.रूपये 4.37 के अव्ययित अनुदान को राजविअ द्वारा उनके खातों में देयता के रूप में नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप देयता को कम बताया गया और पूंजीगत निधि को रूपये 4.37 करोड़ से अधिक बताया गया।	1.वित्तीय वर्ष 2021–22 से अव्ययित अनुदान को दायित्व के रूप में दर्शाया जायेगा।
2.भारत जल सप्ताह के रूपये 0.74 (एकमुश्त अनुदान) के अव्ययित अनुदान को राजविअ द्वारा आईडब्ल्यूडब्ल्यू के खातों में दायित्व के रूप में खातों में नहीं दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप देयता को कम बताया गया और पूंजीगत निधि को रूपये 0.74 करोड़ से अधिक बताया गया।	2.रूपये 0.74 करोड़ की राशि अव्ययित अनुदान नहीं है यह राजविअ द्वारा प्रायोजन शुल्क, प्रदर्शनी शुल्क, प्रतिनिधिमंडल शुल्क आदि के लिए एकत्र की गई राशि है। मंत्रालय द्वारा दी गई रूपये 1.00 करोड़ की सहायता अनुदान राशि को राजविअ ने भारत जल के आयोजन में व्यय कर दिया है।
3.राजविअ ने विभिन्न अन्य प्रशासनिक व्ययों नामतः कार और बाइक पार्किंग शुल्क, अन्य संविदात्मक सेवाएं और मामूली कार्य, किराया, टेलीफोन शुल्क, जेनरेटर पर एएमसी, आदि पर रूपये 25.28 लाख के भुगतान का प्रावधान नहीं किया था। जो कि मार्च 2020 से संबंधित था लेकिन भुगतान अप्रैल 2021 में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देयता को कम तथा आय/पूंजीगत निधि को रूप 25.28 लाख तक अधिक दशार्या गया है।	3.वित्तीय वर्ष 2021–22 से राजविअ लेखापरीक्षा द्वारा सलाह के अनुसार विभिन्न अन्य प्रशासनिक खर्चों के भुगतान का प्रावधान करेगा।
4.उपर्युक्त में जनवरी 2021 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति के दौरे पर किए गए व्यय के रूप में रूपये 2.69 लाख की राशि और मार्च महीने के लिए उपयोगिता बिलों और जनशक्ति सेवाओं की आपूर्ति पर व्यय रूपये 1.35 लाख की राशि शामिल नहीं है। उपरोक्त के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप रूपये 4.04 लाख की सीमा तक व्यय और देयता को कम बताया गया है। इस प्रकार, समान राशि से आय का अधिक विवरण है।	4. भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
5. दिनांक 31.3.2021 को आय और व्यय खाते की अनुसूची–17 (ब्याज अर्जित) के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि राजविअ ग्वालियर सर्किल ने बचत बैंक खाते और ऋण और अग्रिम पर क्रमशः रूपये 115008 और रूपये 238685 का ब्याज अर्जित किया था। चूंकि वर्ष 2020–21 के दौरान अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज आय को भारत की संचित निधि में प्रेषित किया जाना था, अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज के प्रेषण के लिए खातों में रूपये 3.54 लाख की देयता	5. यह राशि राजविअ के अंतिम बैंक शेष में शामिल है। वित्तीय वर्ष के अंत में, जिसके लिए राजविअ ने मंत्रालय से अप्रैल के महीने के पहले 15 दिनों के लिए खर्च करने की अनुमति प्राप्त की थी क्योंकि राजविअ को अप्रैल महीने के अंत में सहायता अनुदान मिलता है। इसलिए इसे भारत की समेकित निधि को लौटाया नहीं गया था। इसलिए, इसे आय और व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाया गया है।

प्रदान की जानी चाहिए थी। देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं को कम बताया गया और आय को रूपये 3.54 लाख से अधिक बताया गया।	भविष्य में अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज को भारत की संचित निधि में भेज दिया जाएगा।
6.उपरोक्त में अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद में कर्मचारियों के बकाया और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के लिए रूपये 3.32 लाख और व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित 2.00 लाख की राशि और रूपये 5.39 लाख की संविदात्मक सेवाओं से संबंधित मार्च 2021 के प्रावधान शामिल नहीं हैं। इसका लेखा–जोखा न रखने के परिणामस्वरूप चालू देनदारियों और व्ययों को रूपये 10.71 लाख से कम बताया गया है।	6. वित्तीय वर्ष 2021–22 से इस प्रकार के व्यय को बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में दिखाया जाएगा।
क. 2 परिसंपत्तियां **क.2.1 उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश (अनुसूची 9) रूपये 14.10 करोड़**	
राजविअ ने रूपये 14.91 करोड़ के बजाय नियत जमाओं में 14.10 करोड़ रूपये का निवेश दिखाया है। इसके परिणाम स्वरूप उद्दिष्ट /अक्षय निधि में रूपये 0.81 करोड़ तक निवेश में पूंजीगत निध को कम दर्शाया गया है।	बैंक में इसका समाधान किया जा रहा है और इसे अगली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।
क.2.2 सर्किलों को/से परिसंपत्तियों का स्थानांतरण (अनुसूची 7 और 11)	
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, राजविअ, हैदराबाद ने अन्य सर्किलों से रू. 38.54 लाख की संपत्ति प्राप्त की और रू. 42.47 लाख की राशि को अन्य सर्किलों में स्थानांतरित कर दिया। प्राप्त होने पर, संपत्ति का मूल्य 'स्थायी संपत्ति' में जोड़ा गया था। हालांकि, इसके लिए 'पूंजीगत निधि' में नहीं जोड़ा गया। इसी तरह, हस्तांतरण पर संपत्ति का मूल्य 'स्थायी संपत्ति' से घटाया गया था। फिर भी, मुख्य पूंजीगत निधि से संबंधित मूल्य को कम नहीं किया गया था। उपरोक्त चूकों के परिणामस्वरूप पूंजी निधि में 3.93 लाख से अधिक का विवरण दिया गया है। चूंकि संपत्ति स्थायी आधार पर और राजविअ से हैदराबाद से प्राप्त और स्थानांतरित की गई थी इसलिए उन परिसंपत्तियों को वापस करने के लिए बाध्य नहीं था, और संपत्ति के हस्तांतरण और संपत्ति की प्राप्ति केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुसार नहीं है।	यह संपत्ति के अंतर विभागीय हस्तांतरण को दर्शाता है। परिसंपत्ति प्राप्त करने वाले सर्किल को ''परिसंपत्ति की प्राप्ति'' के रूप में दिखाया जाता है और अचल संपत्ति में जोड़ा जाता है। इसे ''पूंजीगत निधि'' में नहीं जोड़ा गया था क्योंकि राशि पहले से ही उस सर्किल के ''पूंजीगत निधि'' में जोड़ दी गई थी जिसने परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया है। इसलिए सर्किल अंतरण परिसंपत्ति को ''परिसंपत्ति अंतरण'' लेखों में दिखाया गया है। ये प्रविष्टियां खाते को संतुलित करने के लिए की जाती हैं। इसलिए समेकन के समय में कुल पूंजी कोष और कुल अचल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। ''संपत्ति की प्राप्ति'' और ''परिसंपत्ति का हस्तांतरण'' दर्शाता है कि कुल संपत्ति हस्तांतरण और प्राप्त कुल संपत्ति।
यह टिप्पणी वर्ष 2019–20 के लिए एसएआर के लिए भी उठाई गई थी, हालांकि, प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	भविष्य में प्राप्तकर्ता सर्किल द्वारा ''पूंजीगत निधि'' की जमा के रूप में बनाया जाएगा और अंतरित सर्किल द्वारा मुख्य पूंजीगत निधि से संबंधित मूल्य कम हो जाएगा।

ख. आय और व्यय **व्यय** **ख.1 अन्य प्रशासनिक व्यय रूपये 6.30 करोड़** 1.कार्य (भारत जल सप्ताह) से संबंधित रूपये 24.64 लाख की राशि को अनुसूची–21–अन्य प्रशासनिक व्यय में दर्शाया गया था, हालांकि भारत जल सप्ताह में उनके व्यय के लिए अपना विशेष अनुदान है। इसके परिणामस्वरूप राजविअ मुख्यालय राशि में व्यय और वर्तमान देयताओं को उक्त राशि से अधिक बताया गया था।	1. अनुसूची–21 में दर्शाई गई रूपये 24.64 लाख की राशि– भारत जल सप्ताह के राजविअ खाते के अन्य प्रशासनिक व्यय दिनांक 06.09.2021 को भारतीय जल सप्ताह के लेखा से वापस प्राप्त हो गए हैं।
2. जीआईएस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रा लिमिटेड को आवंटित प्रस्तावित गोदावरी (जानमपेट)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना के पाइपलाइन सर्वेक्षण के लिए 2017–18 में लघु कार्यों (कार्यों पर व्यय) के तहत दर्शाया गया था। परियोजना की निविदा राशि 1.04 करोड़ थी जिसमें से राजविअ, हैदराबाद ने 31.03.2021 तक रूपये 69.95 लाख का भुगतान किया था। राशि, तथापि, परियोजना के प्रारंभिक व्यय से संबंधित है। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि को रू. 69.95 लाख से कम और पूंजीगत कार्य–प्रगति को उसी सीमा तक कम बताया गया है। वर्ष 2019–20 के लिए एसएआर में भी यही टिप्पणी जारी की गई थी लेकिन अभिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	2. गोदावरी (जानमपेट)–कावेरी (ग्रैंड अनीकट) लिंक परियोजना के पाइपलाइन सर्वेक्षण के लिए कुछ ''परामर्श कार्य'' ''जीआईएस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड'' को प्रदान किया गया था। भुगतान अनुबंध के अनुसार ''परामर्श कार्य'' की प्रगति के आधार पर किया गया है। यह परियोजना के प्रारंभिक खर्चों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा यह बताना है कि, ''कार्य प्रगति पर'' के लिए कोई अलग लेखा शीर्ष नहीं है। तथापि, कार्य पूर्ण हुआ तथा रूपये 24,99,980 का अंतिम भुगतान भी 25.10.2021 को किया गया। यह व्यय नदी को आपस में जोड़ने के परामर्शी कार्य से संबंधित है जो कि राजविअ का कार्य है। इसलिए इसे ''लघु कार्य'' शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।
3. उपरोक्त में आईएमएजीआईएस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट को 2020–21 के दौरान भुगतान की जाने वाली रू. 4.02 लाख की राशि शामिल है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण (नदी सर्वेक्षण) के लिए जिसमें नदी सर्वेक्षण, गोदावरी नदी पर प्रस्तावित जनमपेट बैराज स्थल पर तट भाग, गोदावरी (जनमपेट)–कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक नहर के संरेखण सर्वेक्षण शामिल हैं, जिसमें डीपीआर में शामिल करने के लिए चित्र की रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, गोदावरी (जनमपेट)–कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना की और छोटे कार्यों (कार्यों पर व्यय) के तहत बुक किया गया था। परियोजना की निविदा राशि रूपये 23.79 लाख थी, जिसमें से राजविअ, हैदराबाद ने 31–03–2021 तक रूपये 23.00 लाख का भुगतान किया था। तथापि, परियोजना के प्रारंभिक व्यय से संबंधित है। इसे पूंजीगत कार्य प्रगति पर के तहत दशार्या जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए व्यय को रू. 4.02 लाख से अधिक बताया गया और पूंजीगत निधि को रू. 18.98 लाख से कम बताया गया और पूंजीगत कार्य–प्रगति को रू. 23.00 लाख से कम बताया गया। वर्ष 2019–20 के लिए एसएआर में भी यही टिप्पणी जारी की गई थी लेकिन अभिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	3.भुगतान अनुबंध के अनुसार कार्य की प्रगति के आधार पर किया गया है। यह परियोजना के प्रारंभिक खर्चों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा, यह बताना है कि राजविअ में ''कार्य प्रगति पर'' के लिए कोई अलग लेखा शीर्ष नहीं है। कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 25–10–2021 को रूपये 78,720/– का अंतिम भुगतान भी कर दिया गया था। यह व्यय नदियों को आपस में जोड़ने के सर्वेक्षण कार्य से संबंधित है, जो कि राजविअ का कार्य है। इसलिए इसे ''लघ कार्य'' शीर्ष के तहत बुक किया गया है।

4. उपरोक्त में विभिन्न व्यय शामिल हैं नामतः अन्य संविदात्मक सेवाएं, अंशकालिक स्वीपर शुल्क, मरम्मत और रखरखाव, टीटीए, टीए और चिकित्सा व्यय, ईंधन शुल्क, टेलीफोन खर्च, सुरक्षा शुल्क आदि। 15.29 लाख की राशि, जो पिछले वर्ष से संबंधित है , लेकिन चालू वर्ष (2020–21) के दौरान भुगतान किया गया। चूंकि ये व्यय पिछले वर्ष से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें सीजीए द्वारा प्रदान किए गए लेखा प्रदर्शन के अनुसार चालू वर्ष के व्यय के बजाय पूर्व अवधि व्यय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था।	4. राजविअ की लेखा नीति के अनुसार, वेतन और किराए को छोड़कर, अन्य सभी भुगतानों को जब भी खर्च किया गया था, उनका हिसाब किया गया है।
उपरोक्त के गैर–लेखांकन के परिणामस्वरूप अन्य प्रशासनिक व्यय और स्थापना व्यय क्रमशः 13.44 लाख और रूपये 1.85 लाख से अधिक हो गए हैं, साथ ही पूर्व अवधि के व्यय को रूपये 15.29 लाख से कम बताया गया है।	चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2021–22 से यह निर्धारित लेखा प्रोफार्मो के अनुसार उपार्जित आधार पर होगा।
ग. प्राप्ति और व्यय राजविअ को स्वीकृति आदेशों के अनुसार कुल रूपये 65.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ लेकिन आर एंड पी खाते के अनुसार, इसे रूपये 65.01 करोड़ के रूप में दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्राप्तियों को अधिक बताया गया और व्यय को रू. 0.01 करोड़ (अर्थात रूपये 1,03,284) से अधिक बताया गया।	मामला फिर से सुलझाया जा रहा है और अगले लेखापरीक्षा को दिखायो जाएगा।
घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 1.राजविअ ने न तो सेवानिवृत्ति और उपदान निधि के प्रावधान के लिए किसी लेखा नीति का खुलासा किया है और न ही एएस 15 के अनुसार बीमांकिक आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान किया है।	1.ईएल नकदीकरण और सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन वार्षिक खाता 2021–22 में एएस 15 के अनुसार बीमांकिक के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
2.खातों में सहायता अनुदान के संबंध में लेखा नीति का खुलासा नहीं किया गया है।	2. अनुपालन के लिए नोट किया गया और वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रकट किया जाएगा।
ड. सामान्य वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम में रूपये 4.19 लाख विभिन्न कार्यालयों से छुट्टी वेतन और पेंशन योगदान के कारण प्राप्य दावे हैं, रूपये 3.85 लाख पूर्व कर्मचारियों के वेतन अग्रिम और अन्य अग्रिमों के लिए प्राप्य राशि है और रूपये 10.02 लाख दावे एनडब्ल्यूडीए में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों से अवकाश वेतन की वसूली के संबंध में वसूली किया जाना शेष है। चूंकि ये दावे 10 साल से अधिक पुराने हैं, इसलिए इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था।	राजविअ बकाया की उक्त वसूली के लिए लगातार अनुस्मारक जारी कर रहा है अर्धसरकारी पत्र भी जारी किये जा रहे हैं।
च. सहायता अनुदान राजविअ को 2020–21 के दौरान रूपये 65.00 करोड़ का कुल सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। इसमें पिछले वर्ष के अव्ययित अनुदान के रूप में रूपये 8.16 करोड़	यह तथ्यात्मक विवरण है।

का प्रारंभिक शेष था। कुल रूपये 73.16 करोड़ में से, राजविअ ने रूपये 4.37 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदान को छोड़कर रूपये 68.79 करोड़ का उपयोग किया। इसके अलावा, राजविअ को वर्ष के दौरान भारत जल सप्ताह के लिए सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि, इसका अंतिम शेष रूपये 0.65 करोड़ और अन्य आय रूपये 0.20 करोड़ थी। रूपये 0.85 करोड़ की कुल निधि में से, इसने रूपये 0.74 करोड़ के अप्रयुक्त अनुदानों को छोड़कर रूपये 0.11 करोड़ का उपयोग किया।	
छ. प्रबंधन पत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई कमियों को सुधारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के ध्यान में लाया गया है।	
v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलनपत्र, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्ति और भुगतान खातों की किताबों के अनुरूप हैं।	यह लेखा परीक्षा द्वारा दिया गया एक विवरण है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामले और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टि प्रस्तुत करती है।	यह लेखा परीक्षा द्वारा दिया गया एक विवरण है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
क. जहां तक यह 31 मार्च 2021 को राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के मामलों की स्थिति के तुलनपत्र से संबंधित है। **ख.** जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।	यह लेखा परीक्षा द्वारा दिया गया एक विवरण है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यह लेखा परीक्षा द्वारा दिया गया एक विवरण है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।
राजविअ के लेखों पर अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	
1.आतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता कोई अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है लेकिन मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा ए.ओ. वित्त विंग के मौजूदा कर्मचारियों के साथ मंत्रालय द्वारा की जाती है। कोविड के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया था। 2020–21 तक केवल ग्वालियर सर्किल की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है तथा शेष क्षेत्र/सर्किलों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है।	राजविअ मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय के मुख्य ए.ओ. द्वारा किया गया है । राजविअ मुख्यालय के वित्त विंग द्वारा राजविअ के क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राजविअ मुख्यालय ने बंगलूरू, ग्वालियर, और झांसी की आंतरिक लेखा परीक्षा कर ली है और शेष क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए महानिदेशक, राजविअ के अनुमोदन से एक कैलेंडर तैयार किया गया है।
2.आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इस प्रकार मजबूत करने की आवश्यकता है:	

i) राजविअ के मुख्यालय में लंबी अवधि के अग्रिमों के लिए ब्रोडशीट का रखरखाव नहीं किया गया था। ii) राजविअ मुख्यालय में लंबे समय से वसूली के लिए लंबित राजविअ के मुख्यालय कार्यालय के मामले में "अन्य ऋण और अग्रिम" (अनुसूची 11) शीर्ष के तहत उल्लिखित कर्मचारियों और अन्य के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। iii) राजविअ मुख्यालय,सर्किल कार्यालय, ग्वालियर और झांसी में जीएफआर–22 के अनुसार परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। IV) राजविअ हैदराबाद सर्किल में निर्धारित प्रपत्र जीएआर 3 में कैश बुक का रखरखाव नहीं किया गया था। V) राजविअ हैदराबाद सर्किल में विभिन्न शीर्षों के तहत व्यय को देखने के लिए जीएआर 9 /टीआर–28 ए में व्यय नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था।	i) लंबी अवधि के अग्रिमों के लिए ब्रॉडशीट तैयार की जाएगी और अगली लेखापरीक्षा को दिखाई जाएगी। ii) यह विभिन्न एजेंसियों को आपूर्ति और काम पूरा करने के लिए दिया गया अग्रिम है। उनसे शेष राशि की वसूली की जाएगी। इसे बैलेंस शीट के परिसंपत्ति में दिखाया गया है। संबंधित पक्ष से राशि की वसूली के लिए अनुस्मारक जारी किया जाएगा। iii) यह प्रगति पर है और इसे अगली लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा। IV) चूंकि राजविअ में लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का पालन किया जाता है, जीएआर–3 में रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया जा सकता है। V) 2021–22 के बाद से बनाए रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसे अगली लेखा परीक्षा में दिखाया जाए।
3.परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन (1) 31.03.2021 तक राजविअ (मुख्यालय), नई दिल्ली के भवन, फर्नीचर और स्थिरता, संयंत्र और मशीनरी, वाहन और कंप्यूटर और सहायक उपकरण जैसी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया था। **1. सूची का भौतिक सत्यापन** (1) राजविअ मुख्यालय में 2020–21 तक स्टेशनरी, पुस्तकों और प्रकाशनों और उपभोग्य वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। 2) राजविअ, अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद के 2020–21 तक वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। 5.सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता। खातों के अनुसार, किसी भी इकाई में 31.03.2021 तक सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था। **प्रबंधन पत्र** 1.बैंक समाधान विवरण जारी किए गए लेकिन बैंक को प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण (2 मामले), बैंक विवरण पर क्रेडिट लेकिन कैशबुक में डेबिट नहीं होने के कारण (2 मामले), चेक जमा किए गए लेकिन अभी तक एकत्र नहीं किए गए (1 मामला) और बैंक पर डेबिट विवरण लेकिन रोकड़ बही में जमा नहीं किया गया (2 मामले)। इसके समायोजन की आवश्यकता है। 2.राजविअ, अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद के लिए संपत्ति का भौतिक सत्यापन 2020–21 तक किया गया था। हालांकि, अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग	यह तथ्यात्मक विवरण है। यह तथ्यात्मक विवरण है। यह तथ्यात्मक विवरण है। यह तथ्यात्मक विवरण है। यह तथ्यात्मक विवरण है। इसका समाधान किया जायेगा और अगली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा। अनुपालन के लिए लेखा परीक्षा के पर्यवेक्षण को नोट किया गया।

नासिक, अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई में पहचानी गई अनुपयोगी वस्तुओं को डेटा के अभाव के कारण प्रमाणित नहीं किया जा सका।	
3.अन्वेषण प्रभाग नासिक, अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई में कार्य नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था। अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद, अन्वेषण प्रभाग बैंगलोर और अन्वेषण प्रभाग चेन्नई में अनुबंधों का रजिस्टर नहीं रखा गया था।	यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यक रजिस्टर का रख रखाव किया जाए।
4. राजविअ, भुवनेश्वर के पांच वाहनों के बीमा के लिए 1.26 लाख का भुगतान व्यय के रूप में दर्ज किया गया है (वर्तमान वर्ष 54576 और पिछले वर्ष 71404 राशि) जिसमें 2020–21 के बाद की अवधि के लिए किए गए 0.47 लाख का बीमा शुल्क भी शामिल है। . चूंकि 0.47 लाख का बीमा 2020–21 के बाद की अवधि से संबंधित है और अग्रिम भुगतान किया जाता है, इसे पूर्व भुगतान खर्चों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था।	प्रथा के अनुसार राजविअ वास्तविक भुगतान किए जाने पर व्यय की बुकिंग कर रहा है। चूंकि वाहन के लिए बीमा का भुगतान बहुत कम राशि है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021–22 से लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का पालन किया जाएगा और अगले लेखा परीक्षा को दिखाया जाएगा।
5. लेखा मानक (एएस 10–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) के अनुसार, वित्तीय विवरण को सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान के लिए रखी गई संपत्ति की राशि का खुलासा किया जाना चाहिए। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, 1.30 लाख के मूल्य (शुद्ध ब्लॉक) के साथ अचल संपत्तियों की 143 वस्तुएं अनुपयोगी पाई गईं और सक्रिय उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए, इसे एएस 10 की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय विवरण में अलग से प्रकट किया जाना चाहिए।	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
6. अन्य आय में राजविअ, ग्वालियर सर्किल में व्यय शीर्ष के तहत संपत्ति की बिक्री पर नुकसान के तहत बुकिंग के बजाय वर्ष 2020–21 के दौरान संपत्ति के निपटान पर नुकसान के लिए 4742 (अन्य आय से निवल–ऑफ द्वारा) की राशि शामिल है।	संपत्ति के निपटान पर लाभ/हानि को अन्य प्राप्तियों के साथ अनुसूची 18 के तहत प्रदर्शित किया जाता है। संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि को अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। चूंकि उचित समय–सारणी के बिना अंतिम खातों में कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता है, इस प्रक्रिया का पालन राजविअ द्वारा किया जाता है। हालांकि, चालू वर्ष से इसे लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार दिखाया जाएगा।
7. आर्थिक मामलों के विभाग के अनुसार, वित्त मंत्रालय, सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 03/17/10–सीई दिनांक 26 अगस्त 2010 के अंतर्गत रुपये के रूप में आरई/आरएस के स्थान पर प्रतीक के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2020–21 की अवधि के लिए राजविअ, सर्किल कार्यालय, ग्वालियर के वित्तीय विवरण में अभिकरण ने 'रू' के स्थान पर अंग्रेजी में 'आरएस' का प्रयोग किया।	इसका पालन चालू वित्त वर्ष 2021–22 से किया जाएगा और अगली लेखा परीक्षा को दिखाया जाएगा।

8. चालू संपत्ति, ऋण अग्रिम में 3.26 लाख की राशि शामिल है, जिसका भुगतान अन्वेषण प्रभाग, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित एजेंसियों को अग्रिम के रूप में किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अंतिम बिल पहले ही जमा कर दिया गया है और उक्त एजेंसियों के साथ समायोजित किया जा चुका है। चूंकि कार्य पूरा हो चुका है और बिल जमा/समायोजित कर दिए गए हैं, उपरोक्त राशियों को अग्रिम के रूप में दिखाने के बजाय व्यय के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।	वित्तीय वर्ष 2021–22 से अनुपालन के लिए नोट किया गया।
9. अर्जित ब्याज में बैंकों से वेतन खाते और सामान्य खातों पर प्राप्त ब्याज के रूप में 0.34 लाख की राशि शामिल है, जो पिछले वर्ष से संबंधित हैं, चालू वर्ष की आय में शामिल हैं। चूंकि बचत खातों पर अर्जित ब्याज अप्रैल 2020 (वित्त वर्ष 2019–20 के खातों को अंतिम रूप देने से पहले) के दौरान प्रबंधन को ज्ञात था, उसी का हिसाब 2019–20 के दौरान ही होना चाहिए था। इसलिए, राशि को चालू वर्ष में पूर्व अवधि मद के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए था।	प्रथा के अनुसार राजविअ बैंक ब्याज को उस वर्ष की आय के रूप में दिखाता है जिसमें यह प्राप्त होता है। लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।
10. राजविअ पटना में बिना प्रामाणिक वाउचर के व्यय की बुकिंग के उदाहरण देखे गए। निम्नलिखित उदाहरण में माल के सेवा प्रदाता/विक्रेता द्वारा प्रस्तुत सहायक बिलों में जीएसटी संख्या नहीं थी और इसे भुगतान के लिए पारित किया गया था।	संबंधित कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आगे भी इस तरह की चूक से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।
11. राजविअ पटना में महत्वपूर्ण रजिस्टरों का अनुरक्षण न करना : अन्वेषण प्रभाग, लखनऊ सहायता अनुदान, अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय अग्रिम से संबंधित रजिस्टरों का संधारण नहीं कर रहा था।	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 2021–22 से सभी रजिस्टरों का रखरखाव किया जाए।
12. राशि पर 2.04 लाख के लिए अर्जित ब्याज को समेकित खातों में आय के रूप में नहीं जोड़ा गया था जिसके परिणामस्वरूप 2.04 लाख की राशि से आय और देयता कम बताई गई थी।	2.04 लाख का अर्जित ब्याज इंडिया वाटर वीक बैंक खाते में जमा किया जाता है और वही भारत जल सप्ताह के आय और व्यय खाते में दिखाया गया था। सही राशि 203982 है।
13. राजविअ ने विभिन्न अन्य प्रशासनिक खर्चों नामतः कार और बाइक पार्किंग शुल्क, अन्य संविदात्मक सेवाएं और मामूली कार्य, किराया, टेलीफोन शुल्क, जेनरेटर पर एएमसी, आदि के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं किया था जिसकी राशि ₹ 25.28 लाख है जो मार्च 2020 से संबंधित है लेकिन भुगतान अप्रैल 2021 में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देयता को कम तथा आय/पूंजीगत निधि को रूप 25.28 लाख तक अधिक दशार्या गया है।	वित्तीय वर्ष 2021–22 से राजविअ लेखापरीक्षा द्वारा सलाह के अनुसार विभिन्न अन्य प्रशासनिक खर्चों के भुगतान का प्रावधान करेगा।
14. वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में जनवरी 2021 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति के दौरे पर किए गए व्यय के रूप में 2.69 लाख की राशि शामिल नहीं है। उपरोक्त के गैर लेखांकन के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों और अन्य प्रशासनिक व्यय को 2.69 लाख से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप घाटे को 2.69 लाख तक कम दर्शाया गया है।	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।

15. वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में मार्च 2021 के महीने के लिए उपयोगिता बिलों और जनशक्ति सेवाओं की आपूर्ति पर खर्च होने के कारण 1.35 लाख की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 1.35 लाख की सीमा तक खर्च और देयता कम दर्शाया गया है।	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
16. वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में अन्वेषण प्रभाग हैदराबाद में कर्मचारियों के बकाया और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के लिए 3.32 लाख शामिल नहीं है और इसके लिए प्रावधान मार्च 2021 तक व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित 2.00 लाख और संविदात्मक सेवाओं की राशि 5.39 लाख में इसे शामिल किया जाना चाहिए था।	वित्तीय वर्ष 2021–22 से इस प्रकार के व्यय को तुलन पत्र में देयताओं के रूप में दिखाया जाएगा।
17. उपरोक्त में अन्वेषण प्रभाग, नासिक द्वारा परामर्श कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में क्रमशः सीएसएमआरएस, नई दिल्ली और मेसर्स पावर मैट्रिक्स, भोपाल को भुगतान की गई 9.78 लाख और 7.47 लाख की अग्रिम राशि शामिल नहीं है। यह देखा गया कि उक्त राशियों को उनके संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक व्यय में दर्शाया गया था। चूंकि, इन राशियों का भुगतान अग्रिम के रूप में किया गया था और अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए इन्हें अग्रिमों में दिखाया जाना चाहिए था।	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
18. तुलन–पत्र में यह दर्शाया गया था कि विभिन्न कार्यालयों से 11.20 लाख की अचल संपत्ति (अनुलग्नक 1 में संदर्भित) लंबे समय पूर्व प्राप्त हुई है। हालांकि, उक्त संपत्ति का साल–दर–साल मूल्यह्रास किया जाता है, उसी मूल्य की देयताओं को तुलनपत्र (अनुलग्नक 1) में दिखाया गया है। चूंकि संपत्ति का हर साल मूल्यह्रास होता है इसलिए इसे दूसरे कार्यालय से प्राप्त संपत्ति के खिलाफ समायोजित किया जाना चाहिए।	भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया।
19. परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि के रूप में 54534 की ऋणात्मक राशि को व्यय के बजाय आय पक्ष में कटौती के रूप में दिखाया गया था।	संपत्ति के निपटान पर लाभ/हानि को अन्य प्राप्तियों के साथ अनुसूची 18 में दर्शाया जाता है। संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि को अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। चूंकि उचित समय–सारणी के बिना अंतिम खातों में कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता है इसलिए इस प्रक्रिया का पालन राजविअ द्वारा किया जाता है। हालांकि, चालू वर्ष से इसे लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसार दिखाया जाएगा।
20. अनुदानों/सब्सिडी की अनुसूची संख्या 13 को लेखा के समान प्रारूप, वित्त मंत्रालय के अनुसार नहीं रखा गया था, इसी प्रकार, ग्वालियर द्वारा 2.47 लाख की लागत की खरीदी गई संपत्ति को अनुसूची 13 अनुदान/सब्सिडी के तहत पूंजीगत व्यय के रूप में नहीं दिखाया गया था। इस बिंदु को वर्ष 2019–20 के लेखा लेखापरीक्षा पर उठाया गया था और आश्वासन के आधार पर हटा दिया गया था और प्रबंधन पत्र में शामिल किया गया था। आवश्यक सुधार नहीं किया गया है।	राजविअ द्वारा प्राप्त अनुदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिस राशि से संपत्ति की खरीद की जाती है उसे पूंजीकृत किया जाता है और शेष आय और व्यय खाते में चार्ज किया जाता है। ग्वालियर में भी 2.47 लाख की संपत्ति खरीद पूंजीकृत की गई थी और इसे अगली लेखापरीक्षा में दिखाया जाएगा।
21. राजविअ खातों में से राजविअ के कार्यपालक	कार्यपालक अभियंता को जारी अस्थायी अग्रिम वित्तीय

अभियंता के पक्ष में एक अलग बैंक खाता (एसबीआई खाता संख्या 37808532231) खोला जाता है और इस खाते की शेष राशि वार्षिक खाते में शामिल नहीं होती है।	वर्ष 2020–21 के दौरान पूरी तरह से समायोजित किया गया था, इसलिए बैंक बैलेंस शून्य है और राजविअ के समेकित खातों में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। उक्त बैंक खाता बंद कर दिया गया है।
22. उपरोक्त में सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि 0.48 (ग्लोबल मैप प्रति डेस्कटॉप आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली) और 0.13 लाख (3 साल के लिए क्विक हील 10 उपयोगकर्ता) यानी राजविअ, अन्वेषण प्रभाग नासिक द्वारा कुल 0.61 लाख शामिल हैं जो क्रमशः जुलाई 2020 और फरवरी 2021 का महीने से संबंधित है। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुसार, सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए व्यय को उप शीर्ष कंप्यूटर और आनुशांगिकों के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को कम बताया गया है और अन्य प्रशासनिक व्यय को 0.61 लाख तक बढ़ा दिया गया है (उपयोगी जीवन की अनुपलब्धता के कारण सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी)।	चूंकि सॉफ्टवेयर रिपोर्ट तैयार करने के लिए खरीदा गया था इसलिए इसे लघु कार्य शीर्ष में दर्शाया गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 से लेखापरीक्षा के अवलोकन के अनुसार उक्त व्यय को उप–शीर्ष ''कंप्यूटर और आनुशांगिक'' के तहत पूंजीकृत किया जाएगा।
23. आय और व्यय खाते में 'कार्य' का विवरण केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है।	खाते केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए जाते हैं।
24. राजविअ भुवनेश्वर के लिए सर्किल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 31.03.2021 तक किया गया था। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में उप–प्रभाग कार्यालय का भौतिक सत्यापन उस उप–प्रभाग के केवल एक अधिकारी द्वारा किया गया था।	यह तथ्यात्मक विवरण है। हालांकि, भविष्य में लेखा परीक्षा के पर्यवेक्षण का पालन किया जाएगा।
25.वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम में दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी लिंक परियोजना के लिए साइट–विशिष्ट भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर्स के परामर्श कार्यों के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को भुगतान किए गए 11.40 लाख (अग्रिम भुगतान के रूप में 5.70 लाख और अंतिम भुगतान के रूप में 5.70 लाख) शामिल हैं। राशि का भुगतान सितंबर 2018 और मार्च 2019 में राजविअ (अ.प्र. नासिक) द्वारा किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2018–19 में सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे को किए गए अग्रिम भुगतान के रूप में दर्शाया गया था। चूंकि भुगतान परामर्श कार्य के लिए किया गया था जो प्रकृति में प्रारंभिक खर्चों का है और अग्रिमों के खिलाफ समायोजन किया गया था, इसे पूंजीगत कार्य में दर्शाया जाना चाहिए था।	दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी लिंक परियोजना के लिए साइट विशिष्ट भूकंपीय डिजाइन मापदंडों के परामर्श कार्य के लिए सीडब्ल्यूपीआरएस पुणे को राशि का भुगतान किया गया था। यह महाराष्ट्र सरकार की ओर से राजविअ द्वारा किया गया एक परामर्श कार्य है। रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार, सिंचाई विभाग को सौंपी जाएगी। इसलिए यह प्रारंभिक खर्च नहीं है और पूंजीगत कार्य के अंतर्गत नहीं आएगा।
26. राजविअ ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को प्रस्तावित महानदी–गोदावरी लिंक के लिए लंबी अवधि में सिंचाई के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए सिमुलेशन अध्ययन के लिए विभिन्न संभावित परिदृश्यों के अध्ययन के लिए परामर्श कार्य (06 मार्च	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया गया। भविष्य में आवश्यक सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएंगे।

2020) सौंपा जिसकी लागत 85 लाख थी। समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय 20 प्रतिशत से अधिक कर के भुगतान के लिए निर्धारित परामर्शी कार्यों का भुगतान, कार्य की स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 20 प्रतिशत तथा कर, प्रारूप रिपोर्ट जमा करने के बाद 40 प्रतिशत तथा कर, अंतिम रिपोर्ट जमा करने के बाद 20 प्रतिशत तथा कर का भुगतान किया गया था। तदनुसार, राजविअ, मुख्यालय कार्यालय द्वारा 31.03. 2020 को पहली किस्त के रूप में 17.00 लाख का भुगतान किया गया और राजविअ, भुवनेश्वर के खाते के लेखों में व्यय के रूप में दर्शाया गया। दूसरी किस्त का भुगतान दिनांक 15.07.2020 को स्थापना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 10 सितंबर 2020 को किया गया था। चूंकि पहली किस्त का भुगतान केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और कार्य की प्रगति के बिना किया गया था, इसे व्यय के बजाय अग्रिम के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था।	

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च, 2021 को समेकित तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र / पूंजीगत निधि	**1**	192605314.00	155505164.00
आरक्षित तथा अधिशेष	**2**	0.00	
विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट / विन्यास निधि	**3**	180745457.00	242069284.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**	0.00	
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**	0.00	
आस्थगित जमा देयताएं	**6**	0.00	
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	**7**	114790396.00	145191315.00
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियां प्राप्त करना	**7**	22585579.00	21767847.00
कुल		**510726746.00**	**564533610.00**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	**8**	34825141.00	35032849.00
निवेश–उद्दिष्ट / विन्यास निधियों	**9**	140962568.00	168074864.00
निवेश–अन्य	**10**	0.00	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	312319981.00	339624573.00
विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का स्थानांतरण	**11**	22619056.00	21801324.00
कुल		**510726746.00**	**564533610.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां			
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां			

ह/-

(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–2021 के लिए समेकित आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

आय	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय	12	92582000.00	0.00
अनुदान/सहायिकी	13	643372286.00	723812341.00
प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान व सहायिकी शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	0.00	0.00
निवेश से आय (उद्दिदष्ट/विन्यास में निवेश से आय, निधि में अंतरित निधि)	15	0.00	0.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00
उद्भूत ब्याज	17	6505559.00	3559405.00
अन्य आय	18	104533.00	713119.00
तैयार माल, प्रगति पर कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/कमी	19	0.00	0.00
कुल (क)		**742564378.00**	**728084865.00**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	447707176.00000	473794026.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	62977258.00	76815747.00
निर्माण कार्य	21	194594076.00	148011112.00
टास्क फोर्स/विशेष प्रकोष्ठ–आईएलआर	21	0.00	0.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	0.00	0.00
ब्याज	23	0.00	0.00
मूल्यह्रास	8	6716716.00	7401477.00
कुल		**711995226.00**	**706022362.00**
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख)		30569152.00	22062503.00
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		**30569152.00**	**22062503.00**
जनरल रिजर्व में/से स्थानांतरण			
अधिशेष जमा को कॉर्पस/पूंजीगत निधि में ले जाया गया			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां			
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां			

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष 2020–21 के लिए समेकित प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. **आदि शेष**			क. स्थापना व्यय		
क. रोकड़ शेष	631.00	16821.00	(अनुसूची 20क के तद्नुरूप)	450130581.00	468768330.00
ख. बैंक शेष			ख. प्रशासनिक व्यय		
1 चालू खातो में	651897.00	0.00	(अनुसूची 21क के तद्नुरूप)	63123542.00	76248161.00
2 बचत खातो में	44016446.00	72248740.00			
i. राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी	28256216.00		**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए गए निवेश के लिए भुगतान**		
ii. राजविअ मुख्य खाता एस बी आई	131270827.00		लिंक नहर परियोजना	174118877.00	146392212.00
iii. राजविअ परामर्श शुल्क एस बी आई	0.00		परामर्श शुल्क के लिए दिये गए अग्रिम	0.00	0.00
ग. डाक टिकट शेष	21858.00	23067.00			
घ. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	73994420.00	318236277.00	**III. जमा तथा निवेश**		
2. प्राप्त अनुदान			क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	0.00	0.00
क. भारत सरकार से	650103283.00	733190154.00	ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	140962568.00	168074864.00
ख. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी	0.00	0.00	सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.		
ग. राज्य सरकार से	0.00	0.00			
घ. ग्रांट (आई. ओ. आर. ए.)	0.00	0.00	**IV. नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
3. निवेश पर आय			क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	6730998.00	8471739.00
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	0.00	0.00	ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	0.00	0.00
ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00	0.00	ग. जल मंथन	0.00	0.00
ग. एफडीआर परिपक्वता	0.00	0.00	**V. ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**		
4. प्राप्त ब्याज			7वा वाईब्रैंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शिनी 2015 – ज.सं.मं.	0.00	0.00
क. बैंक जमाओं पर	5906632.00	2896663.00	**VI. वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	0.00	0.00
ख. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	2632499.00	0.00			
ग. ऋण तथा अग्रिम आदि	1415722.00	651762.00	**VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**		
घ. अग्रिम पर ब्याज	7205.00	10980.00	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	76870967.00	76166993.00
ड. मार्गस्थ सीपीएफ प्रतिपूर्ति	200000.00		सुरक्षा जमा/ई.एम.डी.	259463.00	550044.00
च. एफडीआर पर ब्याज	10589505.00		कर्मचारियों को अग्रिम	918993.00	1834277.00
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			अन्य को अग्रिम	78903.00	0.00
एनपीएस	0.00	0.00	पुराने चेक	0.00	906672.00
सीपीएफ	0.00	0.00	अन्य को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	36200.00	20877341.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	143928.00	513810.00	परामर्शी सेवाओं के लिए अग्रिम	1141876.00	0.00
विविध प्राप्तियां	44393.00	222834.00	प्रेषणा/धरोहर जमा	40000.00	142000.00
नोटिस अवधि की राशि की वसूली	0.00	62718.00	टी डी एस	581.00	0.00
अनुपयोगी संपत्तियों की बिक्री	38100.00	170868.00	सी.पी.एफ.	7738650.00	0.00
6. उधार ली गई राशि	0.00	0.00	जी एस एल आई एस	1680.00	0.00

7. कोई अन्य पावती (विवरण दें)			एनपीएस	0.00	0.00
प्राप्त एल एस व पी सी	4103.00	0.00	निष्पादन गारंटी	0.00	0.00
वसूली योग्य दावे	3396505.00	0.00	प्राप्य अवकाश वेतन खाता	0.00	101393.00
ऋण अग्रिम पर वसूली	330000.00	93014.00	**VIII. अंतिम शेष**		
कर्मचारियों से	1103191.00	290900.00			
अन्यों से	16275.00	423788.00	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	39782889.00	73994420.00
प्रेषणा	0.00	87000.00	एफडीआर	0.00	0.00
कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत	0.00	0.00	क. रोकड़ शेष	1.00	631.00
एस जी एस टी	0.00	11250.00	ख. बैंक शेष		
सी जी एस टी	0.00	11250.00	i. बचत खाते/चालू खाते (वेतन खाता)	104944871.00	166537570.00
एन पी एस	141311.00	278708.00	ii. बचत खाते/चालू खाते (सामान्य खाता)	6393506.00	37657816.00
प्राप्त छुट्टी वेतन	22814.00	21080.00	ii) मार्गस्थ नकद	5731504.00	0
अग्रिम राशि जमा	216803.00	127205.00	(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	118819585.00	0
टेलिफोन प्राप्य	0.00	0.00	ग. डाक शेष	15771.00	21858.00
निष्पादन गारंटी जमा की धरोहर राशि	18089.00	0.00	घ. मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00	0.00
एफडीआर परिपक्वता	170400000.00	0.00			
प्राप्य टी टी ए अग्रिम	10945.00	125353.00			
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्यूटी निधि लेखा	0.00	0.00			
भारत जल सप्ताह	0.00	0.00			
प्राप्त टी टी ए अग्रिम	0.00	0.00			
कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	10670.00	3990.00			
भुगतान योग्य अं.भ.नि.	0.00	24324120.00			
भुगतान योग्य जी एस एल आई एस	1769413.00	84440.00			
नोटिस अवधि वेतन	51030.00	22193.00			
परियोजना रिपोर्ट कार्य	70967200.00	92582000.00			
टी डी एस	0.00	15336.00			
आर्थिक हानि	73095.00	0.00			
त्यौहार अग्रिम	17000.00	0.00			
कुल	**1197842006.00**	**1246746321.00**	कुल	**1197842006.00**	**1246746321.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलनपत्र

विवरण	अनसची	मख्यालय	ग्वालियर	भवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कल	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	141293883.00	9581455.00	4937034.00	5352059.00	22546260.00	8894623.00	192605314.00	155505164.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	180745457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180745457.00	242069284.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आस्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	89314924.00	3822987.00	3995526.00	3303104.00	10651681.00	3702174.00	114790396.00	145191315.00
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति	7	2851857.00	9673653.00	1120247.00	1385968.00	3853775.00	3700079.00	22585579.00	21767847.00
कूल									
		414206121.00	**23078095.00**	**10052807.00**	**10041131.00**	**37051716.00**	**16296876.00**	**510726746.00**	**564533610.00**
परिसंपत्तियां									
नियत परिसंपत्तियां	8	11627096.00	4650696.00	3362741.00	3228126.00	6861737.00	5094745.00	34825141.00	35032849.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	140962568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140962568.00	168074864.00
निवेश–अन्य	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	257822952.00	8695224.00	4563321.00	4851341.00	25942976.00	10444167.00	312319981.00	339624573.00
विविध व्यय (बटटे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि									0.00
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण	11	3793505.00	9732175.00	2126745.00	1961664.00	4247003.00	757964.00	22619056.00	21801324.00
कूल		**414206121.00**	**23078095.00**	**10052807.00**	**10041131.00**	**37051716.00**	**16296876.00**	**510726746.00**	**564533610.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी	25								

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–21 के लिए सर्किलवार आय और व्यय खाता (आय)

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
विक्रय/सेवा से आय	12	92582000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92582000.00	0.00
अनुदान/सहायिकी	13	260505196.00	86023963.00	53770965.00	45715562.00	148701311.00	48655289.00	643372286.00	723812341.00
शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
में निवेश से आय जो निधियों में अंतरित की								0.00	
गई हो)								0.00	
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्जित ब्याज	17	5791155.00	353693.00	77737.00	68650.00	103026.00	111298.00	6505559.00	3559405.00
अन्य आय	18	-40915.00	8289.00	-54534.00	75472.00	106507.00	9714.00	104533.00	713119.00
तैयार माल के स्टॉक तथा निर्माणाधीन	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
माल और कार्यों में वृद्धि (कमी)									
कुल (क)		**358837436.00**	**86385945.00**	**53794168.00**	**45859684.00**	**148910844.00**	**48776301.00**	**742564378.00**	**728084865.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–21 के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा (व्यय)

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय	20	152954547.00	48288949.00	48726435.00	37864536.00	117316979.00	42555730.00	447707176.00	473794026.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	21888230.00	5418102.00	3706650.00	4256308.00	21729510.00	5978458.00	62977258.00	76815747.00
निर्माण कार्य	21	114221812.00	53389148.00	6336637.00	6034594.00	9385738.00	5226147.00	194594076.00	148011112.00
नदियों को जोड़ने पर टास्क फोर्स/विशेष प्रकोष्ठ	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	
अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब्याज	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्यह्रास	8	2356987.00	863392.00	617294.00	540180.00	1357656.00	981207.00	6716716.00	7401477.00
कुल (ख)		**291421576.00**	**107959591.00**	**59387016.00**	**48695618.00**	**149789883.00**	**54741542.00**	**711995226.00**	**706022362.00**
व्यय पर आय की अधिकता									
व्यय (क–ख)		**67415860.00**	**-21573646.00**	**-5592848.00**	**-2835934.00**	**-879039.00**	**-5965241.00**	**30569152.00**	**22062503.00**
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का विवरण दें)									0.00
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिकता के कारण शेष (कमी)									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि को ले जाया गया									
		67415860.00	**-21573646.00**	**-5592848.00**	**-2835934.00**	**-879039.00**	**-5965241.00**	**30569152.00**	**22062503.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां									
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी									

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–21 के लिए समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (प्राप्ति)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 आदि शेष								
क. रोकड़ शेष	1.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	631.00	16821.00
ख. बैंक शेष								
i. चालू खातों में	0.00	651897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651897.00	0.00
ii. बचत खातों में	0.00	7899022.00	8201263.00	5235186.00	12951625.00	9729350.00	44016446.00	72248740.00
(i) राजविअ सामान्य अनुदान सहायिकी	28256216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28256216.00	0.00
(ii) राजविअ मुख्य खाता एसबीआई	131270827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131270827.00	0.00
(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	0.00							
ग. डाक टिकट शेष	267.00	4788.00	2116.00	3489.00	7957.00	3241.00	21858.00	23067.00
घ. सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	73994420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73994420.00	318236277.00
2 प्राप्त अनुदान								
क. भारत सरकार से	262178013.00	86270581.00	54273356.00	47255544.00	151118435.00	49007354.00	650103283.00	733190154.00
ख. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग. राज्य सरकार से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ. अनुदान (आईओरआरए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 निवेश से आय								
क. उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख. निजी निधि (अन्य निवेश)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग. एफडीआर परिपक्वता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 प्राप्त ब्याज								
क. बैंक जमाओं पर	5485386.00	115008.00	67499.00	58609.00	69361.00	110769.00	5906632.00	2896663.00
ख. सेवा निवृत्ति तथा अनुदान निधि	2632499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2632499.00	0.00
ग. ऋण तथा अग्रिमों आदि	305769.00	238685.00	10238.00	2836.00	857665.00	529.00	1415722.00	651762.00
घ. अग्रिमों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	7205.00	0.00	0.00	7205.00	10980.00
च.सेपीएफ प्रतिपूर्ति मार्गस्थ	0.00	0.00	0.00	7205.00	200000.00	0.00	200000.00	0.00
छ.एफडीआर पर ब्याज	10589505-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10589505-00	0.00
5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)								
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति	49639.00	21015.00	19699.00	37985.00	8550.00	7040.00	143928.00	513810.00
विविध प्राप्तियां	1336.00	8831.00	0.00	860.00	30870.00	2496.00	44393.00	222834.00
नोटिस अवधि के वेतन की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62718.00
अप्रयोज्य परिसंपत्तियों की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	38100.00	0.00	38100.00	170868.00
6 उधार लिया गया धन								
कोई अन्य पावती (विवरण दें)								

प्राप्त एल एस व पी सी	0.00	0.00	0.00	0.00	4103.00	0.00	4103.00	0.00
प्राप्य दावे	3396505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3396505.00	0.00
कर्ज तथा अग्रिमों की /वसूली	0.00	0.00	0.00	330000.00	0.00	0.00	330000.00	93014.00
कर्मचारियों से	0.00	59400.00	788500.00	0.00	0.00	255291.00	1103191.00	290900.00
अन्य से	0.00	0.00	16275.00	0.00	0.00	0.00	16275.00	423788.00
प्रेषणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87000.00
कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एसजीएसटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11250.00
सीजीएसटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11250.00
एन.पी.एस.	141311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141311.00	278708.00
छुट्टी वेतन की प्राप्ति	0.00	0.00	22814.00	0.00	0.00	0.00	22814.00	21080.00
धरोहर राशि/सुरक्षित जमा	0.00	146144.00	0.00	70659.00	0.00	0.00	216803.00	127205.00
दूरभाष प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निष्पादन गारंटी जमा	18089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18089.00	0.00
एफडीआर परिपक्वता	170400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170400000.00	0.00
वसूली योग्य टी.डी.एस. अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	10945.00	0.00	10945.00	125353.00
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्यूटी निधि खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत जल सप्ताह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टीटीए अग्रिम वापसी योग्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्क्रैप/निविदा पेपर की बिक्री	0.00	4200.00	970.00	950.00	0.00	4550.00	10670.00	3990.00
सी.पी.एफ देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24324120.00
जी.एस.एल.आई.एस. देय	1769413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1769413.00	84440.00
नोटिस अवधि वेतन	0.00	0.00	0.00	0.00	51030.00	0.00	51030.00	22193.00
परियोजना रिपोर्ट कार्य	70967200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70967200.00	92582000.00
टी.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15336.00
आर्थिक हानि	0.00	0.00	0.00	73095.00	0.00	0.00	73095.00	0.00
त्यौहार अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	17000.00	0.00	17000.00	0.00
कुल	**761456396.00**	**95419571.00**	**63402730.00**	**53077048.00**	**165365641.00**	**59120620.00**	**1197842006.00**	**1246746321.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्राल जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–21 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (भुगतान)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
I व्यय								
क. स्थापना व्यय	153656536.00	48776555.00	48916982.00	38237735.00	118236112.00	42306661.	450130581.00	468768330.00
(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)								
ख. प्रशासनिक व्यय	21888230.00	5268680.00	3722616.00	4251772.00	21708180.00	6284064.0	63123542.00	76248161.00
(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)								
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भुगतान								
लिंक नहर परियोजना (परामर्श)	114221812.00	33386111.00	6336637.00	5562432.00	9385738.00	5226147.0	174118877.00	146392212.00
प्रभार के लिए अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. किए गए जमा तथा निवेश								
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख. निजी निधि से (निवेश–अन्य)	140962568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140962568.00	168074864.00
सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.								
IV. पूंजीगत कार्यों की प्रगति तथा नियत + क 43								
क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद	1672817.00	246618.00	502391.00	1539982.00	2417125.00	352065.00	6730998.00	8471739.00
ख. बड़े कार्यों की प्रगति पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग. जल मंथन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. दीर्घावधि अग्रिम तथा ब्याज की वापसी								
7 वां वायब्रेंट गुजरात व्यापार प्रदर्शिनी–2015, ज.सं.मं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VII. अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)								
सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	76870967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76870967.00	76166993.00
धरोहर जमा/ई एम डी	163431.00	35000.00	0.00	0.00	61032.00	0.00	259463.00	550044.00
कर्मचारियों को अग्रिम	158911.00	210082.00	0.00	340000.00	210000.00	0.00	918993.00	1834277.00
अन्य अग्रिम	78903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78903.00	0.00
स्टेल चेक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906672.00
अन्य अग्रिम/अतिरिक्त की वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00	36200.00	0.00	36200.00	20877341.00
परामर्श सेवाओं के लिए अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	1141876.00	0.00	1141876.00	0.00
प्रेषणा/धरोहर राशि जमा	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	142000.00
टी.डी.एस.	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00
सी.पी.एफ.	7683632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55018.00	7738650.00	0.00
जी.एस.एल.आई.एस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1680.00	1680.00	0.00
एनपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निष्पादन गारंटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्राप्य अवकाश वेतन खाते	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101393.00
VIII. इति शेष								
सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि –बचत खाता	39782889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39782889.00	73994420.00
एफ.डी.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क. रोकड़ शेष	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	631.00
ख. बैंक शेष								
i. बचत खाते/चालू खाते में (वेतन खाता)	77337093.00	6100150.00	3846229.00	3142348.00	10182639.00	4336412.0	104944871.00	166537570.00
i. बचत खाते/चालू खाते में (सामान्य खाता)	3874454.00	0.00	36063.00	0.00	1982227.00	500762.00	6393506.00	37657816.00
ii) नकद/मार्गस्थ	4283298.00	1393526.00	0.00	0.00	0.00	54680.00	5731504.00	0.00
(iii) राजविअ परामर्श शुल्क एसबीआई	118819585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118819585.00	0.00
ग) डाक शेष	688.00	2849.00	1812.00	2779.00	4512.00	3131.00	15771.00	21858.00
घ) मसौदा शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**761456396.00**	**95419571.00**	**63402730.00**	**53077048.0**	**165365641.00**	**59120620.**	**1197842006.00**	**1246746321.0**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–1–कॉर्पस/पूंजीगत निधि		मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
	वर्ष के शुरू में शेष	72205206	3118483.00	10027491.00	6648011.00	21008174.00	14507799.00	155505164.00	124970922.00
जोड़ना	वर्ष के दौरान क्रय की गई परिसंपत्ति	1672817.00	246618.00	502391.00	1539982.00	2417125.00	352065.00	6730998.00	8471739.00
घटाना	सीपीएफ अग्रिम	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00
	उप कुल (क)	73878023.00	**31155101.00**	**10529882.00**	**8187993.00**	**23425299.00**	**14859864.00**	**162036162.00**	**133442661.00**
	ज्ल संसाधन मंत्रालय को अंतरित परिसंपत्ति (वाहन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पूंजी निवेश बट्टे खाते में डालना								
जोड़ना	शुद्ध आय का कटौती शेष (व्यय) आय और व्यय खाते से	67415860.00	-21573646.00	-5592848.00	-2835934.00	-879039.00	-5965241.00	30569151.00	22062503.00
	आय और व्यय खाते से अंतरित								
	उप–कुल (ख)	**67415860.00**	**-21573646.00**	**-5592848.00**	**-2835934.00**	**-879039.00**	**-5965241.00**	**30569151.00**	**22062503.00**
	वर्ष के अंत में शेष	**141293883.00**	**9581455.00**	**4937034.00**	**5352059.00**	**22546260.00**	**8894623.00**	**192605314.00**	**155505164.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

(राशि रूपये में)

अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/ विन्यास निधियां (सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि)	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.निधियों का रोकड़ शेष	242069284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242069284.00	318236277.00
(सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि)								
बैंक बचत खाते	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नियत जमाएं (एफ.डी.आर.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख.निधियों में जमा								
बैंक ब्याज : प्राप्त	13222004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13222004.00	3587388.00
पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त	2325136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2325136.00	0.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13014.00
ग.घटा उपयोग/व्यय								
घ.वर्ष के दौरान किए गए कम भुगतान	76870920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76870920.00	79767218.00
घटा बैंक अधिभार	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	177.00
कुल (क+ख –ग)	**180745457.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180745457.00**	**242069284.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान								राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.वर्तमान देयताएं								
अन्य. वर्तमान देयताएं								
बकाया व्यय :								
वेतन तथा भत्ते	9467856.00	3481223.00	3697667.00	2897976.00	9054400.00	3349967.00	31949089.00	34521494.00
किराया, दर तथा कर	0.00	126320.00	77809.00	218622.00	1188942.00	326207.00	1937900.00	2255462.00
प्रेषणा	20429.00	0.00	12167.00	0.00	0.00	0.00	32596.00	68796.00
सी.पी.एफ.	6004044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6004044.00	13742693.00
जी.एस.एल.आई.एस.	1801716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1801716.00	33983.00
एन.पी.एस.	480402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480402.00	339091.00
अन्य (एल.एस.पी.सी. प्राप्त)	60809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60809.00	60809.00
बयाना राशि और सुरक्षा जमा	57000.00	205444.00	207883.00	157006.00	0.00	26000.00	653333.00	974028.00
बकाया लेखापरीक्षा शुल्क	62615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62615.00	62615.00
निष्पादन गारंटी	34534.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44534.00	189876.00
ई.ई. का अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	6873.00	0.00	6873.00	6873.00
टीटीए अग्रिम वापसी योग्य	1146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1146.00	1033.00
टी.डी.एस.	14579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14579.00	15160.00
सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी फंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परियोजना रिपोर्ट कार्य खाता	70967200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70967200.00	92582000.00
एंबेसडर कार की बिक्री प्रक्रिया	0.00	0.00	0.00	29500.00	0.00	0.00	29500.00	0.00
संपत्ति की प्राप्ति (सर्कल के बाहर)	0.00	0.00	0.00	0.00	401466.00	0.00	401466.00	0.00
उप कुल (क)	**88972330.00**	**3822987.00**	**3995526.00**	**3303104.00**	**10651681.00**	**3702174.00**	**114447802.00**	**144853913.00**
ख प्रावधान								
एसजीएसटी	21297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21297.00	18701.00
सीजीएसटी	21297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21297.00	18701.00
देय लेखापरीक्षा शुल्क	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00
सेवानिवृत्ति और ग्रेच्युटी फंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल (ख)	**342594.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**342594.00**	**337402.00**
कुल (क+ख)	**89314924.00**	**3822987.00**	**3995526.000**	**3303104.00**	**10651681.00**	**3702174.00**	**114790396.00**	**145191315.00**
अन्य सर्किलों से प्राप्त परिसंपत्तियां	**2851857.00**	**9673653.00**	**1120247.0000**	**1385968.00**	**3853775.00**	**3700079.00**	**22585579.00**	**21767847.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूची

राशि रूपये मे

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	चालू वर्ष तक	चालू वर्ष के अंत तक	पूर्व वर्ष के अंत तक
	2	3	4	5(2+3-4)	6	7	8	9(6+7-8)	10(5-9)	11(2-6)
क. नियत परिसंपत्तियां										
भवन	5825436.00	0.00	0.00	5825436.00	5685952.00	13948.00	0.00	5699900.00	125536.00	139484.00
औजार एवं संयंत्र	19111588.00	20670.00	239451.00	18892807.00	17814235.00	195090.00	232338.00	17776987.00	1115820.00	1297353.00
वाहन	22477351.00	1859765.00	766836.00	23570280.00	14282231.00	1396836.00	749107.00	14929960.00	8640320.00	8586422.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	28177762.00	1147629.00	1054907.00	28270484.00	13536694.00	1523859.00	920243.00	14140310.00	14130174.00	14641068.00
कार्यालय उपस्कर	14961948.00	801645.00	950785.00	14812808.00	9673471.00	842732.00	878600.00	9637603.00	5175205.00	5288477.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	33913597.00	3306264.00	1246571.00	35973290.00	28835327.00	2743548.00	1242600.00	30336275.00	5637014.00	5078269.00
तकनीकी पुस्तकें	358016.00	0.00	1128.00	356888.00	356257.00	701.00	1127.00	355831.00	1057.00	1759.00
कैम्प उपस्कर	4392.00	0.00	0.00	4392.00	4375.00	2.00	0.00	4377.00	15.00	17.00
उप –कुल	**124830090.00**	**7135973.00**	**4259678.00**	**127706385.00**	**90188542.00**	**6716716.00**	**4024015.00**	**92881243.00**	**34825141.00**	**35032849.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल										
कुल	**124830090**	**7135973**	**4259678**	**127706385**	**90188542**	**6716716**	**4024015**	**92881243**	**34825141**	**35032849**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ : 2 वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन)							
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5825436.00
औजार एवं संयंत्र	4708778.00	6267910.00	1181384.00	2595372.00	3305864.00	1052280.00	19111588.00
वाहन	4719079.00	4388860.00	3265334.00	2316693.00	4626892.00	3160493.00	22477351.00
फर्नीचर, जोड़नार	10180925.00	3644761.00	2877747.00	2027596.00	4668421.00	4778312.00	28177762.00
कार्यालय उपस्कर	4447343.00	2742815.00	714940.00	1658867.00	3256189.00	2141794.00	14961948.00
कम्प्यूटर/उपकरण	12764164.00	3906093.00	2187557.00	4347262.00	7400374.00	3308147.00	33913597.00
तकनीकी पुस्तकें	305650.00	14923.00	14852.00	3619.00	6371.00	12601.00	358016.00
कैम्प उपस्कर	0.00	4392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4392.00
उप –कुल	**42951375.00**	**20969754.00**	**10241814.00**	**12949409.00**	**23264111.00**	**14453627.00**	**124830090.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**42951375.00**	**20969754.00**	**10241814.00**	**12949409.00**	**23264111.00**	**14453627.00**	**124830090.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपति विवरण (स्तंभ : 3 वर्ष के दौरान जमा)							
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	ळैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
औजार तथा संयंत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	20670.00	0.00	20670.00
मोटर वाहन	0.00	0.00	4940.00	746231.00	1108594.00	0.00	1859765.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	187664.00	29250.00	275082.00	165730.00	287726.00	202177.00	1147629.00
कार्यालय उपस्कर	262988.00	114885.00	74809.00	225265.00	123698.00	0.00	801645.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	1222165.00	102483.00	147560.00	402756.00	1281412.00	149888.00	3306264.00
तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कैंप उपस्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	**1672817.00**	**246618.00**	**502391.00**	**1539982.00**	**2822100.00**	**352065.00**	**7135973.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	**1672817.00**	**246618.00**	**502391.00**	**1539982.00**	**2822100.00**	**352065.00**	**7135973.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 4 : वर्ष के दौरान कटौती)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
औजार तथा संयंत्र	0.00	89266.00	126435.00	8800.00	14950.00	0.00	239451.00
मोटर वाहन	0.00	0.00	10140.00	404975.00	351721.00	0.00	766836.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	710584.00	96044.00	203748.00	11211.00	10970.00	22350.00	1054907.00
कार्यालय उपस्कर	268389.00	122103.00	163543.00	100053.00	283107.00	13590.00	950785.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	0.00	431984.00	213069.00	118487.00	322107.00	160924.00	1246571.00
तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	1128.00	0.00	0.00	0.00	1128.00
कैंप उपस्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**978973.00**	**739397.00**	**718063.00**	**643526.00**	**982855.00**	**196864.00**	**4259678.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल							
कुल	**978973.00**	**739397.00**	**718063.00**	**643526.00**	**982855.00**	**196864.00**	**4259678.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ – 5 – वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन)

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5825436.00
औजार तथा संयंत्र	4708778.00	6178644.00	1054949.00	2586572.00	3311584.00	1052280.00	18892807.00
मोटर वाहन	4719079.00	4388860.00	3260134.00	2657949.00	5383765.00	3160493.00	23570280.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	9658005.00	3577967.00	2949081.00	2182115.00	4945177.00	4958139.00	28270484.00
कार्यालय उपस्कर	4441942.00	2735597.00	626206.00	1784079.00	3096780.00	2128204.00	14812808.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	13986329.00	3576592.00	2122048.00	4631531.00	8359679.00	3297111.00	35973290.00
तकनीकी पुस्तकें	305650.00	14923.00	13724.00	3619.00	6371.00	12601.00	356888.00
कैंप उपस्कर	0.00	4392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4392.00
उप कुल	**43645219.00**	**20476975.00**	**10026142.00**	**13845865.00**	**25103356.00**	**14608828.00**	**127706385.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल							
कुल योग	**43645219.00**	**20476975.00**	**10026142.00**	**13845865.00**	**25103356.00**	**14608828.00**	**127706385.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 6 : वर्ष के आरंभ में)							
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5685952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5685952.00
औजार तथा संयंत्र	4609548.00	5977720.00	1033644.00	2320370.00	2934684.00	938269.00	17814235.00
मोटर वाहन	2469193.00	2664565.00	1890846.00	1905281.00	3701699.00	1650647.00	14282231.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	4020756.00	1805917.00	1670120.00	1085678.00	2584361.00	2369862.00	13536694.00
कार्यालय उपस्कर	2883473.00	1833125.00	293157.00	1403075.00	2064404.00	1196237.00	9673471.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	10580372.00	3375927.00	1786378.00	3981481.00	6553273.00	2557896.00	28835327.00
तकनीकी पुस्तकें	304117.00	14898.00	14822.00	3609.00	6354.00	12457.00	356257.00
कैंप उपस्कर	0.00	4375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4375.00
उप कुल	**30553411.00**	**15676527.00**	**6688967.00**	**10699494.00**	**17844775.00**	**8725368.00**	**90188542.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल							
कुल योग	**30553411.00**	**15676527.00**	**6688967.00**	**10699494.00**	**17844775.00**	**8725368.00**	**90188542.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 7 वर्ष के दौरान जमा पर)							
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	13948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13948.00
औजार तथा संयंत्र	14885.00	43249.00	21831.00	41162.00	56861.00	17102.00	195090.00
मोटर वाहन	337483.00	258645.00	206896.00	115628.00	251707.00	226477.00	1396836.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	620833.00	185321.00	134382.00	102361.00	229076.00	251886.00	1523859.00
कार्यालय उपस्कर	251275.00	143791.00	64693.00	54450.00	186795.00	141728.00	842732.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	1117950.00	232374.00	189481.00	226575.00	633211.00	343957.00	2743548.00
तकनीकी पुस्तकें	613.00	10.00	11.00	4.00	6.00	57.00	701.00
कैंप उपस्कर	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
उप कुल	**2356987.00**	**863392.00**	**617294.00**	**540180.00**	**1357656.00**	**981207.00**	**6716716.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**2356987.00**	**863392.00**	**617294.00**	**540180.00**	**1357656.00**	**981207.00**	**6716716.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 8 : वर्ष में कटौती)							राशि रूपये में
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन							
औजार तथा संयंत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मोटर वाहन	0.00	87400.00	124232.00	8204.00	12502.00	0.00	232338.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	0.00	0.00	10013.00	391302.00	347792.00	0.00	749107.00
कार्यालय उपस्कर	641872.00	81163.00	160041.00	10029.00	7528.00	19610.00	920243.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	250404.00	113567.00	135635.00	94632.00	271477.00	12885.00	878600.00
तकनीकी पुस्तकें	0.00	431510.00	211812.00	117768.00	321513.00	159997.00	1242600.00
कैंप उपस्कर	0.00	0.00	1127.00	0.00	0.00	0.00	1127.00
विवरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	**892276.00**	**713640.00**	**642860.00**	**621935.00**	**960812.00**	**192492.00**	**4024015.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**892276.00**	**713640.00**	**642860.00**	**621935.00**	**960812.00**	**192492.00**	**4024015.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 9 : वर्ष में)							राशि रूपये में
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5699900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5699900.00
औजार तथा संयंत्र	4624433.00	5933569.00	931243.00	2353328.00	2979043.00	955371.00	17776987.00
मोटर वाहन	2806676.00	2923210.00	2087729.00	1629607.00	3605614.00	1877124.00	14929960.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	3999717.00	1910075.00	1644461.00	1178010.00	2805909.00	2602138.00	14140310.00
कार्यालय उपस्कर	2884344.00	1863349.00	222215.00	1362893.00	1979722.00	1325080.00	9637603.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	11698322.00	3176791.00	1764047.00	4090288.00	6864971.00	2741856.00	30336275.00
तकनीकी पुस्तकें	304730.00	14908.00	13706.00	3613.00	6360.00	12514.00	355831.00
कैंप उपस्कर	0.00	4377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4377.00
उप कुल	**32018122.00**	**15826279.00**	**6663401.00**	**10617739.00**	**18241619.00**	**9514083.00**	**92881243.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**32018122.00**	**15826279.00**	**6663401.00**	**10617739.00**	**18241619.00**	**9514083.00**	**92881243.00**

ह/-

(ज्योति राजवेदी)

लेखाधिकारी

ह/-

(सुब्रत हलदर)

निदेशक (वित्त)

ह/-

(भोपाल सिंह)

महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 10 : चालू वर्ष की समाप्ति पर)							
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**ळैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	125536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125536.00
औजार तथा संयंत्र	84345.00	245075.00	123706.00	233244.00	332541.00	96909.00	1115820.00
मोटर वाहन	1912403.00	1465650.00	1172405.00	1028342.00	1778151.00	1283369.00	8640320.00
फर्नीचर तथा जुड़नार	5658288.00	1667892.00	1304620.00	1004105.00	2139268.00	2356001.00	14130174.00
कार्यालय उपस्कर	1557598.00	872248.00	403991.00	421186.00	1117058.00	803124.00	5175205.00
कम्प्यूटर/अनुषंगी	2288006.00	399801.00	358001.00	541243.00	1494708.00	555255.00	5637014.00
तकनीकी पुस्तकें	920.00	15.00	18.00	6.00	11.00	87.00	1057.00
कैंप उपस्कर	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
उप कुल	**11627096.00**	**4650696.00**	**3362741.00**	**3228126.00**	**6861737.00**	**5094745.00**	**34825141.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर							
उप कुल							
कुल योग	**11627096.00**	**4650696.00**	**3362741.00**	**3228126.00**	**6861737.00**	**5094745.00**	**34825141.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 11 : पिछले वर्ष के अंत में)							राशि रूपये में
विवरण	**मुख्यालय**	**ग्वालियर**	**भुवनेश्वर**	**वलसाड़**	**हैदराबाद**	**पटना**	**कुल**
क.नियत परिसंपत्तियां							
भवन	139484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**139484.00**
औजार तथा संयंत्र	99230.00	290190.00	147740.00	275002.00	371180.00	114011.00	**1297353.00**
मोटर वाहन	2249886.00	1724295.00	1374488.00	411412.00	1316495.00	1509846.00	**8586422.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	6160169.00	1838844.00	1207627.00	941918.00	2084060.00	2408450.00	**14641068.00**
कार्यालय उपस्कर	1563870.00	909690.00	421783.00	255792.00	1191785.00	945557.00	**5288477.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी	2183791.00	530166.00	401179.00	365781.00	847101.00	750251.00	**5078269.00**
तकनीकी पुस्तकें	1533.00	25.00	30.00	10.00	17.00	144.00	**1759.00**
कैंप उपस्कर	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**17.00**
उप कुल	**12397963.00**	**5293227.00**	**3552847.00**	**2249915.00**	**5810638.00**	**5728259.00**	**35032849.00**
ख.पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल							
कुल योग	**12397963.00**	**5293227.00**	**3552847.00**	**2249915.00**	**5810638.00**	**5728259.00**	**35032849.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–9 : उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से निवेश (सेवानिवृत्ति तथा ग्रैच्युटी निधि)								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
उद्दिष्ट निधि से निवेश								
सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय बैंकों में बचत खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नियत जमा	140962568.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140962568.0	168074864.0
सेवा निवृत्ति (एफडीआर) निवेषों पर उद्भूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग	140962568.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140962568.0	168074864.0

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को सर्किलवार तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि								राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वर्तमान परिसंपत्तियां								
रोकड़ शेष	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	630.00
बचत बैंक खाते में शेष (वेतन खाते)	77337093.00	6100150.00	3846229.00	3142348.00	10182639.00	4336412.00	104944871.00	166537570.00
बचत बैंक खाते में शेष (सामान्य खाते)	3874454.00	0.00	36063.00	0.00	1982227.00	500762.00	6393506.00	37657816.00
एसबीआई परामर्श पर नकद खाते	118819585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118819585.00	0.00
राजविअ ग्रेच्युटी खाते में नकद	39782889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39782889.00	73994420
नकद बैंक बैलेंस शेष	0.00	1393526.00	0.00	0.00	0.00	54680.00	1448206.00	0.00
डाक टिकट शेष	688.00	2849.00	1812.00	2779.00	4512.00	3131.00	15771.00	21858.00
मार्गस्थ ड्राफ्ट	4283298.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4283299.00	0.00
टी डी एस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रा.ज.वि.अ. सेवानिवृत्ति लाभ खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल **(क)**	**244098008.00**	**7496525.00**	**3884104.00**	**3145127.00**	**12169379.00**	**4894985.00**	**275688128.00**	**278212294.00**
ख ऋण, अग्रिम तथा अन्य– परिसंपत्तियां								
ऋण तथा अग्रिमः								
कर्मचारियो को	864572.00	555474.00	198870.00	201400.00	320871.00	268841.00	2410028.00	4399372.00
अन्य को	12113686.00	525507.00	200000.00	792992.00	1161894.00	4558808.00	19352887.00	50512082.00
परामर्शी सेवाओं को	0.00	0.00	0.00	0.00	11763036.00	0.00	11763036.00	0.00
उप –कुल (ख)	**12978258.00**	**1080981.00**	**398870.00**	**994392.00**	**13245801.00**	**4827649.00**	**33525951.00**	**54911454.00**
ग वसूली योग्य दावे								
वसूली योग्य अवकाश वेतन	746687.00	89218.00	280347.00	711822.00	527796.00	721533.00	3077403.00	3104320.00
प्रतिभूति जमा	0.00	28500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28500.00	0.00
नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रेषणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सी.पी.एफ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जल मंथन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3396505.00
जी.एस.एल.आई.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उदभूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप –कुल (ख)	**746687.00**	**117718.00**	**280347.00**	**711822.00**	**527796.00**	**721533.00**	**3105903.00**	**6500825.00**
कुल (क +ख+ग)	**257822952.00**	**8695224.00**	**4563321.00**	**4851341.00**	**25942976.00**	**10444167.00**	**312319981.00**	**339624573.00**
अन्य सर्किलों को परिसंपत्तियों का अंतरण	**3793505.00**	**9732175.00**	**2126745.00**	**1961664.00**	**4247003.00**	**757964.00**	**22619056.00**	**21801324.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को अवधि/वर्ष के अंत में सर्किलवार आय और व्यय को दर्शाने वाली अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 12– बिक्री/सेवाओं से आय								राशि रूपये मे
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1– बिक्री से आय								
क) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) कच्चे माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) कबाड़ की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2– सेवाओं से आय								
क) श्रम और प्रक्रिया शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं	92582000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92582000.00	0.00
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण /संपत्ति)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**92582000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**92582000.00**	**0.00**

ह/-

(ज्योति राजवेदी)

लेखाधिकारी

ह/-

(सुब्रत हलदर)

निदेशक (वित्त)

ह/-

(भोपाल सिंह)

महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : अनुदान/सब्सिडी (गैर वसूली योग्य अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 सहायता अनुदान (केन्द्रं सरकार)	262178013.00	86270581.00	54273356.00	47255544.00	151118436.00	49007354.00	650103284.00	722944023.00
सीपीएफ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8980500.00
जीएसएलआईएस	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	112880.00
नई पेंशन स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	246677.00
घटाः वर्ष के दौरान क्रय की गई परिसंपत्तियां	1672817.00	246618.00	502391.00	1539982.00	2417125.00	352065.00	6730998.00	8471739.00
2 सातवॉ वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्याापार सातवॉ वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्याापार	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ग्लोबल ट्रेड शो के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
कुल	**260505196.00**	**86023963.00**	**53770965.00**	**45715562.00**	**148701311.00**	**48655289.00**	**643372286.00**	**723812341.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी **)**
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
(क) बचत खाता पर	2142001.00	115008.00	67499.00	58609.00	69361.00	110769.00	2563247.00	2896663.00
(ख) ऋण और अग्रिम	305769.00	238685.00	10238.00	10041.00	31694.00	529.00	596956.00	624340.00
(ग) अन्य	3343385.00	0.00	0.00	0.00	1971.00	0.00	3345356.00	38402.00
कुल	**5791155.00**	**353693.00**	**77737.00**	**68650.00**	**103026.00**	**111298.00**	**6505559.00**	**3559405.00**

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची-18- अन्य आय								राशि रूपये में
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
परिसंपत्तियों का निपटान								
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	-42251.00	-4742.00	-55504.00	567.00	24607.00	2668.00	-74655.00	336577.00
विविध आय	1336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2496.00	3832.00	302949.00
हिन्दी संसदीय समिति के व्यय की वापिसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नोटिस अवधि वेतन	0.00	0.00	0.00	0.00	51030.00	0.00	51030.00	62718.00
निविदा फार्म आदि की ब्रिकी	0.00	13031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13031.00	3000.00
विविध आय + पैनल ब्याज	0.00	0.00	0.00	73955.00	21560.00	0.00	95515.00	1600.00
पुराने समाचार पत्र की बिक्री	0.00	0.00	970.00	950.00	9310.00	4550.00	15780.00	6275.00
कुल	**-40915.00**	**8289.00**	**-54534.00**	**75472.00**	**106507.00**	**9714.00**	**104533.00**	**713119.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची

अनुसूची–20 स्थापना व्यय								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	ळैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वेतन तथा पगार (वेतन)	74409705.00	33119996.00	33249499.00	27554085.00	75639837.00	28560371.00	272533493.00	290875411.00
ख भत्ते तथा बोनस	41313711.00	15168953.00	15476936.00	10310451.00	41040105.00	13995359.00	137305515.00	146153458.00
ग भविष्य निधि में सरकारी अंशदान (सी.पी.एफ.) और	31568579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31568579.00	32458331.00
सी.पी.एफ. पर ब्याज								
घ जी.एस.एल.आई.एस. को भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
च नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान								
छ अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	1869077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869077.00	1316190.00
ज नई पेंशन योजना	3793475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3793475.00	2405243.00
झ अन्य (स्पष्ट करें) एल एस व पी सी चार्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	637037.00	0.00	637037.00	585393.00
कुल	**152954547.00**	**48288949.00**	**48726435.00**	**37864536.00**	**117316979.00**	**42555730.00**	**447707176.00**	**473794026.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–20 क : प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क वेतन तथा भत्ते (व्यय.)	74879705.00	33580596.00	33396335.00	27831091.00	77448015.00	28380297.00	275516039.00	291710086.00
ख भत्ते व बोनस	41545700.00	15195959.00	15520647.00	10406644.00	40151060.00	13926364.00	136746374.00	145050026.00
ग. भविष्य निधि में अंशदान (सी. पी.एफ.) तथा	31568579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31568579.00	27701392.00
ख. सी.पी.एफ. पर ब्याज								
घ . जीएसएलआईएस के लिए भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
च.कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लाभ (सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)								
छ. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	3793475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3793475.00	0.00
ज. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	1869077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1869077.00	1316190.00
झ. नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2405243.00
ड. अन्य (स्पष्ट करें) एल एस एवं पी सी अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00	637037.00	0.00	637037.00	585393.00
कुल	**153656536.00**	**48776555.00**	**48916982.00**	**38237735.00**	**118236112.00**	**42306661.00**	**450130581.00**	**468768330.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 : अन्य प्रशासनिक व्यय

राशि रूपये में

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क यात्रा व्यय	1427358.00	990764.00	1174080.00	421635.00	2736233.00	1675308.00	8425378.00	20880885.00
ख कार्यालय व्यय								
विद्युत प्रभार	1607555	406541.00	211291.00	188598.00	963968.00	394092.00	3772045.00	4597280.00
दूरभाष व्यय	543211	147559.00	121862.00	43012.00	110095.00	162307.00	1128046.00	1058760.00
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	170978	111280.00	70464.00	94789.00	229075.00	95256.00	771842.00	903477.00
जल प्रभार	100672	64477.00	37793.00	4138.00	73870.00	70150.00	351100.00	374494.00
स्टेशनरी तथा मुद्रण	2707.00	51133.00	52342.00	47773.00	56721.00	49886.00	260562.00	210091.00
वाहन	0.00	1183.00	868.00	1952.00	4218.00	2150.00	10371.00	32285.00
वर्दी	65000	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	70000.00
टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10277.00
डाक टिकट	83520	47622.00	29225.00	36273.00	67218.00	23100.00	286958.00	462105.00
रबड़ स्टैंप	2730	1741.00	1750.00	2205.00	3570.00	2240.00	14236.00	12745.00
कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
बैंक प्रभार	5719	1387.00	1706.00	3427.00	2999.00	2690.00	17928.00	13926.00
विविध व्यय	125774	318530.00	153756.00	210840.00	350950.00	89845.00	1249695.00	1183093.00
वकील का शुल्क/विधि प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74680.00
आतिथ्य	601485.00	114377.00	180385.00	111151.00	302149.00	112394.00	1421941.00	954266.00
विज्ञापन	78694	13553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92247.00	273046.00
लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इंटरनेट अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ई टी डी एस भरने का शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	141997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141997.00	183491.00
अन्य शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270811.00
प्रदर्शनी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00
आकस्मिक गैर आवर्ती	0.00	18250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18250.00	0.00
ग किराया, दर व कर	**13169031**	2113186.00	945208.00	2598401.00	15303983.00	2614231.00	36744040.00	35339704.00

घ मरम्मत और रखरखाव	3761799.00	1011519.00	725920.00	492114.00	1524461.00	684809.00	8200622.00	8810271.00
उप कुल	**21888230.00**	**5418102.00**	**3706650.00**	**4256308.00**	**21729510.00**	**5978458.00**	**62977258.00**	**76815747.00**
निमार्ण कार्य के	39276684.00	53389148.00	6336637.00	6034594.00	9385738.00	5226147.00	119648948.00	92936502.00
निमार्ण कार्य (भा.ज.स–2021)	2464219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2464219.00	0.00
उप कुल	**41740903.00**	**53389148.00**	**6336637.00**	**6034594.00**	**9385738.00**	**5226147.00**	**122113167.00**	**92936502.00**
पी.एम.के.एस.वाई	57322527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57322527.00	39984031.00
नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति/प्रकोष्ठ	15158382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15158382.00	15090579.00
उप कुल	**114221812.00**	**53389148.00**	**6336637.00**	**6034594.00**	**9385738.00**	**5226147.00**	**194594076.00**	**148011112.00**
कुल	**136110042.00**	**58807250.00**	**10043287.00**	**10290902.00**	**31115248.00**	**11204605.00**	**257571334.00**	**224826859.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 क अन्य प्रशासनिक व्यय								
विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड़	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क यात्रा व्यय	1427358.00	848199.00	1174080.00	421635.00	2736233.00	1675308.00	8282813.00	20880885.00
ख कार्यालय व्यय								
विद्युत प्रभार	1607555.00	405591.00	211291.00	188598.00	963968.00	394092.00	3771095.00	4597280.00
दूरभाष व्यय	543211.00	147559.00	121862.00	43012.00	110095.00	162307.00	1128046.00	1058760.00
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	170978.00	111280.00	70464.00	94789.00	229075.00	95256.00	771842.00	903477.00
जल प्रभार	100672.00	64477.00	37793.00	4138.00	73870.00	70150.00	351100.00	367865.00
स्टेशनरी तथा मुद्रण	2707.00	51133.00	52342.00	47773.00	56721.00	49886.00	260562.00	208690.00
वाहन	0.00	1183.00	868.00	1952.00	4218.00	2150.00	10371.00	39576.00
वर्दी	65000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	70739.00
टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6867.00
डाक टिकट	83520.00	47622.00	29225.00	36273.00	67218.00	23100.00	286958.00	462105.00
रबड़ स्टैंप	2730.00	1741.00	1750.00	2205.00	3570.00	2240.00	14236.00	16155.00
कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
बैंक प्रभार	5719.00	1387.00	1706.00	3427.00	2999.00	2690.00	17928.00	13926.00
विविध व्यय	125774.00	311163.00	153756.00	210840.00	350950.00	89845.00	1242328.00	1183093.00
वकील का शुल्क/विधि प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74680.00
आतिथ्य	601485.00	108377.00	180385.00	111151.00	302149.00	112394.00	1415941.00	954266.00
विज्ञापन	78694.00	13553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92247.00	273046.00
लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इंटरनेट अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ई टी डी एस भरने का शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	141997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141997.00	183491.00
अन्य शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270811.00
प्रदर्शनी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100000.00
आकस्मिक गैर आवर्ती	0.00	11500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11500.00	0.00

ग किराया, दर व कर	**13169031.00**	2135042.00	961174.00	2593865.00	15282653.00	2919837.00	37061602.00	34772118.00
घ मरम्मत तथा रखरखाव	3761799.00	1003873.00	725920.00	492114.00	1524461.00	684809.00	8192976.00	8810271.00
उप कुल	**21888230.00**	**5268680.00**	**3722616.00**	**4251772.00**	**21708180.00**	**6284064.00**	**63123542.00**	**76248161.00**
(ई) विशेष समिति/प्रकोष्ठ–आईएलआर	15158382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15158382.00	15090579.00
(च) निर्माण कार्य	39276684.00	33386111.0	6336637.00	5562432.00	9385738.00	5226147.00	99173749.00	91317602.00
(छ) पीएमकेएसवाई	57322527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57322527.00	39984031.00
(च) कार्य (भा.ज.स.–2021)	2464219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2464219.00	0.00
उप कुल	**114221812.00**	**33386111.0**	**6336637.00**	**5562432.00**	**9385738.00**	**5226147.00**	**174118877.0**	**146392212.0**
कुल	**136110042.00**	**38654791.0**	**10059253.00**	**9814204.00**	**31093918.00**	**11510211.00**	**237242419.0**	**222640373.0**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

अंशदायी भविष्य निधि
ट्रायल शेष
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021

	राजविअ का अंशदायी भविष्य निधि	
विवरण	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक	
	अंतिम शेष	
	नामे	जमा
बैंक प्रभार	0	
सी. पी. एफ. अग्रिम	4762520	
सी. पी. एफ. अंतिम भुगतान	159620311	
सी. पी. एफ. आहरण	28738448	
कर्मचारी अंशदान		610179274
कर्मचारी का बिना दावे वाला अंशदान		122694
नियोक्ता का अंशदान		411853633
नियत जमा	215000000	
कर्मचारी अंशदान खाते पर ब्याज		34318149
नियोक्ता के अंशदान खाते पर ब्याज		24419944
राजविअ खाते	6004043	
राजविअ सी.पी.एफ. पी. एन. बी. खाते	13141375	
राजविअ सी.पी.एफ. एस. बी. आई. खाते	53365388	
प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां)	559950000	
विशेष जमा योजना	40311609	
कुल योगः	1080893694	1080893694

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सरकारी अंशदान	22999118	25622322	एफ.डी.आर पर ब्याज	3506139	15476043
सरकारी अंशदान पर ब्याज	24419944	27687055	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	47935640	34939637.5
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	34318149	36967990	बचत बैंक खाते पर ब्याज	2519849	2700370
बैंक प्रभार	1068	3492.8	एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	2950368	3204607
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर अधिक राशि का भुगतान	6742296	0	सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए प्राप्त छूट	0	1501871.25
			कमी	31568579	32458331.05
कुल	88480575	90280859.8	कुल	88480575	90280859.8

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रूपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आदि शेष			अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	47,62,520.00	61,37,830.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	5,87,74,125.00	24,14,99,207.10	पूरा एवं अंतिम भुगतान	15,96,20,311.00	12,50,15,832.00
पंजाब नेशनल बैंक	8,74,98,303.00	5,67,58,785.84	अंतिम आहरण	2,87,38,448.00	3,78,42,920.00
राजविअ	14,03,86,981.00	-			
सरकारी प्रतिभूतियां की परिपक्वता	-	10,20,00,000.00	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	6,39,42,296.00	6,04,75,000.00
एफ डी आर की परिपक्वता	3,40,00,000.00		एफ.डी.आर. में निवेश	54000000	19,50,00,000.00
एस.डी.खाते पर ब्याज	25,19,849.00	27,00,370.00	बैंक प्रभार	1,068.00	3,492.80
एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	29,50,368.00	32,04,607.00	नई पेंशन योजना कर्मचारी अंशदान		
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	4,79,35,640.00	3,49,39,637.50	रा.ज.वि.अ. के पूर्ण वर्ष की राशि खाते पर बैंक जमा	-	8,53,43,205.70
नियत जमाओं पर ब्याज	35,06,139.00	1,54,76,043.00	पंजाब नेशनल बैंक	5,33,65,388.00	5,87,74,125.40
कर्मचारी का अशंदान, कर्मचारी तथा नियोक्ता तथा सरकारी अशंदान	-	19,95,12,058.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,31,41,374.00	8,74,98,302.54
कुल	37,75,71,405.00	65,60,90,708.00	**कुल**	37,75,71,405.00	65,60,90,708.00

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2021 को तुलनपत्र

				राशि रूपये में
विवरण	सूची		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं	1			
अधिशेष पर रिजर्व कॉपर्स / पूंजीगत निधि	2		0	0
उदि्दष्ट /विन्यास निधि	3			
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4			
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5			
आस्थगित जमा देयताएं	6		21324995	0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7		887772415	898021712
कुल			**909097410**	898021712
परिसंपत्तियां				
नियत परिसंपत्तियां	8			
निवेश–उद्दिष्ट–विन्यामय निधियों से	9			
निवेश–अन्य	10		836586604	738061609
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11		72510806	159960103
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने या समायोजित नही करने की सीमा तक)				
कुल			**909097410**	**898021712**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
((जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

अंशदायी भविष्य निधि

(31.03.2021)

			राशि रूपये में
अनुसूची'–6 आस्थगित ऋण देयताएं			
विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर उद्भूत ब्याज		21324995	0
कुल		**21324995**	**0**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2021)

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान				(राशि रूपये में)
विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष
कर्मचारियों का अंशदान		509044503		484481528
आदि शेष				
वर्ष के दौरान जमा				
कर्मचारियों का अंशदान	94314369		100931361	
अग्रिमों की वापसी	6820402		8303330	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	34318149	135452920	36967990	146202681
		644497423		**630684209**
वर्ष के दौरान घटाएं				
वर्ष के दौरान जोड़े	102036679		77658956	
अंतिम भुगतान	28738448		37842920	
अंतिम आहरण	4762520		6137830	
सदस्यों को ऋण/अग्रिम	0		0	
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	0	**135537647**	0	**121639706**
बिना दावे वाले अंशदान का अंतरण		122694		122694
उपकुल		**509082470**		**509167197**
नियोक्ता का अंशदान				
आदि शेष		388854515		382902014
वर्ष के दौरान जमा			0	
नियोक्ता का अंशदान	22999118		25622322	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	24419944	47419062	27687055	53309377
		436273577		**436211391**
वर्ष के दौरान घटाएं				
अंतिम भुगतान		57583632		47356876
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित		0		0
कुल		**378689945**		**388854515**
रा.ज.वि.अ. खाता				**0**
कुल		**887772415**		**898021712**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2021)

अनुसूची–10 : निवेश –अन्य

राशि रूपये में

विवरण	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**
नियत जमा	215000000		195000000	
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	12879041	**227879041**	0	**195000000**
प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां)	559950000		502750000	
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	7977128	**567927128**		**502750000**
विशेष जमा योजना	40311609		40311609	
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	**468826**	**40780435**	**0**	**40311609**
कुल	**836586604**			**738061609**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2021)

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि			राशि रूपये में	
विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
राजविअ से प्राप्य	6004044		13687675	
राजविअ				
बैंक शेष				
भारतीय स्टेट बैंक	53365388		58774125.4	
पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली	13141374		87498302.54	
कुल	**72510806**		**159960103**	

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
अंशदायी भविष्य निधि अभिदान का माहवार विवरण
(कर्मचारी अंशदान) तथा वर्ष 2020–2021 के लिए अग्रिम की वापसी

राशि रूपये में

माह	अंशदान (कर्मचारी अंशदान)	अग्रिमों की वापसी	कुल
अप्रैल, 2020	8409453	636417	9045870
मई, 2020	8217259	647467	8864726
जून, 2020	8014840	619467	8634307
जुलाई, 2020	7805959	588859	8394818
अगस्त, 2020	7821965	580859	8402824
सितम्बर, 2020	7776399	557359	8333758
अक्टूबर, 2020	8096199	554379	8650578
नवम्बर, 2020	7804934	538079	8343013
दिसम्बर, 2020	7638984	509904	8148888
जनवरी, 2021	7550899	536304	8087203
फरवरी, 2021	7545399	527004	8072403
मार्च, 2021	7512079	524304	8036383
मार्च, 2021	120000	0	120000
कुल	**94314369**	**6820402**	**101134771**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
अंशदायी भविष्य निधि
सीपीएफ अंतिम भुगतान का विवरण

राशि रूपये में

नाम	कर्मचारी	कर्मचारी योगदान	अंतिम भुगतान
एन. जयंती	2526461	1176272	3702733
बी.के. पात्र	881745	1180877	2062622
आशा ओबेरॉय	5810530	1484437	7294967
एम प्रताप	115978	794772	910750
वलसला कुमारी	1754199	758918	2513117
एस. मोहन राव	139953	797862	937815
अखिल दास	3194694	756115	3950809
जी.सी. जराई	1623855	940595	2564450
रमेश सी कमतगी	2690437	1350934	4041371
जगमीत सिंह	9961546	1790514	11752060
के. रामलिंगस्वर रॉय	77605	920400	998005
डी. रामांजेयुलु	3595797	1098481	4694278
मेराज कोशी	465167	1107826	1572993
नंद किशोर	394144	1108620	1502764
के. वलसरंजन	806847	747291	1554138
पीए मालगे	238281	1002171	1240452
वीरेंद्र कुमार मिश्रा	2814621	932021	3746642
बी.के. बंसल	3348740	1083218	4431958
चमन लाल	3122343	662385	3784728
केएस उपाध्याय	1095655	718512	1814167
प्रमोद कुमार	99469	96650	196119
डी वेंकटेश	1004732	837805	1842537
नंजुदप्पा	675962	980767	1656729
वाई लक्ष्मण राव	1139981	0	1139981
राकेश रंजनः	268444	1300955	1569399
अर्जुन कुमार रे	1787410	935426	2722836
आर.के. जाला	267438	1278249	1545687

डी श्यामला	818658	1072030	1890688
जे. बारिक सेठी	919854	807151	1727005
सूरत कुमार दाश	1466406	856880	2323286
केके धोकिया	1400820	1382934	2783754
ए रामुडू	2709159	1082680	3791839
पी. अंजनेयुलु	162019	1872737	2034756
सुरेश कुमार	4621142	1065974	5687116
जे. सूर्यकांत रेड्डी	228145	1092520	1320665
जी मोहनान	217524	660900	878424
एस.एम.बाशा	459691	1887715	2347406
के गिरधार	6252415	1150679	7403094
अफरोज आलम	10952183	2872051	13824234
अनिल कुमार	5396923	2208387	7605310
प्रफुल कुमार समाल	1625048	784328	2409376
एस.वी. अयाचित	2243756	1145291	3389047
वी.एस.ए. मोहम्मद अय्यूव	230440	1046561	1277001
आर. गोमती	513890	1024589	1538479
ए.के. वर्मा	1435218	1039136	2474354
एन. पापन्ना	1275471	1180307	2455778
के.पी. गुप्ता	7291557	3112144	10403701
एस. नारायण मूर्ति	1058120	1405099	2463219
बद्री प्रसाद	739136	847370	1586506
के. हरिहर प्रसाद	117070	2144096	2261166
कुल	**102036679**	**57583632**	**159620311**

ह/-

(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-

(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-

(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नियत जमा अनुसूची को दिखाने वाली विवरणिका

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	नियत जमा संख्या (एफ.डी.आर)	राशि	ब्याज की दर (%)	पूर्णता की तिथि	पूर्णता राशि	जिससे एफ.डी.आर क्रय की गइ
						स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर, साकेत, नई दिल्ली
1	के एफ 38391475114	17000000	6.80	12.04.2021	19454342	एसबीआई
2	के एफ 38395500499	17000000	6.80	15.04.2021	19454342	एसबीआई
3	के एफ 38397290047	17000000	6.80	16.04.2021	19454342	एसबीआई
4	के एफ 3840669168	17000000	6.80	18.04.2021	19454342	एसबीआई
5	के एफ 38408606155	17000000	6.80	22.04.2021	19454342	एसबीआई
6	के एफ 38410780742	17000000	6.80	23.04.2021	19454342	एसबीआई
7	के एफ 38413101034	17000000	6.80	24.04.2021	19454342	एसबीआई
8	के एफ 39067038756	14000000	6.10	13.01.2022	15801999	एसबीआई
9	के एफ 39072284478	14000000	6.10	15.01.2022	15801999	एसबीआई
10	के एफ 39073754444	14000000	6.10	16.01.2022	15801999	एसबीआई
11	के एफ 39576334938	10000000	5.10	14.08.2021	10519837	एसबीआई
12	के एफ 39576335954	10000000	5.10	14.08.2021	10519837	एसबीआई
13	के एफ 39646740534	10000000	5.10	09.09.2021	10519837	एसबीआई
14	के एफ 39649727917	10000000	4.9	10.09.2021	10499078	एसबीआई
15	के एफ 39655944752	10000000	4.9	14.09.2021	10499078	एसबीआई
16	के एफ 39655945042	4000000	4.9	14.09.2021	4199631	एसबीआई
		215000000				

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2021 को प्रोमिसरी नोट/सरकारी प्रतिभूतियां को दिखाने वाली विवरणिका

राशि रूपये में

क्र.सं.	प्रोमिसरी नोट सं.	क्रय की तिथि	फेस मूल्य	पूर्णता अवधि
1	8.20% जी एस 2024	12.08.2010	6200000	15.09.2024
2	8.20% जी एस 2024	23.12.2010	13950000	15.09.2024
3	8.20% जी एस 2023	25.05.2011	7200000	10.11.2023
4	8.08% जी एस 2022	02.08.2011	5500000	02.08.2022
5	8.79% जी एस 2021	08.12.2011	6900000	08.11.2021
6	8.28% जी एस 2027	07.03.2012	14800000	21.09.2027
7	8.28% जी एस 2027	19.06.2012	15800000	21.09.2027
8	8.33% जी एस 2026	31.10.2012	15200000	09.07.2026
9	8.35% जी एस 2024	07.06.2013	25600000	27.03.2024
10	8.20% जी एस 2025	25.11.2013	9100000	25.09.2025
11	8.28% जी एस 2027	13.02.2014	12300000	21.09.2027
12	7.16% जी एस 2023	27.03.2014	7600000	20.05.2023
13	6.90% जी एस 2026	17.07.2014	11000000	04.02.2026
14	8.20% जी एस 2025	15.09.2014	6700000	24.09.2025
15	8.35% जी एस 2024	03.02.2015	20600000	27.03.2024
16	8.35% जी एस 2024	16.04.2015	29000000	27.03.2024
17	7.16% जी एस 2023	04.08.2015	12400000	25.05.2023
18	7.68% जी एस 2023	21.01.2016	27700000	15.12.2023
19	8.40% जी ओ आई 2026	26.04.2016	11000000	24.07.2024
20	7.95% जी ओ आई 2026	03.08.2016	14800000	18.02.2026
21	7.73% जी ओ आई 2034	24.03.2017	9000000	19.12.2034
22	7.32% जी ओ आई 2032	24.03.2017	7500000	02.08.2032
23	6.79% जी ओ आई 2027	07.03.2018	58000000	15.05.2027
24	7.59% जी ओ आई 2026	29.06.2018	51400000	11.01.2026
25	6.79% जी ओ आई 2027	23.04.2019	103500000	27.05.2027
26	6.97% जी ओ आई 2026	30.07.2020	50000000	06.09.2026
27	8.26% जी ओ आई 2027	30.07.2020	7200000	02.08.2027
	कुल		**559950000**	

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
भारत जल सप्ताह – 31 मार्च, 2021 को 2020 और 2021 का तुलन पत्र

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं		
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	**1**	9086787
सुरक्षित पर अधिशेष	**2**	0
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	**3**	0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	**4**	0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	**5**	0
आस्थगित जमा देयताएं	**6**	0
चालू देयताएं तथा प्रावधान	**7**	862707
कुल		**9949494**
परिसंपत्तियां		
नियत परिसंपत्तियां	**8**	0
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	**9**	0
निवेश–अन्य	**10**	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	**11**	9949494
विविध व्यय बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक		
कुल		**9949494**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2021 को भारत जल सप्ताह 2020–21 के तुलन पत्र की अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि	राशि रूपये में
विवरण	भारत जल सप्ताह 2020–21
वर्ष के प्रारंभ के दौरान में शेष	9256806
उप कुल (क)	**9256806**
बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	
निवला आय का जोड़/घटा	-170019
आय और व्यय खाते से स्थानांतरित व्यय	
उप कुल (ख)	
वर्ष के अन्त में शेष	**9086787**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

31.03.2021 को भारत जल सप्ताह 2020–21 का आय तथा व्यय लेखा

राशि रूपये में

व्यय	अनुसूची	भारत जल सप्ताह 2020–21	आय	अनुसूची	भारत जल सप्ताह 2020–21
स्थापना व्यय			विक्रय/सेवा से आय		0
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1094001	अनुदान/सहायिकी	13	0
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय			(प्राप्त अप्रत्याादेय अनुदान एवं सहायिकी)		
ब्याज			शुल्क/सब्सक्रिप्शन	14	720000
रा.ज.वि.अ. को भुगतान			निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से आय/निधियों से निधियों में किया गया अंतरण)		0
					0
			रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	17	203982
			अर्जित ब्याज		0
			अन्य आय		0
कुल (क)		**1094001**	**कुल (क)**		**923982**

व्य पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख) **-170019**

विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	**(सुब्रत हलदर)**	**(भोपाल सिंह)**
लेखाधिकारी	**निदेशक (वित्त)**	**महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2021 को भारत जल सप्ताह 2020 और 2021 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

भारत जल सप्ताह			(राशि रूपये में)
आदि शेष प्राप्तियां	**भारत जल सप्ताह 2020 - 2021**	**भुगतान**	**भारत जल सप्ताह 2020 और 2021**
1 क. रोकड़ शेष		क. स्थापना व्यय	
ख. बैंक शेष		(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)	
बचत खातों में			0
i. एस.बी.आई.	5075907	ख. प्रशासनिक व्यय	
ii.एच.डी.एफ.सी.	1389961	(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	1094001
भाजस 2016 से राशि का अंतरण		शुल्क/सदस्यता	0
		2 विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए	
2 प्राप्त अनुदान		**गए निवेश के लिए भुगतान**	
क. भारत सरकार से	0	लिंक नहर परियोजना	0
ख. राज्य सरकार से	0	**3 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**	
		क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	0
3 निवेश पर आय		ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	0
क उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0		
ख अपनी निधि (निवेश पर)	0		
		4 नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	
4 प्राप्त ब्याज		अग्रिम (स्टाफ)	0
क. बैंक जमाओं पर	203982	अग्रिम (अन्य)	0
ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	0		

		5 ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी	
5 अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	
निविदा शुल्क	0		
प्रायोजन शुल्क	588000	**6 वित्त प्रभार (ब्याज)**	
प्रदर्शन शुल्क	0	**7 अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**	
आईटीपीओ बुकिंग राशि रिफंड	0	**रा.ज.वि.अ.**	
प्रतिनिधि शुल्क भा.ज.ल.	132000	ईएमडी/निष्पादन गारंटी	50000
		बयाना	
		सुरक्षा जमा	0
6 उधार ली गई राशि–राजवअि	0	टी.डी.एस.	
7 कोई अन्य रसीदें (दिए गए विवरण)		**अंतिम शेष**	
साथी देश भारतीय यूरोपीय संघ		क. रोकड़ शेष	
	0	ख. बैंक शेष	
अग्रिम (स्टाफ)	0	बचत खाते	
अग्रिम (अन्य)	958732	1 एस. बी. आई.	5980525
सुरक्षा जमा राशि	165905	2 एच.डी.एफ.सी.	1389961
कुल	**8514487**	**कुल**	**8514487**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

31.03.2021 को भारत जल सप्ताह 2020–21 के तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूची

	राशि रूपये में
अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	
विवरण	**भारत जल सप्ताह 2020–21**
क वर्तमान देयताएं	
अन्य. वर्तमान देयताएं	
बकाया व्यय	0
वेतन तथा भत्ते	0
किराया, दर तथा कर	0
प्रेषणा	0
पुराने चैक	0
अंशदायी भविष्य निधि	0
भारत जल सप्ताह 2016 खाता	860207
धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा	2500
निष्पादन गारंटी जमा	0
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	
टी.डी.एस.	0
उप कुल (क)	**862707**
प्रावधान	0
लेखापरीक्षा शुल्क	0
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0
उपकुल (ख):	0
कुल	**862707**

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(ज्योति राजवेदी)	**(सुब्रत हलदर)**	**(भोपाल सिंह)**
लेखाधिकारी	**निदेशक (वित्त)**	**महानिदेशक**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2021 को भारत जल सप्ताह 2020–21 के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम आदि	राशि रूपये में
विवरण	राशि
क वर्तमान परिसंपत्तियां	
आदि शेष	0
बचत बैंक खाता एस.बी.बी.जे	1389961
एचडीएफसी	5980525
डाक टिकट शेष	0
मार्गस्थ ड्राफ्ट	0
उप कुल (क)	**7370486**
ख ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां	
ऋण एवं अग्रिम	
कर्मचारियों को	
अन्य को	2565513
उप कुल (ख)	**2565513**
ग प्राप्य दावे	0
सुरक्षा जमा खाते	13495
उप कुल ग.	13495
कुल	**9949494**

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष 2020–21 के लिए भारत जल सप्ताह 2020–21 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सहायिकी)	राशि रूपये में
विवरण	भारत जल सप्ताह 2020–21
भारत जल सप्ताह 2020–21 के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	0
कुल	**0**

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
31.03.2021 को भारत जल सप्ताह 2020–21 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–14 : शुल्क / सब्सक्रिप्शन	राशि रूपये में
विवरण	भारत जल सप्ताह 2020–2021
भारत जल सप्ताह	
1 पंजीकरण / प्रतिनिधि शुल्क	132000
2 वार्षिक शुल्क / सब्सक्रिप्शन	
3 सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	0
4 प्रायोजक शुल्क	0
5 प्रदर्शनी शुल्क	588000
6 सहयोगी देश भारतीय यूरोपीय संघ	0
7 निविदा शुल्क	0
कुल	**720000**

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–21 के लिए भारत जल सप्ताह – 2020 और 2021 आय और व्यय का हिस्सा बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज	राशि रूपये में
विवरण	भारत जल सप्ताह 2020–2021
क बचत बैंक खातों पर	203982
ख ऋण एवं अग्रिमों पर	0
ग अन्य	0
कुल	**203982**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)

वर्ष 2020–21 के लिये भारत जल सप्ताह 2020–21 के आय एवं व्यय की अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची 18– अन्य आय	राशि रूपये में
विवरण	भारत जल सप्ताह 2020–2021
	0
	0
कुल	**0**

ह/-

(ज्योति राजवेदी)

लेखाधिकारी

ह/-

(सुब्रत हलदर)

निदेशक (वित्त)

ह/-

(भोपाल सिंह)

महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
भारत जल सप्ताह – 2020 और 2021 अनुसूची वर्ष 2020–21 के लिए आय और व्यय का हिस्सा है

अनुसूची –21– अन्य प्रशासनिक व्यय	राशि रूपये में
विवरण	**भारत जल सप्ताह 2020–21**
वेब साइट प्रदर्शनी	162840
गुलदस्ता और फूलों की सजावट प्रदर्शनी	415380
मोमेंटो प्रदर्शनी	77044
प्रदर्शनी	84200
डाक व्यय	4537
सांस्कृतिक कार्यक्रम	350000
कुल	**1094001**

ह/-	ह/-	ह/-
(ज्योति राजवेदी)	(सुब्रत हलदर)	(भोपाल सिंह)
लेखाधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार)
वर्ष 2020–21 के लिए पीएमकेएसवाई योजना के अधीन दीर्घावधि सिंचाई कोष–प्राप्तियां और भुगतान खाता

राशि रूपये में

	प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.	प्रारंभिक शेष			**I**	खर्च		
	क.) आदिशेष	0	0		क.) स्थापना व्यय (अनुसूची 20ए के अनुरूप)	0	0
	ख.) बैंक शेष						
	i चालू खातों में	0	0		ख.) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21क के अनुरूप)	0	0
	ii मार्गस्थ चेक/ड्राफ्ट	0	0				
II.	**प्राप्त अनुदान**	**-**		**II**	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया भुगतान।		
	क.) भारत सरकार से	**2983,31,05,087**	**1989,80,15,932**		पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत राज्य को जारी केंद्रीय सहायता (सीए):		
	ख.) राज्य सरकार से	0	0				
III.	निवेश पर आय				आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
	क.) उदि्दष्ट / विन्यास निधि	0	0		बिहार	14,12,00,000	11,98,00,000.00
	ख.) स्वयं का कोष (निवेश पर)	0	0		छत्तीसगढ	6,44,96,000	4,09,00,000.00
					गुजरात	177,95,66,000	485,35,00,000.00
IV.	प्राप्त ब्याज				झारखंड	0.00	0.00
	क.) बैंक जमा पर	0	0		कर्नाटक	242,56,00,000	167,21,00,000.00
					मध्य प्रदेश	63,28,00,000	26,45,00,000.00
V.	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)	0	0		मणिपुर	23,51,00,000	30,50,00,000.00
					महाराष्ट्र	348,07,68,000	291,68,00,000.00

VI.	**उधार ली गई राशि**				ओडिशा	110,85,70,000	90,65,00,000.00
	पीएमकेएसवाई योजना के एलटीआईएफ के तहत नाबार्ड से ऋण	**4156,30,00,000**	**3813,30,00,000**		पंजाब	165,53,00,000	60,00,00,000.00
					गोआ	3,84,00,000	0.00
VII.	कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)				राजस्थान	124,87,00,000	17,26,00,000.00
					तेलंगाना	162,82,00,000	214,04,00,000.00
					केरल	2,69,00,000	
					उत्तर प्रदेश	397,84,00,000	557,68,00,000.00
					पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	2234,20,00,000	1850,00,00,000.00
					असम	4,00,00,000	0.00
					जम्मू और कश्मीर	11,37,00,000	5,88,00,000.00
					केंद्र शासित प्रदेश– लद्दाख	81,00,000	
					उत्तर कोइल जलाशय	61,52,00,000	53,00,000.00
				III.	**निवेश और जमा**	0	0
				IV.	**अचल और पूंजी पर व्यय**	0	0
					कार्य प्रगति पर है	0	0
				V.	**ब्याज और दीर्घकालिक अग्रिम की वापसी**	0	0
				VI.	वित्त प्रभार (ब्याज)		
					राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण पर दिया गया ब्याज	**867,82,73,288**	**860,79,93,714.00**
					ईबीआर . पर	**1179,83,30,170**	**865,98,89,512.00**
					ब्याज सबवेंशन	**464,49,63,294**	**231,76,32,706.00**
				VII.	मूलधन चुकौती	**471,15,38,335**	**31,25,00,000.00**
				VIII.	**अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)**		
				IX.	अंतिम शेष		
					क.) नकद शेष		
					ख.) बैंक शेष		
					i.) चालू खातों में		
	कुल	**7139,61,05,087**	**5803,10,15,932.00**			**7139,61,05,087**	**5803,10,15,932.00**

ह/-
(ज्योति राजवेदी)
लेखाधिकारी

ह/-
(सुब्रत हलदर)
निदेशक (वित्त)

ह/-
(भोपाल सिंह)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

भारत सरकार